VISIONIAS

www.visionias.in

PT 365

Classroom Study Material

अर्थव्यवस्था

JULY 2015 – MAY 2016

NOTE: May 2016 and June 2016 current affairs for PT 365 will be updated on our website on second week of July 2016.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

A. योजनाएँ/पहल ____ *7*

A.1.राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 ____ 7

A.2.दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ____ 7

A.3.सबके लिए आवास अभियान ____ 8

A.4 प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना ____ 8

A.5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ____ 9

A.6.कृषि मांग पक्ष प्रबंधन परियोजना ____ 9

A.7.समेकित ऊर्जा विकास योजना (IPDS) ____ 10

A.8.प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ____ 11

A.9. ई-सहयोग प्रायोगिक कार्यक्रम ____ 12

A.10.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ____ 12

A.11. नयी बौद्धिक संपदा अधिकार नीति ____ 13

A.12. सागरमाला ____ 14

A.13.सड़कों के वित्त-पोषण हेतु नवीन प्रतिमान ____ 16

A.14. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ____ 17

A.15. इंद्रधनुष योजना ____ 18

A.16. स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और सॉवेरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना ____ 18

A.17. भारत में तेल की खोज - राजस्व साझा मॉडल ____ 20

A.18. उर्जा क्षेत्र के लिए उदय योजना ____ 20

A.19. भारतीय रेलवे की पुर्नद्धार परिषद - 'कायाकल्प' ____ 21

A.20. मेगा फ़ूड पार्क ____ 22

A.21. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास फंड ____ 23

A.22. दिवालियापन संहिता ____ 24

A.23. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ____ 26

A.24. विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनरुद्धार योजना ____ 28

A.25. 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम ____ 29

A.26. किराया तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु रेल नियामक ____ 31

A.27. व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम 2015 ____ 32

A.28. मुद्रा (MUDRA) का बैंक में रूपांतरण ____ 32

VISION IAS

A.29. थोक औषधि (बल्क ड्रग्स) नीति मसौदा 33
A.30. गैर-कर राजस्व ई-पोर्टल 33
A.31. मेक इन इंडिया : अक्षय ऊर्जा 34
A.32. एकीकृत भुगतान इंटरफेस परियोजना 35
A.33. इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष 36
A.34. अनिवार्य लाइसेंस 36
A.35. इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल का शुभारंभ 37
B.1. भुगतान बैंक(पेमेंट बैंक) से जुड़े मुद्दे 38
B.2. सकारात्मक जोन में WPI 38
B.3. नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु सीपीआई एकमात्र पैमाना 39
B.4. ऑन-टैप बैंकिंग लाइसेंस 40
B.5. गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) 41
B.6. भारत में अपस्फीति 42
B.7. भारतीय वित्तीय संहिता का संशोधित प्रारूप 43
B.8. करेंसी नोटों पर नयी विशेषताएँ 44
B.9. बैंकों का समेकन 45
B.10. वोडाफोन ने कर विवाद केस जीता 45
B.11. ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतराल 46
B.12. मौद्रिक नीति पैनल 47
B.13. व्यापार ऋण बीमा 48
B.14. बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग प्रोजेक्ट 48
B.15. सेबी द्वारा गठित पैनल ने वैकल्पिक फंड उद्योग को विकसित करने का सुझाव 49
B.16. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 50
B.17. सीड वित्त पोषण कर का हटाया जाएगा 51
B.18. मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति 52
B.19. राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 52
B.20. स्वतंत्र राजकोषीय परिषद 53
B.21. मौद्रिक नीति में नकारात्मक ब्याज दरें 54
B.22. CSR खर्च को बढ़ावा देने के लिए FCRA में सुधार 54
B.23. टीज़र होम लोन 55
B.24. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र 55
VISION IAS

B.25. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों को चिट फंडों में निवेश करने की अनुमति दी 57

C. रिपोर्ट/ रैंकिंग 59

C.1. सामाजिक प्रगति सूचकांक 59

C.2. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 60

C.3. विश्व आर्थिक फोरम के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 61

C.4. कारोबार करने में सरलताः भारत की स्थिति में सुधार 62

C.5.वैश्विक निर्धनता पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 64

C.6. सातवाँ वेतन आयोग 65

C.7. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित अवसंरचना विकास की समीक्षा पर विजय केलकर समिति की रिपोर्ट 65

C.8. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर अरविंद सुब्रमण्यन समिति की रिपोर्ट 68

C.9. पनामा दस्तावेज़ लीक 68

C.10. रेलवे के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट 69

C.11. आर.वी ईश्वर पैनल 69

C.12. असमानता पर ऑक्सफाम की रिपोर्ट 70

C.13. भारत में असमानता में वृद्धि 71

C.14. तपन राय पैनल की सिफारिशें 71

C.15. पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 72

C.16. रोजगार पर श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण 2015 73

C.17. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक और भारत 74

D. खाद्य एवं कृषि 75

D.1. जूट की कीमतों में उछाल 75

D.2. मराठवाड़ा में सूखा और चीनी मिलों का मुद्दा 75

D.3. समुद्री मत्स्य पालन 75

D.4. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 77

D.5. एकीकृत कृषि बाजार 80

D.6. राष्ट्रीय कृषि बाज़ार हेतु ई-मंच 80

D.7. किसानों को जिंस वायदा बाजार से लाभ 81

E. बाह्य क्षेत्रक 82

E.1. परियोजना ऋण के लिए विश्व बैंक की नवीन शर्ते 82

E.2. अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक 82

VISION IAS

E.3. विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत का 'प्रथम' स्थान 83
E.4. वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 83
E.5. आई.एम.एफ. सुधार 84
E.6. वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौता 85
E.7. कर सूचनाओं के आदान-प्रदान पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में समझौता 86
E.8. व्यापार सरलीकरण परिषद् 86
E.9. विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यू.टी. ओ.) में सौर ऊर्जा को लेकर मतभेद 87
E.10. SDR में युआन 88
E.11. चीनी युआन का अवमूल्यन 89
E.12. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा 91
E.13. विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी वार्ता 92
E.14. मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन 93
F. गरीबी और समावेशन 94
F.1. विश्व बैंक की रिपोर्ट-'अत्यधिक गरीबी का खात्मा, समृद्धि को साझा करना: प्रगति और नीतियाँ' 95
F.2. वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 97
F.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण 98
F.4. भारत में भूमि और पशुधन स्वामित्व पर एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट 98
F.5. चौथी औद्योगिक क्रांति 99
F.6. स्टैंड अप इंडिया योजना 100
F.7. बागवानी आंकड़े 101
G. विविध 102
G.1. उपकर 102
G.2. कोर सेक्टर के उत्पादन में वृद्धि 102
G.3. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 103
G.4. आइसगेट 104
G.5. कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए विशेष संस्था 105
G.6. केयर्न इंडिया कर विवाद 105
G.7. प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा सीमेंट कंपनियों पर लगाये गए जुर्माने को रद्द किया 107
G.8. भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (निगमित सामाजिक दायित्व) 108
VISION IAS

G.9. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ____ 110

G.10. FTIL के साथ NSEL का विलय ____ 110

G.11. मुक्त संसाधन लाइसेंसिंग ____ 111

G.12. वायदा अनुबंधों को लेकर सेबी की चिंताएं ____ 112

G.13. वायदा बाजार आयोग (FMC) का सेबी (SEBI) के साथ विलय ____ 112

G.14. इक्वलाईजेशन लेवी / गूगल कर ____ 113

G.15. हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) ने अधिक नीलामीकर्ताओं को आकर्षित किया ____ 114

G.16 GM तकनीक लाइसेंसिंग के संबंध में नयी अधिसूचना को वापस लिया गया ____ 115

VISION IAS

A. योजनाएँ/पहल

A.1.राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015

(National Policy For Skill Development And Entrepreneurship 2015)

- श्रमिकों की नियोजन की प्रक्रिया में सुधार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के प्रयास के लिए, सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता पर अपनी *पहली समेकित* राष्ट्रीय नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति ने **राष्ट्रीय कौशल नीति 2009** का स्थान लिया। 2009 में आयी इस नीति का ढांचा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तय किया था।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, देश में कौशल विकास के कार्यक्रमों को समन्वित करेगा।
- इस नीति का उद्देश्य नवाचार आधारित उद्यमिता को प्रचारित करना है।

A.2.दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

(Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana)

- यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधारों को प्रारंभ करेगी। इसके पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रारंभ की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वाई) को भी नवीन योजना में समाहित कर दिया गया है।

घटक: योजना के प्रमुख घटक है:

- कृषि कार्य के लिए प्रयोग होने वाले फीडर को अन्य कार्यो के लिए प्रयुक्त होने वाले फीडर से ग्रामीण फीडर संप्रेषण कार्यक्रम के तहत पृथक किया जाएगा।
- उपट्रांसमीशन (sub-transmission) और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाया जाएगा।
- प्रत्येक स्तर पर मीटरिंग (इनपुट बिंदु, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर पर)।
- माइक्रोग्रिड और आफग्रिड वितरण नेटवर्क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण।
- योजना में सामान्य राज्यों को 60% अनुदान के रुप में जब कि विशेष श्रेणी के राज्यों को 85% अनुदान के रुप में दिया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों को एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर 75% तक राशि अनुदान के रुप में तथा विशेष श्रेणी के राज्यों को निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर 90% तक राशि अनुदान के रुप में प्रदान की जाएगी।
- सभी उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें सिक्किम भी शामिल है, जम्मू-कश्मीर, हिमांचल प्रदेश और उत्तराखंड विशेष राज्यों की श्रेणी में शामिल है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC), योजना के संक्रियागत संचालन के लिए नोडल एजेंसी होगी।

VISION IAS

A.3.सबके लिए आवास अभियान

(Housing for All)

- केंद्र सरकार ने सबके लिए आवास योजना हेतु 9 राज्यों में 305 शहरों और कस्बों को चिह्नांकित किया है।
- केंद्र सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की है।
- इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार ने 2022 तक, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहरी क्षेत्र में गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान बनाने का निर्णय लिया है।
- इसके चार प्रमुख घटक हैं -
    - झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास
    - किफायती आवास
    - क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी
    - लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास-निर्माण के लिए सब्सिडी।
- ये मकान किराए पर नहीं दिए जाएंगे। लाभार्थी को मालिकाना हक़ मिलेगा।
- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

A.4 प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना

(Pratyaksha Hastaantarit Laabh Scheme)

- केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) योजना को दुनिया के सबसे बड़े नकद हस्तांतरण कार्यक्रम (घरेलू) के रूप में गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक नयी प्रणाली है। इसमें सब्सिडी और लाभ, दोनों इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं। इसमें फंड के प्रवाह में सम्मिलित स्तरों को कम करके भुगतान में होने वाली देरी को कम किया जाता है जिससे वास्तविक लाभार्थियों को लक्षित करने के साथ-साथ चोरी व दोहरे लाभ को रोकना संभव होता है।
- पहल योजना को औपचारिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में एलपीजी सब्सिडी के लिए 2013 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सब्सिडी वाले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर उपभोक्ताओं को बाजार दर पर बेचे जाते हैं और एलपीजी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

VISION IAS

A.5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)

- PMKSY का प्रमुख उद्देश्य है-क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई के क्षेत्र में निवेशों का समूहीकरण, सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, पानी के अपव्यय को कम करने के लिए कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार, सटीक सिंचाई और अन्य पानी की बचत प्रौद्योगिकियों (more crop per drop) को अपनाना, जल निकायों के पुनर्भरण को बढ़ाना तथा शहरी नगरपालिकाओं के उपचारित अपशिष्ट जल के प्रयोग द्वारा शहरों में कुछ स्थानों में कृषि कार्य कर उसमें निजी निवेश लाना तथा इसके द्वारा जल के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना।
- PMKSY के अंतर्गत वर्तमान में संचालित कुछ योजनाओं को मिला दिया गया है। यथा -जल संसाधन मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP),नदी विकास और गंगा संरक्षण (जल संसाधन मंत्रालय, RD & GR),भूमि संसाधन विभाग (DoLR) का एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) तथा कृषि और सहकारिता विभाग का फार्म आधारित जल प्रबंधन (OFWM) कार्यक्रम। यह योजना कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य रूप से वर्षा जल संरक्षण, खेतों में तालाब की खुदाई, जल संचयन संरचना, छोटे चैक डैम और समोच्च मेंडबंदी आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- जल संसाधन मंत्रालय RD &GR द्वारा सुनिश्चित सिंचाई स्रोत, डायवर्जन नहरों,फील्ड चैनलों तथा जल डायवर्जन /लिफ्ट इरीगेशन का निर्माण और जल वितरण तंत्र का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्रालय कुशल जल वाहक तथा सटीक जल एप्लीकेशन डिवाइसों यथा ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइवोट तथा खेतों में रेन-गन सिस्टम(जल सिंचन) को बढ़ावा देगा। साथ ही यह स्रोत सृजन गतिविधियों के पूरक के रूप में सूक्ष्म सिंचाई संरचनाओं और वैज्ञानिक रूप से नमी के संरक्षण आदि कृषि उपायों को बढ़ावा देने के लिए विस्तार गतिविधियों का भी सृजन करेगा।
- PMKSY कार्यक्रम ''विकेन्द्रीकृत राज्य स्तरीय आयोजन एवं परियोजनागत कार्यान्वयन'' को अपनाएगा। यह राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुसार जिला स्तरीय सिंचाई योजना एवं राज्य स्तरीय सिंचाई योजना अपनाने की अनुमति भी प्रदान करेगा।

A.6.कृषि मांग पक्ष प्रबंधन परियोजना

(Agriculture Demand Side Management (AgDSM) Project)

- AgDSM परियोजना का उद्देश्य किसानों को इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल के साथ BEE स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल पंप सेट मुफ्त उपलब्ध कराना है।
- ये नए पंप सेट नि: शुल्क मरम्मत और रख -रखाव के साथ प्रदान किये जाते हैं।
- भारत में कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से अक्षम सिंचाई पंप सेट का उपयोग करता है और इसलिए बीईई स्टार रेटेड और उच्च दक्षता पंप सेट को बढ़ावा देने से यह क्षेत्रक महत्वपूर्ण बचत प्रदान कर सकता है।

VISION IAS

- इस तरह के मांग पक्ष प्रबंधन हस्तक्षेप 30 से 35 प्रतिशत की ऊर्जा बचत की जा सकती है।
- एक अनुमान के अनुसार यदि 20.27 मिलियन पंप सेट, ऊर्जा कुशल पंप सेट के साथ कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किये जाएँ तो लगभग 46 अरब किलोवाट घंटा की वार्षिक ऊर्जा बचत होगी।
- यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर उसे 45 मीट्रिक टन co2 सालाना तक लाने में सहायक भी होंगे।

A.7.समेकित ऊर्जा विकास योजना (IPDS)

(Integrated Power Development Scheme)

24X7 ऊर्जा आपूर्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने पूरे देश में पारेषण तथा वितरण तंत्र में सुधार लाने के लिए हाल ही में IPDS को स्वीकृति दी है। संघीय बजट 2014-15 में घोषित IPDS में **उप-पारेषण तंत्र को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है**। इसके अतिरिक्त **समेकित ऊर्जा विकास योजना (IPDS) के अंतर्गत मीटर लगाने, ग्राहक देखभाल सेवाओं और सौर पैनलों की स्थापना का प्रावधान किया गया है**। **योजना मे पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रमों (RAPDRP)** के जारी कार्यों को पूरा करने पर विचार किया गया है।

- वितरण क्षेत्रक को सूचना प्रौद्योगिकी से लैस किया जायेगा तथा **12वीं एवं 13वीं योजनाओं में स्वीकृत वितरण तंत्रों को सशक्त बनाने के कार्य को** इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
- **पात्र इकाईयाँ**: **सभी वितरण कंपनियां जिसमें निजी वितरण कंपनियां तथा राज्य ऊर्जा विभाग भी सम्मिलित हैं,** इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को, *लेटर ऑफ अवार्ड* (प्रदत्तता पत्र) दिए जाने की तिथि से 24 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। इस योजना के संचालन के लिए *ऊर्जा वित्त निगम* को केन्द्रीय एजेंसी बनाया गया है।
- **वित्त-पोषण का प्रारूप:** गैर-विशेष वर्ग के राज्यों के लिए इस परियोजना के लिए प्राप्त अनुदान कुल वित्तीय लागत का 60% है (प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति पर 75% तक) तथा विशेष वर्ग के राज्यों के लिए यह 85% है (प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने पर 90% तक)। अतिरिक्त अनुदान के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे: परियोजना का निर्धारित समय में पूरा होना, प्रक्षेप पथ (ट्रजेक्टरी) के अनुसार AT&C हानियों में कमी तथा राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को अग्रिम रूप से जारी करना।
- **त्रिपक्षीय समझौता:** ऊर्जा मंत्रालय की केन्द्रीय एजेंसी ऊर्जा वित्त निगम, राज्य सरकार तथा वितरण कंपनियों के बीच उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौते को निष्पादित किया जाएगा, जिससे इस परियोजना के अंतर्गत जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

VISION IAS

- **आदर्श मानदंड:** डिजिटल/पूर्व भुगतान युक्त मीटर लगाने, 11KV और LT लाइनों के लिए भूमिगत केबल बिछाने, AT&C हानियों की सीमा तय करने का कार्य करने के लिए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा प्रणालियों के लिए एक आदर्श मानदंड निर्धारण किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2014-15 में घोषित IPDS में शामिल हैं -

- उप-पारेषण नेटवर्क को मजबूत बनाना,
- मीटरिंग,
- कस्टमर केयर सेवाएँ
- सौर पैनलों के प्रावधान
- पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम की पूर्णता (RAPDRP) के चल रहे कार्यों को पूरा करना।

A.8.प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

(Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana)

- खनिज मंत्रालय ने खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों के विकास के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) द्वारा सृजित निधियों का उपयोग किया जाएगा।

लक्ष्य

- ऐसी **विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याणकारी परियोजनाओं** को खनन प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना जो राज्य तथा केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की पूरक हैं।
    - खनन गतिविधियों वाले जिलों में, खनन के दौरान तथा इसके पश्चात् पर्यावरण तथा आम जनता की सामाजिक-आर्थिक दशा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम स्तर पर लाना।
    - खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक आजीविका सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं

- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, नारी तथा बाल कल्याण, उम्रदराज तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण पर उपलब्ध कुल राशि का कम से कम 60% हिस्सा व्यय किया जाएगा।
- जीवन की सहयोगात्मक परिस्थितियों तथा अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु उपलब्ध शेष निधियों का उपयोग सड़कों, पुलों, रेल-लाइनों, जल मार्ग परियोजनाओं, सिंचाई तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर किया जाएगा।
- खनन संबंधी कार्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को भी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.वाई.) के अंतर्गत लाया जाएगा।
- परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे हैं, जहां खनन कार्यों के कारण जल, मृदा तथा वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है। ऐसे क्षेत्रों मे जल स्रोतों के प्रवाह में कमी तथा भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आती है तथा जनसंख्या की अधिक सघनता तथा प्रदूषण आदि समस्याएँ जन्म लेती हैं।

VISION IAS

- इस प्रकार, सरकार समाज के साधनहीन वंचित-वर्गों, आदिवासी समूहों तथा वनवासियों आदि (जिन पर खनन गतिविधियों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा है) को मुख्यधारा में लाने का मार्ग सुगम बना रही है।
- खान तथा खनिज (विकास तथा नियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 ने खनन संबंधी कार्यों के कारण प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) बनाने तथा खनन की मार झेल रहे आदिवासी समुदायों के हितों के संरक्षण को अनिवार्यता प्रदान की है।
- जनता को अदा की जाने वाली पूरी रॉयल्टी का एक छोटा सा अंश खननकर्ताओं को जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) में प्रदान करना है। इस अंशदान से उत्पन्न निधि का उपयोग जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) के द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.वाई.) को कार्यान्वित करने अपेक्षा है।

A.9. ई-सहयोग प्रायोगिक कार्यक्रम

(E-Sahyog Pilot Programme)

- ई-सहयोग, करदाताओं के आयकर अधिकारियों के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने की बाध्यता को समाप्त करने के लिए बनायी गई पायलट परियोजना है।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन लागत में कमी लाना है।
- "ई-सहयोग" का **उद्देश्य** आयकर दाताओ के आयकर रिटर्न में विसंगति पाए जाने पर उसका हल निकालने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था प्रदान करना है। ई-सहयोग सुविधा के अंतर्गत आयकर कार्यालय में उपस्थित हुए बिना ही यह प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है।

A.10.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)

- सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण संपर्क प्राप्त करने के लक्ष्य को तीन साल घटा दिया गया है। यानी वर्ष 2022 के स्थान पर वर्ष 2019 तक इसे हासिल किया जाएगा।
- इस त्वरित कार्यान्वियन को वर्ष 2015-16 के लिए 5,000 करोड़ रुपये तक संवर्धित वित्तीय आवंटन और संशोधित वित्त-पोषण पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- फंड के बंटवारे का पैटर्न उत्तर-पूर्व के 8 और 3 हिमालयी राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में होगा। उत्तर-पूर्व के 8 और 3 हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 होगा।
- ऐसा राज्यों को अधिक धन हस्तांतरित करने की 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वारूप किया गया है।

इस योजना के विषय में कुछ तथ्य:

- सभी पात्र असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से PMGSY का शुभारंभ वर्ष 2000 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया था।

VISION IAS

- **ग्रामीण विकास मंत्रालय** नोडल मंत्रालय है और इस योजना का प्रबंधन **राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी** (NRRDA) कर रही है।
- PMGSY-1 के अंतर्गत 1,78,184 असंबद्ध बस्तियों की पहचान की गई थी। हालांकि, अभी तक कार्यान्वयन के 15 वर्षों में, केवल 1,12,550 बस्तियों (63%) को ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों से जोड़ा जा सका है।
- प्राथमिकता आधार पर सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा गोद लिए गए मॉडल गांवों में ग्रामीण सड़कें प्रदान करने के लिए सरकार ने फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया था।

A.11. नयी बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

VISION IAS

(New IPR Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों

- सरकार ने नयी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति की घोषणा की है।
- यह नीति ट्रिप्स (TRIPS) के अनुरूप है।
- इस नीति का लक्ष्य-

✓ बिक्री योग्य वित्तीय आस्तियों(Assets) के रूप में IPR
✓ नवाचार को प्रोत्साहन
✓ जनहित में सस्ती कीमतों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

नयी बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति के उद्देश्य

- IPR कानून को क़ानूनी और विधायी रुपरेखा देना जिससे बौद्धिक संपदा के मालिक के हित और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
- कानूनों के प्रवर्तन और बौद्धिक संपदा अधिकार विवाद के अधिनिर्णय को सुदृढ़ बनाना।
- IPR के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और व्यवसायीकरण के माध्यम से IPR का मूल्य सृजित करना।
- IPR प्रशासन को सेवा उन्मुख बनाना।
- IPR प्रशिक्षण और अनुसन्धान के लिए मानव संसाधन और संस्थाओं का निर्माण।
- IPR और इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- न्यून अधिकार प्राप्त समूह जैसे कारीगरों, बुनकरों आदि के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के अनुकूल ऋण।
- विसंगतियों को दूर करना जैसे भारतीय सिनेमेटोग्राफी एक्ट में संशोधन।
- IPR के परीक्षण और स्वीकरण में तेजी लाना।
- उद्योगों को बौद्धिक संपदा के विकास का समर्थन करने के लिए CSR फंड का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।

 ©Vision IAS

एक नयी IPR नीति अब क्यों?

- USTR और भारतीय जेनेरिक दवाओं पर कई प्रतिबंधों से लगातार दबाव।
- TPP जैसे मेगा क्षेत्रीय व्यापार समझौते से उत्पन्न चुनौतियां।
- भारत को वृहत अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन के लिए तैयार करना।
- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाओं को समर्थन देने के लिए।

A.12. सागरमाला

(Sagarmala)

परिचय

- "सागरमाला" **पत्तन आधारित** विकास मॉडल विकसित करने की भारत सरकार की एक सामरिक, एवं ग्राहक केंद्रित पहल है जिससे भारत की लंबी तटरेखा, भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन जाएगी।
- यह एक ओर जहां वर्तमान पत्तनों के आधुनिक विश्व स्तरीय पत्तनों में रूपांतरण की परिकल्पना करता है, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता के आधार पर नए विश्व स्तरीय पत्तनों के विकास की भी परिकल्पना करता है।
- सागरमाला का उद्देश्य सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों के माध्यम से पत्तनों, अंतर्क्षेत्र और कुशल निकासी प्रणाली का विकास करना है जिससे पत्तन, तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के चालक बन जाएँ।

- परिणाम (आउटकम) के रूप में, सागरमाला परियोजना आयात-निर्यात और घरेलू, दोनों क्षेत्रों के लिए कुशल और निर्बाध परिवहन का विकास करेगी। इसके लिए यह समुद्री विकास के साथ अंतर्क्षेत्र की औद्योगिक और फ्रेट कॉरीडोर की परियोजनाओं का एकीकरण करेगी जिससे ग्राहक के लिए लॉजिस्टिक की लागत कम होगी। इससे आयात-निर्यात और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।

भारत में सामुद्रिक क्षेत्रक की वर्तमान चुनौतियां

भारत के सामुद्रिक-क्षेत्र का विकास कई विकासात्मक, प्रक्रियात्मक और नीतिगत चुनौतियों से घिरा हुआ है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- देश भर में औद्योगीकरण, व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास में कई एजेंसियों की भागीदारी।
- प्रमुख और गौण पत्तनों पर निकासी संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव।
- सीमित अंतर्क्षेत्रीय संपर्क जिससे परिवहन और माल के आवागमन की लागत बढ़ जाती है।
- पत्तनों पर चयनात्मक मशीनीकरण और प्रक्रियात्मक बाधाओं की उपस्थिति।
- भारत में विभिन्न बंदरगाहों पर पैमाने, गहरे प्रारूप और अन्य सुविधाओं का अभाव।

सागरमाला के प्रमुख घटक

सागरमाला परियोजना की अवधारणा में तीन प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने का उद्देश्य निहित है :

- पत्तन का आधुनिकीकरण: पत्तन की आधारभूत सुविधाओं और वर्तमान प्रणालियों के आधुनिकीकरण द्वारा वर्तमान पत्तनों का विश्व स्तरीय पत्तनों में रूपांतरण। इसके अतिरिक्त प्रमुख और गौण, दोनों प्रकार के पत्तनों के सहक्रियाशील विकास के लिए अंतर-अभिकरण (इंटर-एजेंसी) समन्वय सुनिश्चित करना।
- कुशल निकासी प्रणाली: अंतर्क्षेत्रों के लिए कुशल रेल, सड़क और तटीय/आई.डब्ल्यू.टी संजाल विकसित करना तथा परिवहन के सबसे पसंदीदा प्रकार के रूप में अंर्तदेशीय/तटीय नौवहन को बढ़ावा देना।
- तटीय आर्थिक विकास: निम्नलिखित के द्वारा तटीय क्षेत्रों में तटीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना:
  - ✓ तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सी.ई.जेड), पत्तन आधारित सेज/एफ.टी.डब्लू.जेड, कैप्टिव सहायक उद्योगों का विकास; और
  - ✓ तटीय पर्यटन का संवर्धन।

सागरमाला के अंतर्गत पहलें

इन तीन प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु दो व्यापक पहलें सागर माला को आगे बढ़ाएंगी:

- तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सी.ई.आर) का विकास
- बंदरगाहों में तटीय नौवहन और निर्बाध संचालन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल।

सागरमाला के लाभ

- रोजगार सृजन
- औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि
- संधारणीय विकास

VISION IAS

A.13.सड़कों के वित्त-पोषण हेतु नवीन प्रतिमान

(New Road Financing Models for Bharat Mala)

- सरकार ने *भारतमाला परियोजना* को हरी झंडी दे दी है जिसका उद्देश्य 56,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीमावर्ती क्षेत्रों में 5,600 कि.मी. नई सड़कों का विकास करना है।
- साथ ही धार्मिक और पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने के लिए और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संपर्क में वृद्धि करने हेतु 44,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4,700 कि.मी. नई सड़कों के निर्माण की आशा है।
- इसके अतिरिक्त, देश में 676 जिला मुख्यालयों में से 100 जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए विश्व स्तरीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा।

उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सरकार की पहल:

- **स्विस चुनौती प्रणाली (एस.सी.एस):** एस.सी.एस कोर क्षेत्र की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की पहलों को सूचीबद्ध करने के लिए बनायी गयी बोली लगाने की प्रक्रिया है। इस मानक के अनुसार, निजी निवेशक मौलिक रूप से किसी योजना की अवधारणा की स्वतंत्र रूप से संकल्पना कर सकते है और सरकार से परियोजना के मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव कर सकते हैं। अवसंरचना कंपनी (उदाहरण के लिए पत्तन का स्वामित्व रखने वाली) पहुँच में सुधार के लिए *लास्ट माइल* सड़क का विकास करने के लिए उत्सुक हो सकती है।
- *एस.सी.एस तीसरे पक्ष को परियोजना के विकास की अत्याधिक वर्धित लागत से बचने के लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान परियोजना के लिए श्रेष्ठतर प्रस्ताव करने (चुनौती देने) की अनुमति देता है।* हालांकि, मूल प्रस्तावक को पहले मना करने और तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए किसी श्रेष्ठतर प्रस्ताव का काउंटर-मैच करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन, एस.सी.एस. अन्यत्र बहुत अधिक सफल सिद्ध नहीं हुआ है। इस प्रतिमान के अंतर्गत निजी संस्था के लिए भारी भरकम प्रारंभिक निवेश करना आवश्यक होता है जिसे वह संविदा(contract) जीते बिना वापस प्राप्त नहीं कर सकता है।
- <u>**जोखिम की भरपाई के लिए हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (Hybrid Annuity Model):**</u> ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब सड़क, परिहवन, तथा राजमार्ग मंत्रालय हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन करेगा। हाल ही में कल्पित इस प्रतिमान के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अग्रिम वित्त-पोषण में कटौती की जाएगी और जोखिम का उच्च अनुपात सरकार को अंतरित किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकार कार्य आंरभ करने के लिए विकासकर्ता को परियोजना लागत का 40% उपलब्ध कराएगी। शेष निवेश ठेकेदार को करना होगा। NHAI चुंगी का संग्रहण कर 15-20 वर्षों की अवधि में कुल राशि किश्तों में वापस करेगा।

VISION IAS

- **<u>निधि जारी करने के लिए निकास नीति:</u>** सी.सी.ई.ए. ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए संभावित पूंजी के रूप में लॉक्ड-इन-इक्विटी जारी करने हेतु निर्माण के पूरा हो जाने के दो वर्ष बाद राजमार्ग परियोजनाओं से बाहर निकलने के लिए विकासकर्ताओं को अनुमति देते हुए निकास नीति का अनुमोदन किया है।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब निजी क्षेत्र की रुचि पी.पी.पी. परियोजनाओं में कम हो गई है। अधिकांश परियोजनाएं एक भी बोली आकर्षित करने में नाकाम रही हैं।
- **<u>रुकी हुई परियोजनाओं के लिए एन.एच.ए.आई का ऋण:</u>** अतिरिक्त इक्विटी की कमी या धनराशि आगे चुकाने में रियायती अक्षमता के कारण ठप पड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए सी.सी.ई.ए. ने अब वापसी की पूर्व निर्धारित दर पर अपने कोष से ऋण देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किया है।
- **<u>सरकार से सरकार का वित्त-पोषण:</u>** मंत्रालय, सड़क विकास कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए, सरकार से सरकार को वित्त-पोषण के मानदंडों को उदार बनाने और अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

A.14. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

(National Pension System)

- राष्ट्रीय पेंशन योजना एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है जिसमें 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करते रहने की आवश्यकता होती है।
- पेंशन (या टीयर I खाते) में न्यूनतम अंशदान 6,000 रूपए है।
- योजना के अंतर्गत किया गया निवेश बाजार से संबद्ध हैं। निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों से फंड और इससे भिन्न अन्य निश्चित आय वाले साधन और इक्विटी फंड में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
- इक्विटी में अधिकतम निवेश 50% है। निवेश केवल इंडेक्स फंड के माध्यम से किया जा सकता है।
- 60 वर्ष की आयु पर कुल निवेश के 60% तक धन प्राप्त किया जा सकता है और शेष राशि द्वारा एन्युइटी (नियमित भुगतान के रूप में आय देने वाला पूंजी निवेश) उत्पाद क्रय किया जा सकता है। जिस पर पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव है।
- 60 वर्ष की आयु से पहले धन निकासी पर संचित कोष के 80% का उपयोग एन्युइटी (नियमित भुगतान के रूप में आय देने वाला पूंजी निवेश)क्रय करने के लिए करना होता है।
- हालांकि, इस योजना को 10 वर्ष तक जारी रखने के बाद, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दिए गये अंशदान से 25% तक की आंशिक निकासी की जा सकती है।

VISION IAS

- अप्रवासी भारतीय नागरिक भी अप्रवासी (बाह्य) रुपया (एन आर ई) खाता अथवा अप्रवासी साधारण रुपया (एन आर ओ) खाता अथवा स्थानीय स्रोतों से एन पी एस में निवेश कर सकते हैं।
- भारत में लगभग सभी बैंक राष्ट्रीय पेंशन योजना के ("प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस" या पॉप कहे जाने वाले) वितरक के रूप में काम करते हैं। अतः राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित खाता खोलने के लिए कोई भी अपने बैंक से संपर्क कर सकता है।

A.15. इंद्रधनुष योजना

(Indradhanush Plan)

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने सात सूत्रीय योजना बनाई है।
- ये सात सूत्र क्रमशः नियुक्तियां, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से दबाव हटाना, सशक्तिकरण, जवाबदेही का ढांचा तैयार करना तथा प्रशासनिक सुधार हैं। (ए बी सी डी इ एफ)
- बैंक बोर्ड ब्यूरो वर्तमान चयन बोर्ड का स्थान लेगा, अगले छह महीनों में आर.बी.आई. गर्वनर की अध्यक्षता में ये बोर्ड नियुक्त कर दिया जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो जोखिम वाले ऋणों पर विचार करेगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य और होंगे, जिनमें से तीन सरकारी सदस्य तथा अन्य तीन सदस्य बैंकिंग तथा अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।
- 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' बैंकों की एक अलग स्वामित्व कंपनी के निर्माण की दिशा में भी कार्य करेगा। इस अलग स्वामित्व वाली कंपनी के गठन का उद्देश्य बैंकों की कार्यप्रणाली को सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखना है। साथ ही यह सरकार तथा बैंकों के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगी।

A.16. स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और सॉवेरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना

(Gold Monetization And Sovereign Gold Bond Scheme)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो नई स्वर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार इसके माध्यम से दो उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है – लोगों के पास एकत्रित सोने का मुद्रीकरण करना और देश में सोने के आयात को कम करना।

VISION IAS

- यह सोने को वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा बनाने और अपने आप में एक प्रतिस्थापनीय संपत्ति वर्ग (fungible asset class) बनाने की दिशा में एक कदम है।

योजना के प्रावधान :

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना	**सॉवेरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना**
(a) जमा अल्पावधि (1-3 वर्ष), मध्यम अवधि (5-7 वर्ष) और लंबी अवधि (12-15 वर्ष) के लिए हो सकता है। (b) अल्प अवधि के जमा पर ब्याज दर बैंकों द्वारा निर्धारित की जाएगी और जमा पैसा सोने में नामित किया जाएगा, जबकि मध्यम और लंबी अवधि के जमा पर ब्याज दर समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और जमा पैसा रुपए में देय होगा। (c) इस पर सामान्य कराधान कानून लागू होगा।ग्राहक को पहचान साबित करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज देने होंगे ताकि यह योजना काले धन को सफेद बनाने का तरीका न बन जाए। (d) इस योजना से मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होगा। ग्राहक अल्प अवधि के लिए जमा सोने को ब्याज के साथ नकदी में या सोने में भुना सकते हैं। हालांकि मध्यम और लंबी अवधि के जमा के लिए केवल नकद पैसा ही दिया जायेगा जो सोने के बाजार मूल्य पर आधारित होगा। (e) e) मध्यम और लंबी अवधि के जमा वाले सोने को भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार के लिए, नीलामी के लिए, सिक्के बनाने में और आभूषण निर्माताओं को उधार देने में इस्तेमाल किया जायेगा। अल्प अवधि के जमा को केवल सिक्के बनाने और आभूषण निर्माताओं को उधार देने में इस्तेमाल किया जायेगा।	(a) सोने की कीमतों में बदलाव से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए सरकार एक स्वर्ण आरक्षित कोष बनाएगी। (b) ये बॉन्ड वित्त मंत्रालय की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में जारी किए जायेंगे। (c) इस तरह के बॉन्ड के लिए वार्षिक सीमा प्रति व्यक्ति 500 ग्राम है और ब्याज दर भी संशोधन के अधीन होगी। (d) बॉन्ड पांच से सात वर्ष की न्यूनतम अवधि के साथ 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के मूल्यवर्ग में जारी किये जायेंगे। (e) क्योंकि यह बॉन्ड सरकारी उधार का एक हिस्सा हैं, इनके चालू वित्त वर्ष में ही राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर होने की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

लाभ

- भारत के आयात पर कच्चे तेल और सोने का प्रभुत्व है। यह **योजनायें न सिर्फ देश के व्यापार संतुलन को ठीक करेंगी बल्कि सोने को एक उत्पादक संपत्ति में भी परिवर्तित** कर देंगी।
- स्वर्ण मौद्रीकरण योजना से **सोने के पुनर्चक्रण में वृद्धि होगी और इसके व्यापार में पारदर्शिता** आयेगी। इसमें सोने के जमा को आर्थिक निवेश में बदलने की क्षमता है इसलिए इससे समष्टि अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों को लाभ होगा।
- सोने के बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज को कर मुक्त करना, पूंजीगत लाभ कर से छूट देना, ऋण के लिए जमानत के रूप में सोने के बॉन्ड को अनुमति देने से स्वर्ण बॉन्ड एक अपेक्षाकृत आकर्षक विकल्प बन जायेगा।
- सॉवेरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना जमाकर्ताओं को कमोडिटी एक्सचेंजों में बांड बेचने या खरीदने की अनुमति देगा। साथ ही इन बॉन्ड को सोने की तरह ही ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

A.17. भारत में तेल की खोज - राजस्व साझा मॉडल

(Oil Exploration - Revenue Sharing Model)

- सरकार तेल क्षेत्र में लाइसेंस और आय के बंटवारे के लिए नया मॉडल लेकर आई है। 69 छोटे तेल क्षेत्रों में काफी अप्रयुक्त तेल पड़ा हुआ है और ये तेल-क्षेत्र राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधीन हैं।

नए प्रावधान

- यह नीति मुनाफे के बजाय राजस्व साझा करने और प्रत्येक हाइड्रोकार्बन के लिए अलग अलग लाइसेंस की जगह एकीकृत लाइसेंस देने पर आधारित है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी कहा था कि पुरानी नीति निजी ठेकेदारों को पूंजीगत व्यय कम करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं देती।
- नई व्यवस्था में सरकार व्यय की चिंता से मुक्त रहेगी तथा सरकार को तेल, गैस आदि की बिक्री से सकल राजस्व का एक सुनिश्चित हिस्सा प्राप्त होगा।
- नई नीति के तहत दिये जाने वाले लाइसेंस सिर्फ तेल के लिए नही बल्कि सभी हाइड्रोकार्बन के लिए होंगे। इससे पहले हर हाइड्रोकार्बन के लिए अलग लाइसेंस दिया जाता था।
- नई नीति प्रशासित कीमत के बजाय मौजूदा बाजार मूल्य पर गैस बेचने की अनुमति देती है।

संबंधित जानकारी

- उत्पादन भागीदारी अनुबंध- यह अनुबंध कंपनियों को सरकार के साथ राजस्व साझा करने से पहले लागत वसूली की अनुमति देता है। यह उच्च अन्वेषण जोखिम लेने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि सफल अन्वेषण की स्थिति में पूरी लागत वसूल की जा सकती है। इस प्रावधान के मुताबिक सरकार को निजी कंपनियों द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों का लेखा-परीक्षण करना पड़ता है। इसमें अक्सर देरी होती है और यह विवाद का कारण बनता है तथा सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।

A.18. उर्जा क्षेत्र के लिए उदय योजना

(UDAY Scheme for Power Sector)

- सरकार ने उर्जा वितरक कंपनियों के वित्तीय हानि को कम करने के लिए उज्जवल डिस्काम इंश्योरेंस योजना उदय (UDAY) की घोषणा की।
- वर्तमान समय में भारत 270 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, किन्तु वितरण कंपनियों पर कम मूल्य पर बिजली दिये जाने के दबाव के कारण इन कंपनियो ने ऊर्जा उत्पादन बढाने में असमर्थता जतायी है। जिस कारण भारत अपनी कुल संभावित उत्पादक क्षमता का आधा उत्पादन ही कर रहा है।

योजनागत प्रावधान -

उदय, डिस्काम्स को अगले 2 - 3 वर्षो में निम्न चार प्रस्तावों/कदमों के माध्यम से विभिन्न अवसर उपलब्ध करायेगा।

1) उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) की परिचालन क्षमता में सुधार/वृद्धि।

2) ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना।

3) उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) के लिए ब्याज दरों में कमी करना।

VISION IAS

4) राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय योगदान के संदर्भ में उर्जा कंपनियों के लिए शर्ते निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वित्तीय उर्जा कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू किया जा सके।

राज्य उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) में एक उपयुक्त सीमा तक के स्वामित्व के लिए बाजार में या बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से **बाण्ड** जारी करेंगे।

उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) को ऋृण राज्य द्वारा न देकर बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाएगा जो बैंक द्वारा निर्धारित बेस रेट (Base Rate) से अधिक नहीं होगा।

प्रभाव -

- परिचालन क्षमता में सुधार- इससे औसत वित्तीय एवं वाणिज्यिक हानि को 22 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक लाया जा सकता है और वर्ष 2018-19 औसत पूजी एवं उत्पादन की औसत लागत के बीच अंतर को कम किया जा सकता है।
- ऊर्जा उत्पादन की लागत कम होगी
- राज्यों द्वारा लगभग 75 प्रतिशत ऋृण की व्यवस्था उर्जा वितरक कंपनी (डिस्काम्स) हेतु करना

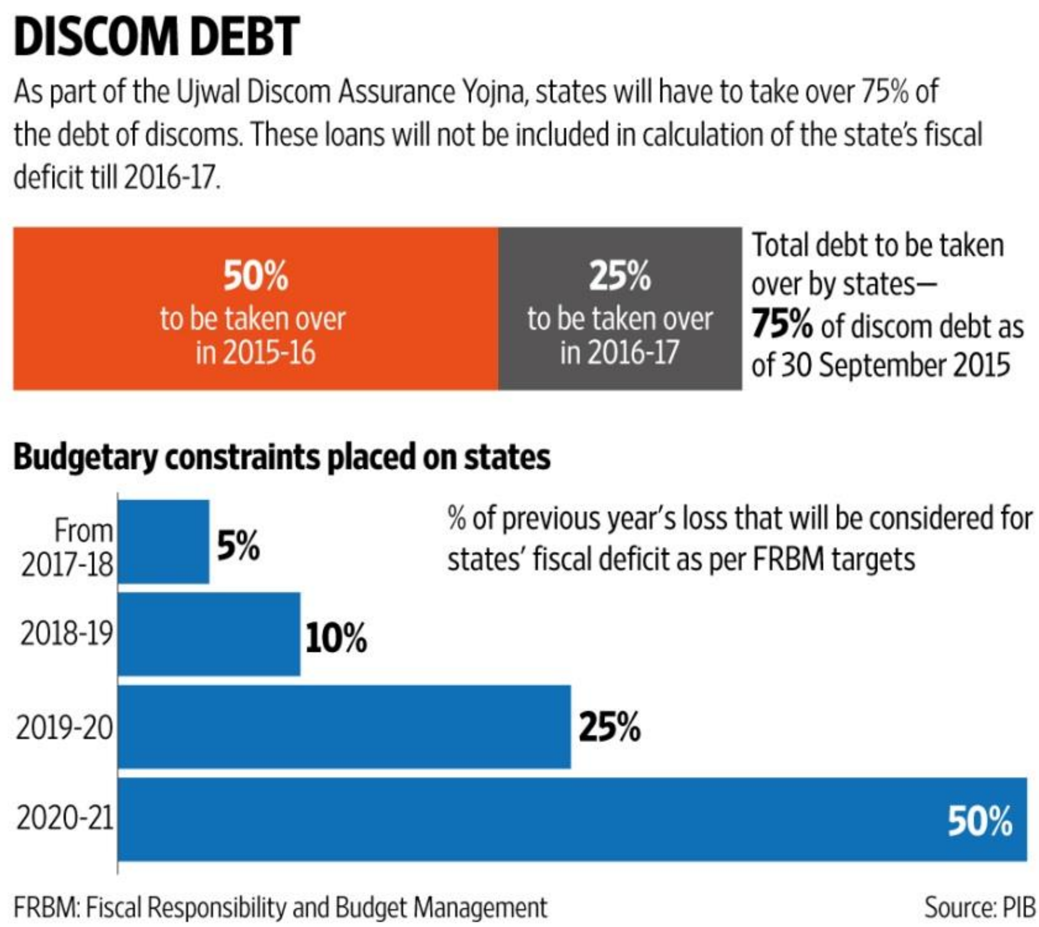

A.19. भारतीय रेलवे की पुर्नद्धार परिषद - 'कायाकल्प'

(Innovation Council of Indian Railways – 'Kayakalp')

- कायाकल्प परिषद की चौथी बैठक रतन टाटा की अध्यक्षता में संपन्न हुयी जिसमें सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन कारणों को पहचानने का प्रयास किया गया जो मानवीय भूल के कारण घटित होते हैं।

 ©Vision IAS

- रेल बजट भाषण वर्ष 2015 - 16 में कहा गया कि रेलवे से संबद्ध प्रत्येक नये एवं पहले से कार्यरत संगठनों को अपनी कार्य प्रणाली में नवाचार लाते हुए परिवर्तन कर फिर से नया स्वरूप दिये जाने की आवश्यक्ता है, अतः इस परिषद को बनाने का उद्देश्य उद्यम की सरंचना में सुधार कर नवाचार को बढ़ावा देना है।
- भारतीय रेलवे को जहाँ एक तरफ देश के विभिन्न भागों में वहनीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने का सामाजिक दायित्व पूरा करना है वहीं दूसरी ओर एक वाणिज्यिक संगठन की भाँति लाभ कमाते हुए कार्य करना भी इसकी जरुरत है। अतः यहाँ पर आवश्यक्ता है कि इन दोनों उद्देश्यों में संतुलन बनाकर कार्य करते रहने की जिससे लोगों को वहनीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराकर देश की अर्थव्यवस्था में विकास के प्रेरक के रूप में योगदान दिया जा सके।
- बैठक में मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया कि किस प्रकार रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा बनाकर अत्यधिक सुविधायुक्त बनाया जा सके।
- समिति इस बात का भी परीक्षण करेगी जिसमे भारतीय रेल को उपभोक्ता केन्द्रित बनाकर और अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

A.20. मेगा फ़ूड पार्क

(Mega Food Park)

- नवंबर 2015 में तेलंगाना में पहले मेगा फ़ूड पार्क की नींव डाली गयी।
- मेगा फ़ूड पार्क, संग्रहण केन्द्रों (CCs) और प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों (PPCs) से बना हुआ एक केन्द्रोंमुख ढांचा होता है

मेगा फ़ूड पार्क का महत्व

- खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक ढांचे से लैस एक समूह आधारित और मजबूती से चौतरफा जुड़ी हुई श्रृंखला के निर्माण को सुगम बनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक को तीव्र बढ़ावा मिलता है।
- किसानों, प्रसंस्करण कार्य में लगे कर्मियों और खुदरा वितरकों को एक साथ लाकर कृषि-उत्पाद को बाज़ार से जोड़ने का तंत्र उपलब्ध कराता है।
- यह अधिकतम मूल्य संवर्द्धन, कृषि वस्तुओं की न्यूनतम बर्बादी तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करता है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करता है।

VISION IAS

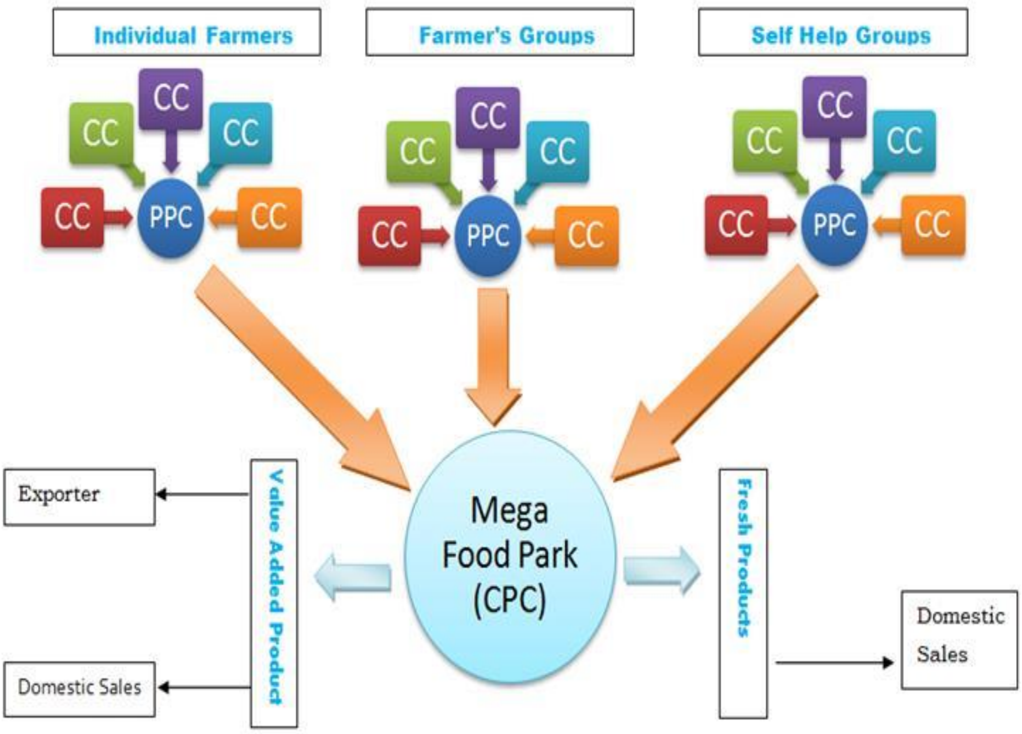

A.21. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास फंड

<u>(Technology Acquisition And Development Fund Under Nmp)</u>

चर्चा में क्यों?

हाल में औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (Development of Industrial Policy and Promotion-DIPP) द्वारा विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास फंड (Technology Acquisition and Development Fund-TADF) का आरम्भ किया गया।

TADF क्या है?

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (MSMEs) द्वारा भारत या विश्व में उपलब्ध साफ़, हरित एवं ऊर्जा दक्षता तकनीकें हासिल करने के लिए यह एक नयी योजना है।
- TADF योजना का क्रियान्वयन "वैश्विक नवोन्मेष तथा प्रौद्योगिकी सहयोग" (GITA) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके तहत निम्न बातें उल्लिखित है:

I. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष समर्थन

II. पेटेंट निकाय (पूल) के माध्यम से तकनीक अधिग्रहण करने में अप्रत्यक्ष मदद

III. तकनीक/उपकरण विनिर्माण सब्सिडी

IV. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ) में स्थित उद्योगों में संसाधन संरक्षण गतिविधियों को सुगम बनाकर यह योजना हरित निर्माण को प्रोत्साहित करेगी।

 ©Vision IAS

A.22. दिवालियापन संहिता

(Insolvency And Bankruptcy Code), 2015

- टी. के विश्वनाथन की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय द्वारा एक दिवालियापन कानून सुधार समिति बनायी गयी है। हाल ही में इसने Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) नामक ड्राफ्ट बिल के साथ अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस कोड का उद्देश्य दिवालियेपन से सम्बंधित मामलों के समाधान में देरी को कम करने और उधार दी गयी राशि की वसूली में सुधार से है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उपाय किये गए हैं।

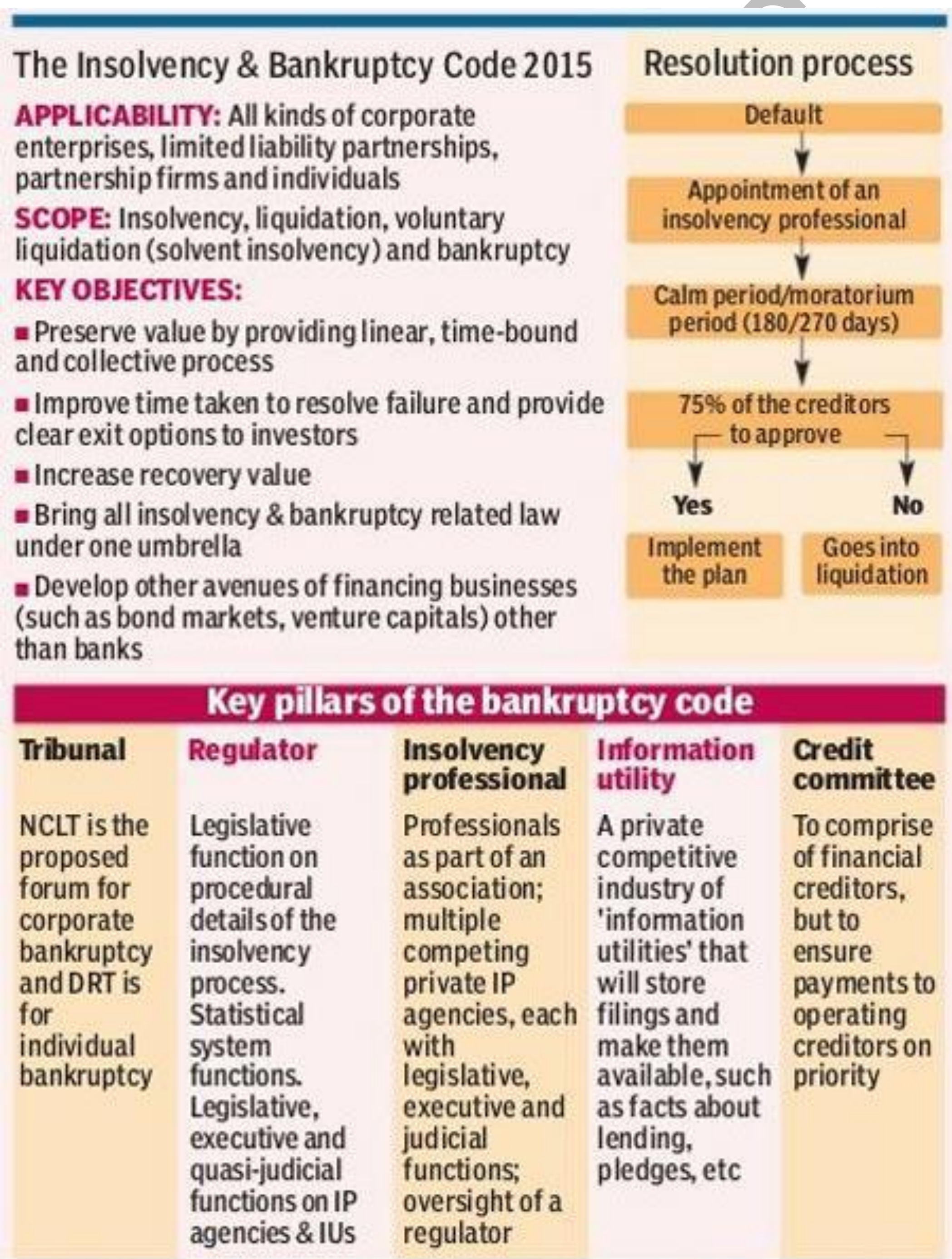

©Vision IAS

कानून की मुख्य विशेषताएँ-

1. अधिक से अधिक कानूनी स्पष्टता के लिए एक एकीकृत कोड।
2. दिवाला या दिवालियापन के मामलों को हल करने के लिए 180 दिन का नियत समय जिसे एक बार और 90 दिनों के लिए बढाया जा सकता है।
3. एक नये नियामक की IBBI (the Insolvency and Bankruptcy Board of India) की संस्थापना। यह पेशेवरों/ दीवालियेपन तथा सूचना के उपयोग के साथ निपटने वाली एजेंसियों को विनियमित करने का कार्य करेगा।
4. बिल में सूचना उपयोगिता और दिवालिया व्यक्ति डेटाबेस का प्रस्ताव है।
5. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में एक विशेष खंडपीठ की स्थापना जो कंपनियों, सीमित देयता संस्थाओं के ऊपर दिवालियापन मामलों पर निर्णय करेगी।
6. NCLT के आदेश पर अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ("NCLAT") में की जाएगी। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ("डीआरटी"), व्यक्तियों और असीमित देयता भागीदारी फर्मों पर अधिकार क्षेत्र के साथ निर्णायक प्राधिकरण होगा।
7. यह संहिता कॉर्पोरेट ऋणी को ऋण में एक बार डिफ़ॉल्ट हो जाने पर खुद दीवालिया संकल्प की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देता है।
8. लेनदारों के विभिन्न वर्गों द्वारा दावों को प्राथमिकता दी गयी है।

VISION

A.23. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष

(National Investment And Infrastructure Fund-NIIF)

NIIF का उद्देश्य

- अवरुद्ध परियोजनाओं सहित वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में अवसंरचना के विकास के माध्यम से **आर्थिक प्रभाव को उच्चतम सीमा** तक बढ़ाना,
- **घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों** स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना,
- अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश प्रवाह बढ़ाना
- यह भारत में अवसंरचना संबंधी समस्यायों को दूर करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है। **कई कोषों को एक साथ मिलाकर यह एक समावेशक की तरह** कार्य करेगा।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने 40000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना की है।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष क्या है?

- यह देश में अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक कोष है।
- चालू वित्त वर्ष में सरकार ने इस हेतु 20000 करोड़ रूपए का योगदान दिया है और शेष 20000 करोड़ रूपए संप्रभु संपदा कोष के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा।
- यह सेबी के तहत कैटेगरी II वैकल्पिक निवेश कोष (category II alternative investment fund) के रूप में पंजीकृत है।
- अवरुद्ध परियोजनाओं सहित अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए यह एक संप्रभु कोष है।
- NIIF की दोहरी भूमिका होगी- परियोजनाओं में इक्विटी पूंजी डालना और अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए यथोचित योगदान देना।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के कार्य

- अपतटीय ऋण संवर्धन बांड और भरोसेमंद निवेशकों को कोष में भागीदार के रूप में भाग लेने के लिए आकर्षित करने जैसे उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से कोष बढ़ाना।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के निवेशकों को सेवा प्रदान करना।
- निवेश के लिए कंपनियों/संस्थाओं/परियोजनाओं को ध्यान में रखना और उनका अनुमोदन करना तथा निवेश की समय-समय पर निगरानी करना।
- निजी इक्विटी में निवेश के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा बनाये गए कोष में निवेश।
- अवसंरचना परियोजनाओं का एक समूह बनाना और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना।

VISION IAS

 ©Vision IAS

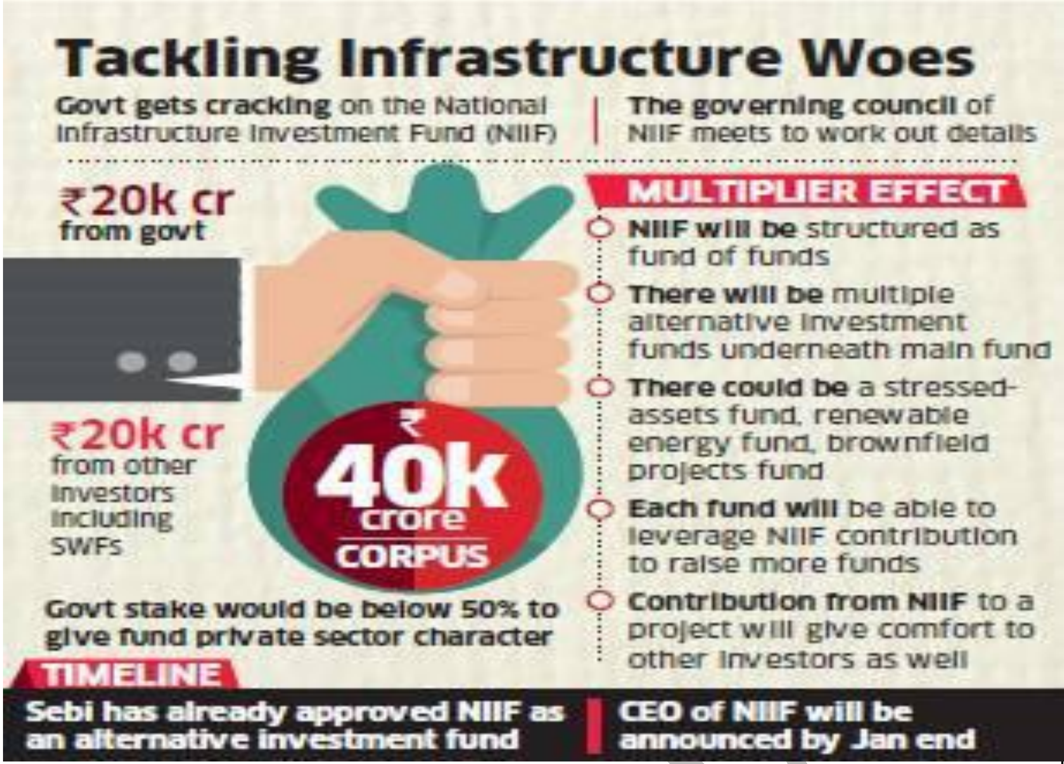

NIIF के लिए स्रोत

- स्ट्रेटजिक एंकर साझेदारों से इक्विटी भागीदारी इसके वित्तीयन का एक प्रमुख स्रोत होगा। भारत सरकार इसे एक संप्रभु कोष के रूप में स्थापित करने के लिए योगदान देगी और उसमें सह-निवेश करने के लिए विदेशी संप्रभु / अर्ध संप्रभु / बहुपक्षीय / द्विपक्षीय निवेशकों को आकर्षित करेगी।
- वार्षिक योजना के आधार पर अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित प्रत्येक इकाई के लिए प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा धन मुहैया कराया जायेगा।
- रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के संप्रभु संपदा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पेंशन फंड ने भारत के 40000 करोड़ रुपये के इस राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के भागीदार बनने में रुचि प्रदर्शित की है।

संरचना

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष को सेबी के विनियमों के तहत एक या अधिक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 20000 करोड़ रुपये होगी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा। सरकार इस कोष में प्रति वर्ष 20000 करोड़ रुपये तक का योगदान दे सकती है। वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित प्रत्येक इकाई में सरकार की हिस्सेदारी 49% होगी और इसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकेगा। अर्थात, कुल 49% का योगदान सीधे सरकार द्वारा किया जायेगा, जबकि शेष राशि का योगदान अन्य निकायों द्वारा किया जाएगा।

VISION IAS

गवर्नेंस

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष को कराधान और लचीलेपन की दृष्टि से एक ट्रस्ट/ अन्य कानूनी इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की गवर्निंग काउंसिल में अंतरराष्ट्रीय वित्त विशेषज्ञ, प्रख्यात अर्थशास्त्री और अवसंरचना पेशेवरों के साथ-साथ सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इसमें अन्य गैर-सरकारी शेयरधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।
- गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में उनकी पदावधि तथा सेवा शर्तों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा।
- NIIF के लिए एक या अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा और विशेषज्ञ स्टाफ की सीमित संख्या के साथ एक छोटा निवेश दल भी होगा।
- परियोजना के चयन के लिए NIIF के पास पूर्ण स्वायत्तता होगी। परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं के चयन मानदंड के लिए NIIF दिशानिर्देश तैयार करेगा और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

A.24. विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनरुद्धार योजना

(SEZ Revival Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चूँकि 'मेक इन इंडिया' अभियान को समर्थन प्रदान करने के लिए और निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आधार हैं इसलिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की समस्याओं की समीक्षा करने और उसे हल करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया था।

विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं?

विशेष आर्थिक क्षेत्र वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें देश में गैर- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इनमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधायें होती हैं और ये कर मुक्त परिक्षेत्र होते हैं।

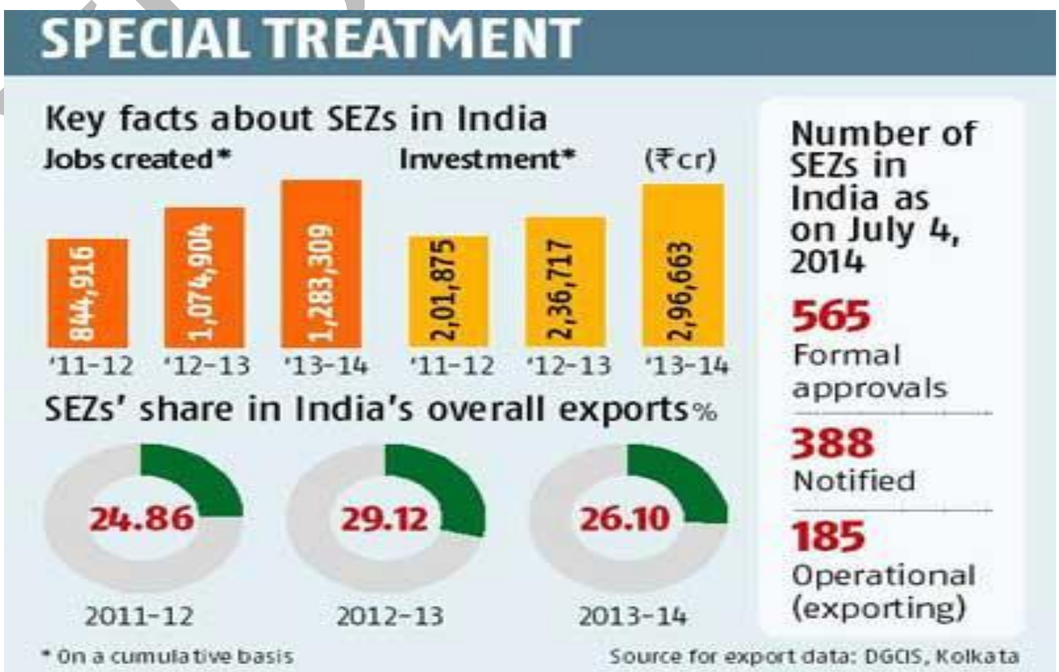

VISION IAS

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन।
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन देना।
- रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- बुनियादी सुविधाओं का विकास।

विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों विफल रहे?

- क्षेत्र के बाहर निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति के तहत प्रोत्साहन की पेशकश
- मुक्त व्यापार समझौतों से उत्पन्न हतोत्साहन
- न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर
- भूमि अधिग्रहण प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- सेज में श्रम कानून का लचीला न होना
- वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच मतभेद की वजह से नीतिगत अनिश्चितता।

A.25. 'स्टार्ट-अप इंडिया' कार्यक्रम

(Startup India Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस योजना के तहत उद्यमियों को भारत में उद्यम (वेंचर) शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है।
- स्टार्ट-अप कार्य योजना के अंतर्गत 19 सूत्रीय कार्रवाई की सूची जारी की गई है, जिसमे इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना किये जाने, आसान पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, विभिन्न लाभों पर कर में छूट शामिल है| इसके अतिरिक्त, 10,000 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि की स्थापना, व्यवसाय की शुरुआत करने में आसानी, सरल निकासी प्रणाली आदि की भी घोषणा की गई है।

VISION IAS

स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

- सीड-कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप में इन्क्युबेटर (विशेष रूप से सहयोगी स्टाफ और उपकरणों के साथ, नए छोटे व्यवसायों के लिए कम किराए पर उपलब्ध एक जगह) के लिए बाजार में प्रचलित मूल्यों के ऊपर कर में छूट प्रदान की है।
- स्टार्ट-अप पर नियामकीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से, उन्हें तीन साल की अवधि के लिए छह श्रम कानूनों और तीन पर्यावरण कानूनों के अनुपालन से छूट दी गई है।
- स्टार्ट-अप को बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) से संबंधित आवेदनों के संदर्भ में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्टार्ट-अप द्वारा दायर पेटेंट आवेदन कम कीमत पर शीघ्रता से निपटाए जाएंगे।
- गुणवत्ता मानकों या तकनीकी मानकों में कोई छूट प्रदान किए बगैर, सरकारी खरीद में स्टार्ट-अप के लिए एक समान मंच उपलब्ध कराने के लिए, इन्हें पूर्व अनुभव या टर्नओवर (कारोबार) के मानदंडों से मुक्त रखा जाएगा।
- सरकार, सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत देश भर में इन्क्यूबेटरों की स्थापना के लिए एक नीतिगत ढांचा का निर्माण करेगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ सात नए शोध पार्कों की स्थापना भी की जाएगी।
- अगले चार वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- सरकार एक **स्टार्ट-अप इंडिया हब स्थापित करेगी जो स्टार्ट-अप के लिए संपर्क करने का एकल-बिंदु केंद्र** होगा।
- इन्क्यूबेशन तथा अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को संवर्धित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में 1,200 से अधिक स्टार्ट-अप के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नवाचार और उद्यमिता के 31 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी अथवा ऐसे केंद्रों को उन्नत किया जाएगा।
- 7 नए शोध पार्कों (प्रत्येक शोध पार्क में 100 करोड़ रूपये का एक आरंभिक निवेश) की स्थापना की जाएगी। ये पार्क अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों को एक आधार प्रदान करेंगे तथा उन्हें शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनायेंगी।

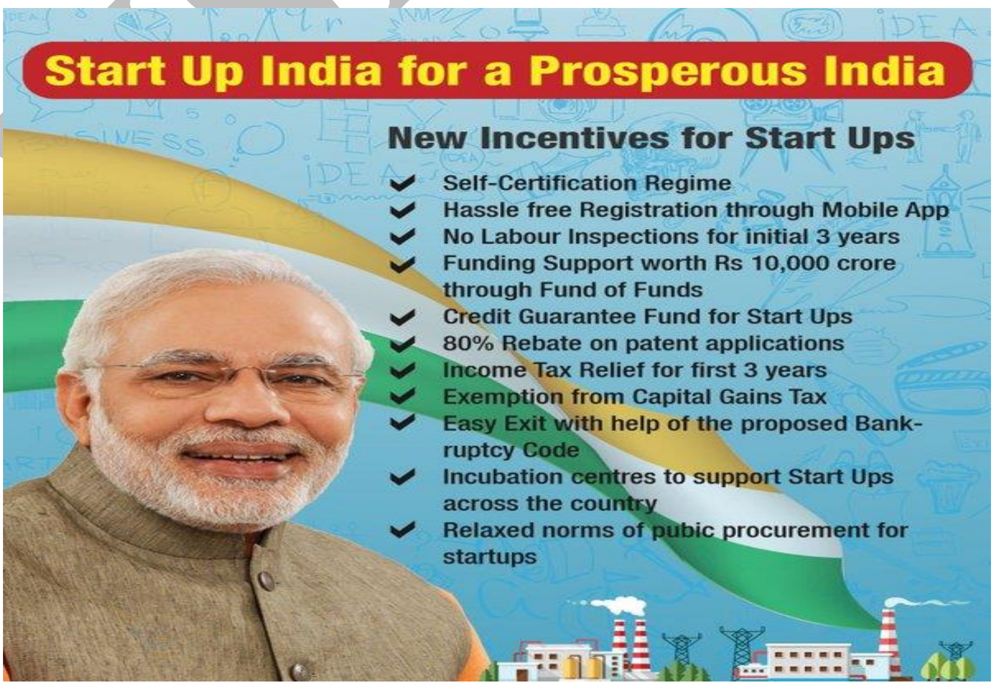

VISION IAS

स्टार्ट-अप कार्यक्रम के लाभ:

- इससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
- इससे भारत में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- इससे भारत में उद्यमशीलता की संस्कृति के विकास में मदद मिलेगी।

स्टार्टअप के लिए मानदंड

- शामिल फर्म पांच वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- फर्म का कुल वार्षिक राजस्व 25 करोड़ रुपये से कम हो।
- कर छूट संबंधी लाभ के लिए पात्र होने के लिए अंतर-मंत्रालयी बोर्ड से मंजूरी लेने की आवश्यकता।
- कोई फर्म 'स्टार्ट अप' की कोटि में तभी आएगी जबकि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इनक्यूबेटर से अनुसंशित हो अथवा घरेलू वेंचर फंड आधारित हो। यदि कंपनी भारतीय पेटेंट आधारित हो तो भी उसे स्टार्टअप की कोटि में शामिल किया जायेगा।

A.26. किराया तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु रेल नियामक

(Rail Regulator To Set Fares, Ensure Fair Competition)

- केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित एक परिपत्र में एक 'रेल नियामक' यानि 'भारतीय रेल विकास प्राधिकरण' की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- एक अपीलीय निकाय के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसकी भूमिका, संरचना और संगठन दूरसंचार व विद्युत क्षेत्रों के नियामकों के समान होगी।

ON THE AGENDA

- Regulator to set passenger and freight tariff
- Ensure fair play and level playing field for private investments in Railways
- Maintain efficiency and performance standards
- Disseminate information such as statistics and forecasts related to the sector
- An appellate body will be constituted
- Indian Railways will be compensated appropriately through budgetary support if proposed tariff not accepted by government

नियामक के लिए प्रस्तावित अधिदेश:

- यात्री और माल भाड़े का किराया (टैरिफ) निर्धारित करना।
- रेलवे में निजी निवेशकों के लिए पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करना।
- प्रदर्शन के मानकों और दक्षता को बनाए रखना।
- इस क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों और पूर्वानुमानों से संबंधित सूचना का प्रसार करना।

प्रस्तावित रेल नियामक के लाभ:

- इससे रेलवे के प्रकार्यों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- यह रेलवे को अपने घाटे से उबरने में मदद करेगा, जो रेलवे को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाएगा।
- यह रेलवे में निजी निवेश को आकर्षित करेगा, जो रेलवे को इसकी सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में मददगार सिद्ध होगा।

A.27. व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम 2015

(Trade Facilitation and Trade Enforcement Act 2015)

सुर्खियों में क्यों?

फ़रवरी 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जो बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों को लागू करेगा।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि USTR, बौद्धिक संपदा नीति सहित अमेरिकी व्यापार नीति के प्रवर्तन की देखरेख करते हैं। USTR वार्षिक तौर पर स्पेशल 301 सूची जारी करता है। यह देशों को उनके बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटता है:-
- प्रायोरिटी फॉरिन कंट्री (PFC)- सबसे गंभीर उल्लंघन करने वाले (most serious violators)
- प्रायोरिटी वाच लिस्ट (PWL)- गंभीर उल्लंघन करने वाले (Serious offenders)
- वाच लिस्ट (WL)- कम उल्लंघन करने वाले (less serious offenders)
- भारत को पिछले 2 वर्षों से PWL देशों की श्रेणी में रखा गया है।

अधिनियम के वे मुख्य प्रावधान जो भारत को प्रभावित कर सकते हैंः

- इस अधिनियम के अनुसार, USTR को PWL में शामिल देशों के संदर्भ में एक बेंचमार्क के साथ एकतरफा कार्य योजना विकसित करना होता है।
- इस बेंचमार्क को पालन करने से मना करने वाले देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
- इसने USTR कार्यालय के अंतर्गत "मुख्य नवाचार और बौद्धिक संपदा वार्ताकार" (Chief Innovation and Intellectual Property Negotiator) नामक एक नया पद सृजित किया है, जो अमेरिका के नवाचारों और बौद्धिक संपदा के हितों की रक्षा करेगा।
- इसने अमेरिका के लिए उचित और न्यायसंगत बाजार पहुंच सुनिश्चित करने व अन्य देशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक अलग कोष की भी स्थापना की है।

A.28. मुद्रा (MUDRA) का बैंक में रूपांतरण

(Conversion Of Mudra Into Bank)

- सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में मुद्रा लिमिटेड का रूपांतरण मुद्रा (MUDRA) बैंक के रूप में तथा मुद्रा (MUDRA) ऋण के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना करने को मंजूरी प्रदान किया है।

VISION IAS

क्रेडिट गारंटी फंड (CGF) के गठन का उद्देश्य:

- CGF के गठन का मुख्य उद्देश्य ऋण संवितरण में जुड़े मध्यस्थों, जैसे- MFI/बैंक/ NBFC अथवा अन्य वित्तीय सूक्ष्म और लघु इकाइयों, के ऋण जोखिम को कम करना है। MFIs अब पुनर्वित्त के लिए अथवा क्रेडिट गारंटी लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के साथ मुद्रा (सिडबी) बैंक के रूप में सदस्य ऋण संस्थान (MLI-Member Lending Institutions) बन सकते हैं।

A.29. थोक औषधि (बल्क ड्रग्स) नीति मसौदा

(Draft Bulk Drug Policy)

- कटोच समिति की सिफारिशों के आधार पर औषधि विभाग ने थोक औषधि नीति का मसौदा जारी किया।
- थोक दवा निर्माताओं को उम्मीद है कि यह नीति भारत के सक्रिय दवा सामग्रियों (active pharmaceutical ingredients) के बाजार को पुनर्जीवित करेगी और नई विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और मौजूदा सुविधाओं के संवर्धन के लिए 30000-40000 करोड़ रुपए मूल्य के नए निवेश को गति प्रदान करेगी।

थोक औषधि क्या हैं?

- थोक औषधि या सक्रिय दवा सामग्री मूल रूप से किसी औषधि में प्रयोग होने वाला सक्रिय कच्चा माल होता है जो औषधि को चिकित्सीय प्रभाव देता है।
- थोक औषधि का दवा उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं:

- वर्ष 2030 तक भारतीय फार्मा क्षेत्र को 200 अरब डॉलर का बनाना।
- इसे सक्रिय दवा सामग्री की विनिर्माण क्षमताओं को विकसित कर प्राप्त किया जाएगा।
- सक्रिय दवा सामग्री के लिए पृथक स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा प्रबंधित मेगा पार्क।
- निर्माताओं के लिए सुलभ ऋण।
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश।
- कर लाभ और आयात शुल्क में छूट।
- अन्य मंत्रालयों के साथ संपर्क के लिए अलग संस्थागत तंत्र (जैसे- पर्यावरण मंजूरी, विद्युत आपूर्ति आदि)।

A.30. गैर-कर राजस्व ई-पोर्टल

(Non Tax Revenue E-Portal)

- वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गैर-कर राजस्व वसूल करने के लिए गैर-कर रसीद पोर्टल (Non-tax receipt portal) की शुरूआत की।
- यह केंद्र सरकार को गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों या निगमों या अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए एकल बिंदु प्लेटफार्म प्रदान करता है।

VISION IAS

- करों को काफी हद तक ई-पेमेंट प्रणाली से जमा किया जाता है, जबकि गैर-कर राजस्व अधिकतर बैंक ड्राफ्ट या चेक या नकदी जैसे भौतिक उपकरणों के माध्यम से जमा किया जाता है।
- ऑनलाइन भुगतान या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके किया जाता है।
- NTPC ने सरकार को 989 करोड़ रूपए का अंतरिम लाभांश जमा करके पोर्टल पर प्रथम भुगतान किया।

महालेखा नियंत्रक:

- महालेखा नियंत्रक भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और तकनीकी रूप से स्वस्थ प्रबंधन लेखा प्रणाली को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
- वह व्यय, राजस्व, ऋण और घाटे पर वित्त मंत्री के लिए हर माह का एक समालोचनात्मक विश्लेषण तैयार करता है।
- वह संसद में प्रस्तुति के लिए वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखा भी तैयार करता है।

गैर-कर राजस्व क्या है?

- इसमें मुख्य रूप से लाभांश, ब्याज प्राप्ति, स्पेक्ट्रम शुल्क, रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत फार्म तथा आवेदन शुल्क शामिल है।
- सरकार के लिए गैर-कर राजस्व का प्रमुख स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा भुगतान किया गया लाभांश है।
- गैर-कर राजस्व की वार्षिक प्राप्ति 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है।

A.31. मेक इन इंडिया : अक्षय ऊर्जा

(Make In India: Renewable Energy)

सुर्खियों में क्यों?

- मेक इन इंडिया सप्ताह के दौरान अक्षय उर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए **अक्षय ऊर्जा संगोष्ठी** आयोजित की गयी थी।
- हाल ही में **ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष केवी कामत** ने घोषणा की कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की अधिकांश प्रारंभिक परियोजनायें, संख्या और मूल्य दोनों में, हरित (पर्यावरण के अनुकूल) होंगी। बैंक इस साल करीब एक दर्जन से अधिक ऐसी परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा।

निवेश करने का कारण:

- भारत 271 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ दुनिया भर में पांचवां सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है।
- आर्थिक विकास, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी से देश में ऊर्जा का उपयोग बढ़ गया है।

VISION IAS

- पवन ऊर्जा भारत में अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा से 100000 मेगावाट बिजली पैदा करना है।
- भारत ने वर्ष 2015 के बजट में घोषणा की कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। एक साल में भारत की कुल स्थापित क्षमता करीब 28 गीगावॉट है।

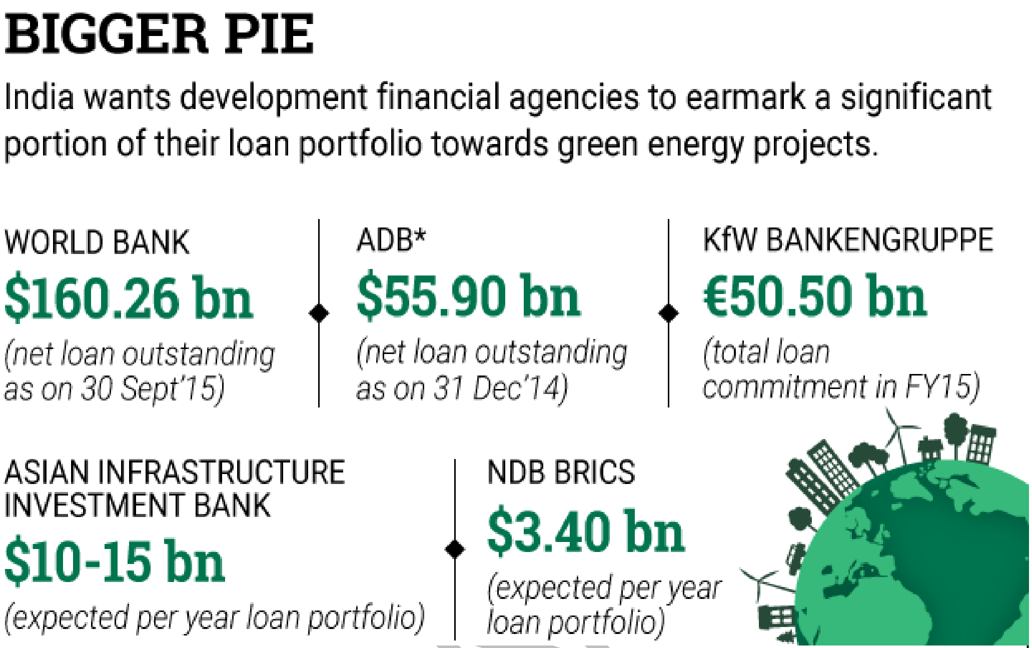

A.32. एकीकृत भुगतान इंटरफेस परियोजना

(Unified Payment Interface Project)

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और सॉफ्टवेयर थिंक टैंक ISpirt, एक नए एकीकृत भुगतान इंटरफेस के तकनीकी लोकार्पण के लिए तैयार हैं। इससे एक मोबाइल फोन का उपयोग कर पीपल टू पीपल(P2P) लेनदेन किसी भी बैंक खाते से अन्य बैंक खाते में हो सकेगा।
- यह अंतर-प्रचालित मोबाइल भुगतान प्रणाली लोगों के बीच भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
- अंततः यह बिना किसी बैंक खाते के उपयोग के, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर भुगतान को सक्षम बनाएगा और अगर लोग उनके खुद के बैंक खाते का विवरण साझा न करने चाहे तो उनके आधार संख्या या वर्चुअल एड्रेस (आभासी पता) के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा।
- बैंक पिछले पाँच साल से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए तत्काल भुगतान सेवा का उपयोग कर रहे हैं, अतः एकीकृत भुगतान इंटरफेस तत्काल भुगतान सेवा के मामले में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह मोबाइल एप के माध्यम से अंतर-बैंक संपर्क की सहज अनुमति देता है जिसका इस्तेमाल व्यापारियों को भुगतान करने के साथ-साथ ऑफ़लाइन आधार पर अन्य 'निकटता भुगतान' ('proximity payments')करने के लिए किया जा सकता है।
- यह एक बहुत ही सरल आवेदन कार्यक्रम इंटरफेस (API) है जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों भुगतान (push and pull payments) उपलब्ध कराएगा। हम आपस में पैसा एक दूसरे को भेज सकते हैं, पैसे का अनुरोध कर सकते हैं और कुछ खरीदने पर दुकानदार/व्यापारी हमसे पैसों का अनुरोध कर सकते हैं जिसे हम मोबाइल पर स्वीकार कर सकते हैं।

VISION

लाभ:

- यह उस पुरानी प्रणाली से एक बड़ी छलांग है जिसमें पैसे के भुगतान के लिए विक्रेता को डेबिट/क्रेडिट कार्ड देना होता है तथा जिसमे सुरक्षा जोखिम भी शामिल होता है। इस नई प्रणाली में सब कुछ मोबाइल फोन के माध्यम से संभव है।
- कई नए मोबाइल फोन बॉयोमीट्रिक आईरिस या फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं इसलिए इन उपकरणों पर आधार कार्ड प्रमाणीकरण संभव है।

A.33. इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष

(Electronic Development Fund)

निधि के बारे में:

- इसे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रारंभिक, एंजेल, उद्यम और निजी इक्विटी फंड्स की मदद करने के लिए शुरू किया गया है।
- 2200 करोड़ रुपये का आरंभिक कोष। (जिसे 10000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है)।
- इसका उद्देश्य उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी के आधार पर "नवाचार तथा अनुसंधान और विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र" विकसित करना है।
- यह एक "फंड ऑफ फंड्स (कोषों का कोष)" होगा। कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड इसकी सक्रिय प्रबंधन फर्म होगी जो परिणामस्वरूप पेशेवर प्रबंधित वेंचर फण्ड को जारी करेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि 20% पूँजी को अनुजात फंड (daughter fund) में रखेगी और बाकी 80% पूँजी का वेंचर पूँजीपतियों द्वारा निवेश किया जाएगा। इस अनुजात फंड का मुख्य रूप से स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश किया जायेगा।

इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि की आवश्यकता:

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की माँग वर्ष 2020 तक 400 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी जबकि उस समय तक उत्पादन केवल 104 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत कच्चे तेल से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करेगा जिससे चालू खाता घाटा और बढ़ जायेगा।
- भारत का घरेलू बाजार काफी विशाल है और तकनीकी संसाधनों का एक विशाल भंडार है, साथ ही कुशल और अर्ध कुशल श्रम भी उपलब्ध है।
- उत्पादन को बढ़ाने के अवसरों के साथ, भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनने के लिए तैयार है।

A.34. अनिवार्य लाइसेंस

(Compulsory Licensing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण पर विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया जाएगा जिनमें अनिवार्य लाइसेंस एक महत्वपूर्ण पहलू है।

VISION IAS

अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है

- अनिवार्य लाइसेंस सरकार की ओर से, पेटेंट मालिक की सहमति के बिना, एक पेटेंट आविष्कार का उपयोग करने, उत्पादन, आयात या बेचने की अनुमति है।
- अनिवार्य लाइसेंस विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते की शर्तों के तहत प्रदान किये जाते हैं, जैसे 'राष्ट्रीय आपात स्थिति', 'चरम तात्कालिकता' और 'प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथायें'।
- अब तक भारत ने केवल एक ही अनिवार्य लाइसेंस जारी किया है – कैंसर की एक दवा नेक्सावार के लिए।

A.35. इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल का शुभारंभ

(India Nuclear Insurance Pool Launched)

- भारतीय साधारण बीमा निगम (G.I.C.) और 11 अन्य गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने इंडिया न्यूक्लियर इंश्यारेंस पूल का गठन किया है।
- इसकी धारिता 1,500 करोड़ रुपये होगी।
- न्यू इंडिया एश्योरेंस, पॉलिसी जारी करेगा और पूल में भागीदारी करने वाली सभी प्रत्यक्ष बीमा कंपनियों की ओर से संचालकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए कवर का प्रबंधन करेगा।
- प्रस्तावित पॉलिसियां दो प्रकार की होंगी: परमाणु संचालनकर्ता दायित्व (सी.एल.एन.डी अधिनियम 2010) बीमा पॉलिसी और परमाणु आपूर्तिकर्ता विशेष आकस्मिकता (आश्रय के अधिकार के प्रति) बीमा पॉलिसी।
- आरंभ में इसके द्वारा तृतीय पक्ष दायित्व बीमा के निपटान की आशा की जाती है और बाद में संपत्ति और अन्य हॉट जोन (रिएक्टर क्षेत्रों के अंदर) के जोखिम तक इसका विस्तार किया जाएगा। यह संचालनकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं, दोनों को कवर करेगा। वर्तमान में केवल कोल्ड जोन (रिएक्टर के बाह्य क्षेत्र) आच्छादित हैं।

VISION IAS

B.मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति

B.1. भुगतान बैंक(पेमेंट बैंक) से जुड़े मुद्दे

(Payment Banks issues)

मामला क्या है?

भुगतान बैंकों के लिए आवेदन करने में शुरुआती उत्साह के बाद, टेक महिंद्रा, संघवी और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने अब इसमें निवेश न करने का फैसला किया है।

भुगतान बैंक क्या हैं?

- ये विशेष प्रकार के बैंक हैं जो केवल 1 लाख रुपये तक की जमा राशि किसी ग्राहक से स्वीकार कर सकते हैं, परन्तु इन्हें ऋण देने की अनुमति नहीं है। ये एटीएम या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परन्तु क्रेडिट कार्ड नहीं।
- भुगतान बैंकों का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को और ज्यादा बढ़ाना है।
- प्रारंभिक जांच के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 11 कंपनियों को भुगतान बैंकों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी थी।

लाइसेंस धारकों की सूची

- रिलायंस इंडस्ट्रीज
- आदित्य बिड़ला नूवो (आइडिया सेल्युलर)
- एयरटेल
- वोडाफोन
- डाक विभाग
- FINO पे टेक
- राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
- पेटीएम (विजय शेखर शर्मा)

लाइसेंस धारक जिन्होंने छोड़ने का फैसला किया

- टेक महिंद्रा
- दिलीप सांघवी
- चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस

B.2. सकारात्मक जोन में WPI

(WPI in Positive Zone)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अप्रैल माह में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर 0.34 प्रतिशत पर आ गयी।
- पिछले 17 महीने से यह नकारात्मक जोन में था। पिछले वर्ष अप्रैल में WPI -2.43 प्रतिशत (minus 2.43%) था।

VISION IAS

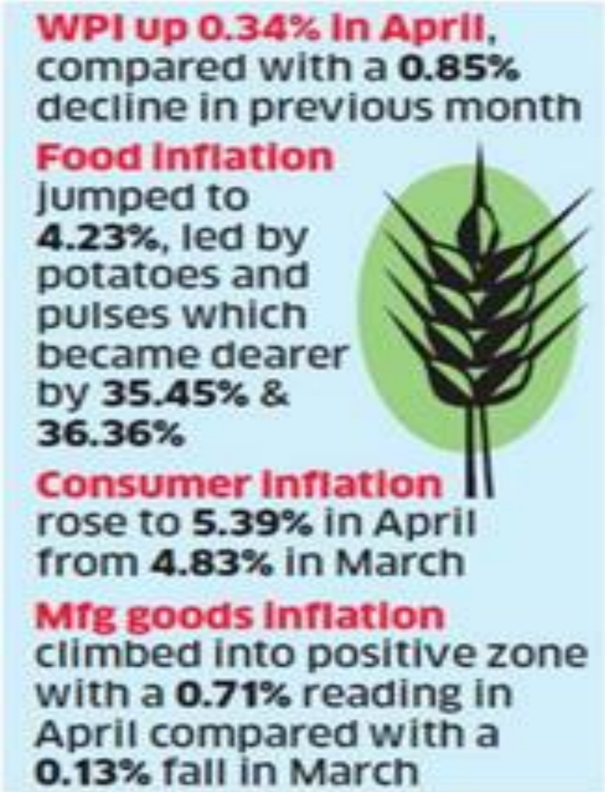

WPI के बढ़ने का कारण

- खाद्य पदार्थों जैसे कि आलू, दालें और चीनी के मूल्य में वृद्धि।
- आपूर्ति पक्ष में कमी और खाद्य अर्थव्यवस्था में कुप्रबंधन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति।
- लगातार दो साल से पड़ रहे सूखे से आपूर्ति की स्थिति और बदतर हो गयी है।
- सरकार द्वारा मनमाने ढंग से और असमय हस्तक्षेप से। उदाहरण के लिए चीनी के कम उत्पादन के बावजूद निर्यात की अनुमति देना।

WPI में वृद्धि के निहितार्थ

- यह अर्थव्यवस्था में कीमत में सख्ती की ओर संकेत करता है।
- WPI में वृद्धि CPI में वृद्धि लाएगा। यह RBI को कठोर मौद्रिक उपायों को अपनाने पर मजबूर कर सकता है जिससे कि हैडलाइन मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखा जा सके।

B.3. नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु सीपीआई एकमात्र पैमाना

(CPI To Be Sole Parameter For Setting Policy Rates)

चर्चा में क्यों ?

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई) में कई वस्तुओं एवं सेवाओं के आधार वर्ष एवं भार को अपडेट किया है| अब जबकि RBI और वित मंत्रालय दोनों इस बिंदु पर सहमत हो चुके हैं कि सीपीआई ही नीतिगत दर निर्धारण एवं मुद्रास्फीति अनुमान का एकमात्र पैमाना है, इसलिए इन संशोधनों के व्यापक प्रभाव होंगे|

VISION IAS

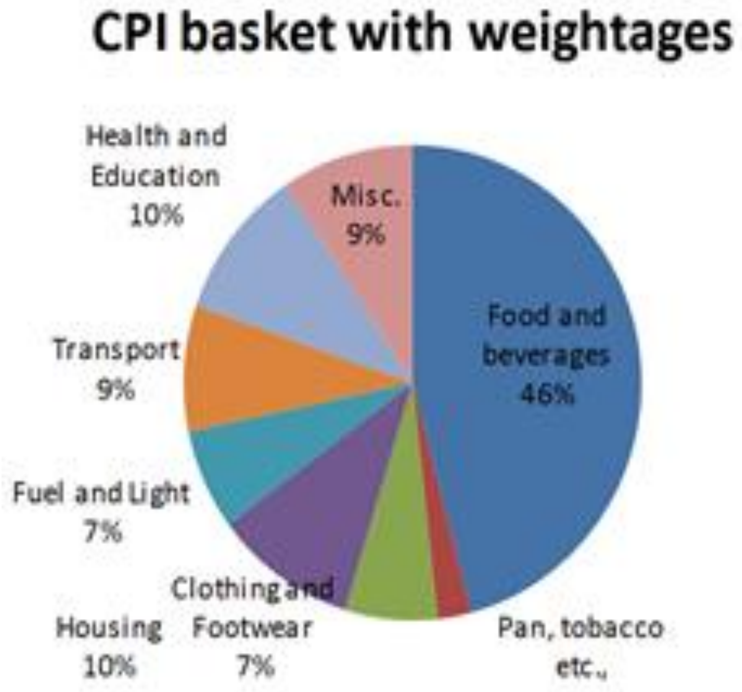

सकारात्मक प्रभाव: सीपीआई आधारित नीतिगत दरों का प्रयोग करना (मुद्रास्फीति लक्ष्य)

- विश्वसनीयता: प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। स्थिरता भविष्य में विश्वास को प्रेरित करती है और निर्णय निर्माण में सहायता करती है |
- मुद्रास्फीति की लागतों में कमी: मुद्रास्फीति में वृद्धि कई आर्थिक लागतों को बढावा देती है जैसे अनिश्चितता जिस से निम्न निवेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नुकसान और बचत के मूल्य में कमी।
- अतिवृद्धि एवं शिथिलता चक्र को रोकना: उच्च मुद्रास्फीति वाली संवृद्धि आर्थिक मंदी जैसी दशा उत्पन्न कर सकती है और स्थिर एवं सतत आर्थिक वृद्धि भी प्रदान करती है |

B.4. ऑन-टैप बैंकिंग लाइसेंस

(On-Tap Banking Licenses)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑन-टैप बैंकिंग लाइसेंस के लिए नयी मसौदा नीति(ड्राफ्ट पॉलिसी) जारी किया है।
- पिछले 2 वर्षों में रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया की गति को बढ़ा दिया है।
- यूनिवर्सल बैंक, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक जैसी 23 संस्थाओं को विभिन्न वर्गों के तहत बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है।

मसौदा नीति में लाइसेंस देने के लिए मानदंड

- 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी,
- 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड,
- व्यक्तिगत आवेदकों के लिए बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में 10 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता है,

VISION IAS

- तीन साल के लिए न्यूनतम 13 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात,
- 5000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले फर्मों के लिए, समूह की गैर-वित्तीय कारोबार की कुल संपत्ति या सकल आय का 40% से अधिक योगदान नहीं चाहिए,
- प्रमोटरों की हिस्सेदारी 10 वर्षों में कम करके 30 फीसदी तक और 12 वर्षों में कम करके 15 प्रतिशत तक करना होगा।
- बैंक को छह साल के भीतर शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

B.5. गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)

गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ क्या हैं ?

- बैंकों की परिसंपत्तियाँ जो अपेक्षित कार्य निष्पादित नहीं करती (अर्थात् – कोई प्रतिफल नहीं लाती) गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) या फंसे हुए कर्ज (बैड लोन) कहलाती हैं|
- ग्राहकों को दिये गये ऋण तथा अग्रिम, बैंकों की परिसंपत्तियाँ होते हैं| यदि ग्राहक ब्याज या मूलधन का भाग या दोनों में से किसी का भी भुगतान नहीं करता है तो ऐसे ऋण, फंसे हुए कर्ज (बैड लोन) में परिवर्तित हो जाते हैं|
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, सावधि ऋण जिन पर ब्याज या मूलधन की किश्त, एक विशेष तिमाही के अंत से 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं चुकाई जाती हैं तो इसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहलाती हैं|

कृषि/कृषिक्षेत्र ऋणों के संदर्भ में NPA ऐसे परिभाषित किया जाता है:

- कम अवधि की फसल के लिए, कृषि ऋण 2 फसल सीजन (मौसम) के लिए भुगतान नहीं किया है।
- लंबी अवधि की फसलों के लिए, उपरोक्त देय तिथि से 1 फसल सीजन (मौसम) होगा।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के कारण

आंतरिक कारक

- **निधि की कमी-** प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों को (SCs / RCs) अपने विस्तार के लिए तथा क्षेत्र में एक उपयोगी भूमिका निभाने के लिए वृद्धिशील (incremental) पूँजी की आवश्यकता होती हैं|
- **गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का मूल्य निर्धारण-** विक्रेताओं द्वारा अपेक्षित मूल्य तथा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा निविदित मूल्य के बीच का अन्तराल बढ गया हैं, जिससे नीलामियों की सफलता दर घट रही हैं|
- मानसून की कमी के कारण, भारत के कृषि ऋण की परिसंपत्ति गुणवत्ता उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होती हैं|
- जिस विशेष उद्देश्य हेतु ऋण लिए गए थे उस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाना,
- वितरित ऋणों की अपर्याप्त वसूली |
- गैर-आर्थिक लागत पर निर्मित अतिरिक्त क्षमता।

VISION IAS

- कॉर्पोरेट समूह की पूँजी बाज़ार से इक्विटी या अन्य ऋण साधन द्वारा पूँजी जुटाने में असमर्थता |
- व्यापार की असफलताएं |
- नयी परियोजनों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए प्रदत्त कोष का सहयोगी संस्थाओ की सहायता आदि में उपयोग करना|
- इरादतन चूक, धन की हेराफेरी , धोखाधड़ी, विवाद, प्रबंधन के विवाद, ग़बन इत्यादि के कारण|
- बैंकों की तरफ से कमियाँ जैसे कि साख निर्धारण में, निगरानी तथा जाँच की प्रक्रिया का उचित रूप अनुपालन न होने से अनेक सरकारी निकायों द्वारा भुगतान आदि के निपटाने में देरी इत्यादि से|

बाहय कारक

- **सुस्त कानूनी व्यवस्था :**
  - लम्बी क़ानूनी उलझने
  - श्रम कानूनों में किये गए बदलाव
  - गंभीर प्रयासों का अभाव
- कच्चे माल की कमी, कच्चे माल/आगतों के मूल्य में वृद्धि, निवेश मूल्य में बढ़ोत्तरी, बिजली की कमी, औधोगिक मंदी, अतिरिक्त क्षमता, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे कि बाढ़, दुर्घटना |
- विफलताएं, अन्य देशो में गैर भुगतान/बकाया, अन्य देशों में मंदी, राष्ट्रों के नियमों में परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव, प्रतिकूल विनिमय दर इत्यादि |
- सरकारी नीतियां, जैसे उत्पाद शुल्क में परिवर्तन, आयात शुल्क में परिवर्तन इत्यादि |

B.6. भारत में अपस्फीति

(Deflation In India)

मुद्रास्फीति और अपस्फीति में अंतर

मुद्रास्फीति (INFLATION)

मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि का एक पैमाना हैं | यदि अगस्त 2014 में आलू की कीमत 100 रुपये प्रति किग्रा हैं, और यदि अगस्त 2015 में कीमत 110 रुपये हो जाती हैं तो आलू की कीमत में मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत थी। जब ऐसा अपेक्षाकृत दीर्घ समयावधि के लिए सभी वस्तुओं के मूल्यों में होता हैं तो हम कह सकते हैं की अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का अनुभव कर रही हैं।

अपस्फीति (DEFLATION)

अपस्फीति मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है | अर्थात् कीमतें एक अवधि से दूसरी तक गिरती जाती हैं | इस प्रकार अपस्फीति वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में एक गिरावट है | जब मुद्रास्फीति की दर 0 प्रतिशत से नीचे गिर जाती हो (एक ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर) अपस्फीति होती हैं।

सकारात्मक प्रभाव

- अपस्फीति को एक अस्थायी अवस्था के रूप में माना जा सकता है जो बजट को संतुलित तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगी।

VISION IAS

* मध्यम श्रेणी की अपस्फीति बचतकर्ताओं तथा निवेशको के लिए लाभदायक हो सकती हैं क्योकि उनकी परिसम्पत्तियों का मूल्य अपस्फीति की दर के सापेक्ष बढ़ती है |
* सामान्यत:, जब श्रम बल में शिथिलता होती हैं तब मजदूरी दर निम्न रखने का दबाव होता हैं, जोकि व्यापार के लिये अच्छा समझा जाता हैं | व्यापारी मजदूरों को कम भुगतान करके ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं |

नकारात्मक प्रभाव

* अपस्फीति ऋणधारकों के लिए हानिकारक हो सकती हैं चूँकि वे उस मुद्रा में ऋण चुकाते हैं जोकि अपस्फीति के कारण ज्यादा महँगी हो गयी हैं |
* चूंकि श्रमिक भी उपभोक्ता हैं | यदि मजदूरी एक समान हैं तो वृद्धि भी एक समान ही होगी |
* सामान्यत: एक समान मजदूरी वो हैं जो खपत में वृद्धि को रोकती हैं और इस प्रकार इसका अपस्फीति प्रभाव हो सकता हैं |
* कम मुद्रास्फीति या अपस्फीति इस प्रकार से उच्च बेरोजगारी के साथ सहसंबद्ध हैं |

B.7. भारतीय वित्तीय संहिता का संशोधित प्रारूप

(REVISED DRAFT INDIAN FINANCIAL CODE)

* वित्तीय संहिता का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के कुशल संचालन के लिए वर्तमान भारतीय कानूनी ढांचे मे व्यापक परिवर्तन कर एकीकृत तथा सुसंगत कानूनी व्यवस्था का निर्माण करना है।
* 60 से भी अधिक कानूनों में से कई कानून पुराने पड़ गए हैं। जब मूल कानून लिखे गए थे, तब से वैश्विक वित्तीय संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ है। नई वित्तीय प्रक्रियाएं तथा वित्तीय साधन अस्तित्व मे आए हैं। कई बार जटिल व्यवस्था के कारण विनियामकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा वित्त क्षेत्र के कई घटनाक्रम कभी-कभी नियामकों के आड़े आते है, जिस कारण टकराव होता है।
* वित्तीय क्षेत्र में संभव सुधारों का अध्ययन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) का गठन मार्च 2011 में किया गया था।
* आयोग ने मार्च 2013 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, एक व्यापक अधिकार वाली एजेंसी में अनेक वित्तीय नियामक एजेंसियों का विलय करने का सुझाव दिया था जो आर.बी.आई. (भारतीय रिजर्व बैंक) को छोड़कर पूंजी बाजार, बीमा क्षेत्र, पेंशन फंड एवं जिंसों के वायदा व्यापार पर नजर रखे।
    * FSLRC द्वारा प्रस्तुत पहले IFC रिपोर्ट के प्रारूप में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार RBI के गवर्नर को देने का प्रस्ताव किया गया था।

VISION IAS

B.8. करेंसी नोटों पर नयी विशेषताएँ

(New Features Introduced on Currency Notes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नकली भारतीय नोटों के खतरे से निपटने के लिए नए नोटों विशेष रूप से Rs 1000, Rs 500 श्रेणी के नोटों पर 7 नए सुरक्षा चिन्ह और एक नई नंबर प्रणाली होगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि नकली नोट पकड़े जाने पर उन नोटों पर "जाली नोट" ("Counterfeit Note")लिखा जाए और उन्हें जब्त कर लिया जाए। जो बैंक इस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे उन्हें दण्डित किया जाएगा।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नकली नोटों के मामलों के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

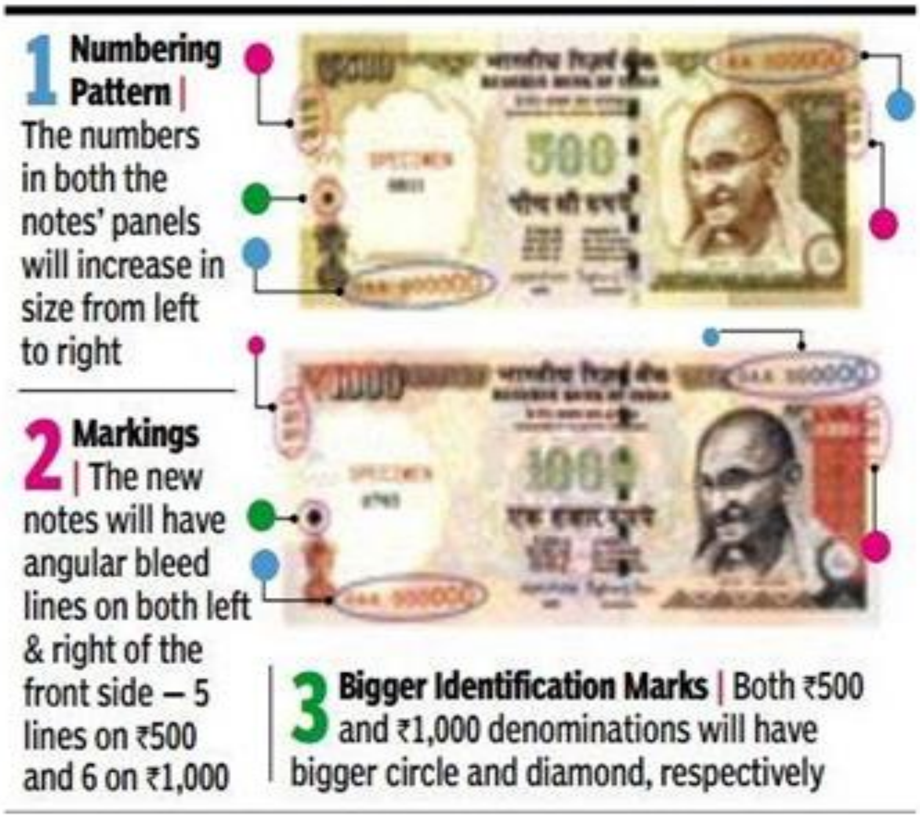

नयी विशेषताएँ

- Rs 100, Rs 500 और Rs 1000 श्रेणी के नोटों पर ब्रेल लिपि की तरह के चिन्ह।
- 100 रुपये के नोटों की सीमा पर और महात्मा गांधी वॉटरमार्क के बगल में चार समानांतर कोणीय रेखाएं होंगी। 500 रुपये के नोटों पर पांच रेखाएं और 1000 रुपये के नोटों पर छह रेखाएं होंगी।
- नोटों का क्रमांकन उभरे हुए अक्षरों से होगा। नोटों के संख्यांकन पैनल पर छपे प्रत्येक अंकों के आकार में बायीं से दायीं ओर क्रमशः वृद्धि होगी।
- इन करेंसी नोटों पर मौजूद पहचान चिन्ह के माप में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिससे नेत्रहीन लोगों के लिए नोट की पहचान करना और आसान हो जायेगा।

 ©Vision IAS

- नवीनतम तकनीक वाली छपाई का इस्तेमाल किया जायेगा जिसमें सुरक्षा कागज छिद्रित होगा और प्रिंटिंग स्याही को उस कागज़ पर उत्कीर्ण किया जायेगा। इससे लोगों को उन समानांतर कोणीय रेखाओं को महसूस करने में आसानी होगी।

B.9. बैंकों का समेकन

(Bank Consolidation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के खुद में विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पृष्ठभूमि

- 1991 से, नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के साथ बड़े बैंक बनाने की मांग उठी है। ज्ञान संगम (वार्षिक बैंकर सम्मेलन) के दूसरे संस्करण में भी बैंकों के समेकन की आवश्यकता पर चर्चा हुई।
- विशेष रूप से इस समय, गैर निष्पादनकारी संपत्तियों की अधिकता (high NPAs) की वजह से समेकन की माँग ज्यादा उठ रही है क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता कम कर रहे हैं और सरकार पर उनके पूंजीकरण का दबाव है।

> **Why the need?** A bigger SBI capable of taking on global giants when banking sector is opened up in future. Large banks to get benefits of scale, better diversification of risks and higher profitability

B.10. वोडाफोन ने कर विवाद केस जीता

(Vodafone Wins Tax Dispute Case)

- वोडाफोन इंडिया ने बंबई उच्च न्यायालय में हस्तांतरण कीमत निर्धारण पर आयकर विभाग के विरुद्ध अपनी लड़ाई जीत ली है।

संबंधित जानकारी:

हस्तांतरण कीमत निर्धारण:

- वह कीमत जिस पर एक कंपनी के अलग-अलग संभाग एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं, हस्तांतरण कीमत कहलाती है। लेन-देन में विभागों के बीच आपूर्तियों, सेवा या श्रम का व्यापार सम्मिलित हो सकता है। जब बहुत बड़ी फर्म की विभिन्न इकाईयों को अलग-अलग इकाई के रूप में मापा एवं माना जाता है तब हस्तांतरण की मद का प्रयोग कर निर्धारण के लिए किया जाता है |

आर्म्स लेंथ:

- ऐसा लेन-देन जिसमें किसी भी उत्पाद के खरीदार और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उनका एक-दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता है, उसे आर्म्स लेंथ लेन-देन के रूप में जाना जाता है। आर्म्स लेंथ लेन-देन की अवधारणा यह सुनिश्चित करता है कि सौदे में दोनों पक्ष अपने हित में कार्य कर रहें हैं किसी अन्य पक्ष के दबाव या बाध्यता के अधीन नहीं हैं।

VISION IAS

हस्तांतरण कीमत निर्धारण से संबंधित भारतीय कानून:

- आयकर अधिनियम प्रावधान करता है कि अंतरराष्ट्रीय लेन-देन से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय की गणना आर्म्स लेंग्थ कीमत को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसका निर्धारण केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) तुलनीय अनियंत्रित मूल्य पद्धति, कॉस्ट प्लस विधि आदि जैसे विभिन्न तरीकों की सहायता से करेगा।

सेफ हार्बर नियम:

- आर्म्स लेंथ कीमत का निर्धारण सेफ हार्बर नियमों के अधीन है। "सेफ हार्बर" से आशय उन परिस्थितियों से है जिसमें आयकर अधिकारी कर निर्धारिती (एसेसी) द्वारा घोषित हस्तांतरण कीमत स्वीकार करते हैं।
- यह एक कानूनी प्रावधान है। इसके द्वारा अच्छे कर दाताओ के दायित्व को कम या समाप्त किया जाता है | सरकार, सेफ हार्बर मार्जिन कम करके इसे कंपनियों के लिए आकर्षक बनाने और सेफ हार्बर की परिभाषा स्पष्ट कर अधिक पारदर्शिता लाने पर विचार कर रही है।

अग्रिम कीमत निर्धारण समझौते:

सी.बी.डी.टी. किसी भी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ कीमत निर्धारित करती है या उस तरीके को निर्दिष्ट करते हुए, जिसके अनुसार आर्म्स लेंथ की कीमत निर्धारित की जाएगी, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता कर सकती है।

B.11. ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतराल

(Gap Between Rural and Ruban Inflation)

- HSBC द्वारा जारी मुद्रास्फीति रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर भारत की अंतर्निहित मुद्रास्फीति गति 5.5 प्रतिशत है। वहीं ग्रामीण भारत के लिए यह 6.5 प्रतिशत से अधिक और शहरी क्षेत्र के लिए यह केवल 4.5 प्रतिशत है।

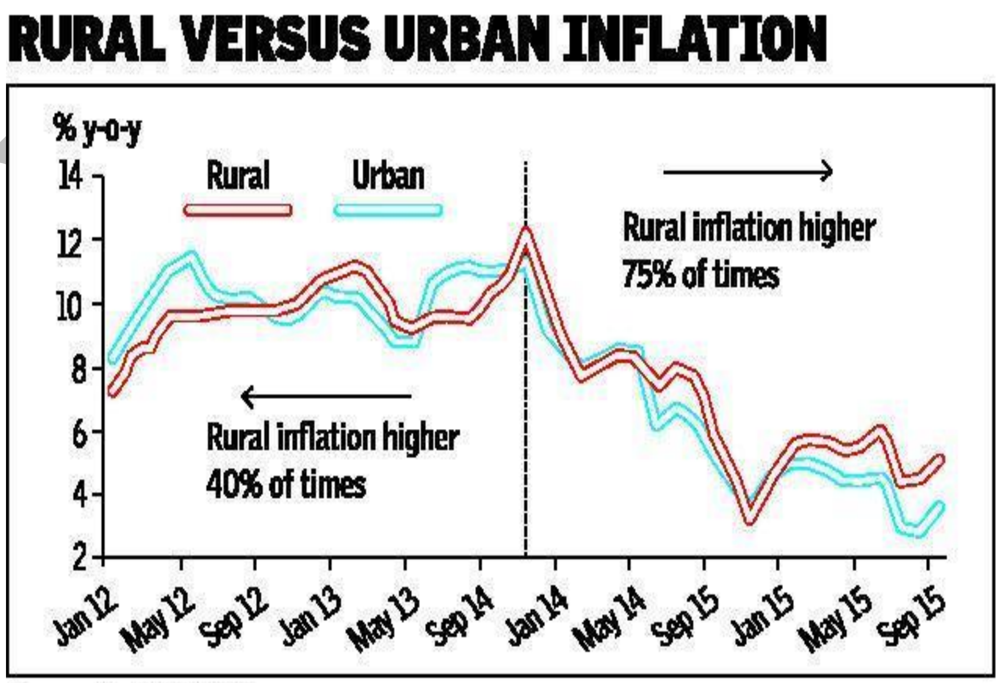

Source: CEIC, HSBC

VISION IAS

इस अंतराल के कारण:

- गैर-पेट्रोलियम आधारित ईंधन के अधिकाधिक उपयोग अधिकांश ग्रामीण घरों में किया जाता है इन ईंधनों की मुद्रास्फीति उच्च बनी रहती है।
- तेल की कीमतों में नाटकीय गिरावट ने 'ईंधन' और 'परिवहन' की कीमतें नीचे लाने में योगदान दिया है। हालांकि, ग्रामीण भारत को तेल में गिरावट का लाभ कम मिला है। आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण भारत का ईंधन घरेलू उत्पादन जलाऊ लकड़ी, चिप्स और बायोगैस आदानों का मिश्रण है जो वैश्विक अपस्फीति चक्र का एक हिस्सा नहीं हैं।
- दूसरी ओर,शहरी भारत में ईंधन उत्पादों यानी एलपीजी और डीजल का और अधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, निम्न वैश्विक कीमतों का लाभ मिला है।
- खाद्य पदार्थ और अन्य- खाद्य पदार्थों के मामले में, सस्ते आयात का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर रूप से नहीं पहुंच पा रहा है।
- ग्रामीण भारत मेंशहरों की तुलना में संरचनात्मक सुविधा की कमी है- शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में संरचनात्मक सुविधाएं कम हैं इसका मुख्य कारण हैं: परिवहन का अपर्याप्त नेटवर्क, सीमित प्रदाता और अपर्याप्त प्रतियोगिता और वितरण चैनल, अपर्याप्त निवेश, बढ़ता गतिरोध और लगातार दो सूखे ने इन सभी संरचनात्मक सुविधाओं की कमी ने ग्रामीण भारत की संभावित (या प्रवृत्ति) वृद्धि कम करने में योगदान दिया है। सीमित उत्पादन अंतराल, ने कमजोर विकास के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कोर मुद्रास्फीति को तेजी से गिरने से रोके हुए है।

B.12. मौद्रिक नीति पैनल

(Monetary Policy Panel)

चर्चा में

- 4 महीने की वाद-विवाद के बाद भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने मौद्रिक नीति तय करने संबन्धी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर गतिरोध को दूर किया है।

मौद्रिक नीति निर्माण को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने संबन्धी पूर्व में किए गए प्रयास

- वर्ष 2005 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने विख्यात अर्थशास्त्रियों, औद्योगिक निकायो (जैसे फिक्की आदि) और क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों से विचार-विमर्श करना आरम्भ किया।
- पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अब RBI की वार्षिक रिपोर्ट को अधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाने लगा है।
- जहाँ RBI ने त्रैमासिक समीक्षा को प्रकाशित करना आरंभ किया वहीं गवर्नर ने मीडिया में जाकर सभी प्रश्नों/शंकाओं का उत्तर देना आरंभ किया है।
- बहरहाल, मौद्रिक नीति गवर्नर की एकमात्र जिम्मेदारी बनी हुई है, बिना किसी भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक तंत्र के।

VISION IAS

पूर्व में की गयी सिफारिशें

पूर्व समितियां - तारापोर, रेड्डी, FSLRC एवं नवनिर्मित उर्जित पटेल ने समिति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सिफारिशे दी, वे हैं -

- मौद्रिक नीति का निर्धारण एक व्यक्ति विशेष द्वारा न होकर एक कमेटी द्वारा होना चाहिए।
- निर्णय बहुमत के आधार पर होना चाहिए।
- ऐसी कमेंटियों का बयौरा लिखित रूप से जनता के बीच रखा जाना चाहिए।

इस प्रकार काफी लंबे समय से मौद्रिक नीति निर्धारण में कमेटी बनाये जाने पर बल दिया जा रहा है। पिछले कुछ समय में मौद्रिक नीति निर्धारित करने वाली कमेटी के संरचना को लेकर सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के के मध्य असहमति उभरकर सामने आये हैं।

B.13. व्यापार ऋण बीमा

(Trade Credit Insurance)

- भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने व्यापार ऋण बीमा के लिए मानदंडों को उदारीकृत करने का फैसला किया है।
- इरडा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहा है, जिससे व्यापार ऋण की माँग बढ़ने से ऋण बीमा क्षेत्र में कई गुणा वृद्धि होने की संभावना है।

व्यापार ऋण बीमा क्या है?

व्यापार ऋण बीमा एक बीमा पॉलिसी है जो निजी बीमा कंपनियों और सरकारी निर्यात ऋण एजेंसियों द्वारा उन व्यावसायिक फर्मों को प्रदान की जाती है जो प्रलंबित भुगतान चूक, ऋणशोधन या दिवालियापन जैसे ऋण जोखिम से खातों के वित्त पोषण की रक्षा करना चाहते हैं।

B.14. बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग प्रोजेक्ट

(Base Erosion Profit Sharing Project (BEPS))

भारत OECD और G-20 देशों द्वारा प्रस्तावित कर चोरी पर अंकुश लगाने की एक नई व्यवस्था को अपनाने को तैयार है।

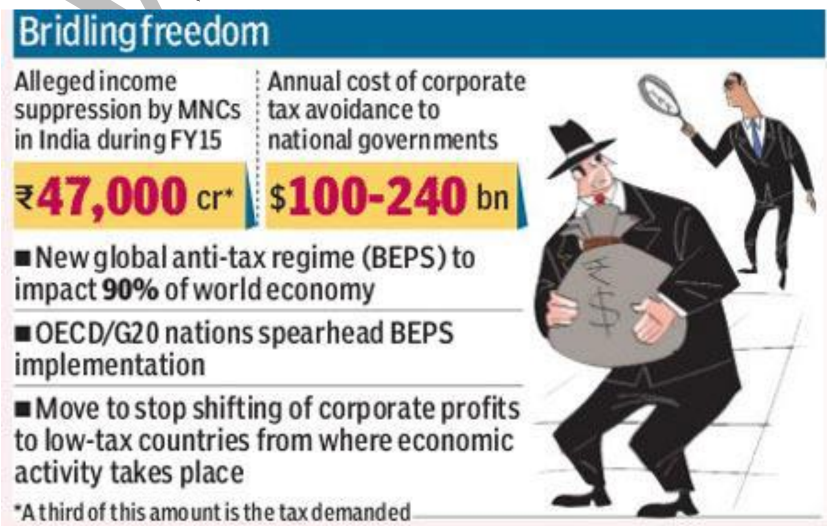

बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है?

यह एक तकनीकी शब्द है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर परिहार का राष्ट्रीय कराधार पर नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। इसे ट्रांसफर प्राइसिंग (अंतरण कीमत) प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण क्यों है?

- प्रस्तावित परिवर्तन विभिन्न कंपनियों/निगमों को हाइब्रिड वित्तीय साधनों जैसे- अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCD-compulsorily convertible debentures) से होने वाले कर लाभ को समाप्त करेंगे।
- कई कंपनियां कर-योग्य व्यापार प्रतिष्ठान (स्थायी प्रतिष्ठान) बनने से बचने के लिए व्यापार श्रृंखला को कई खण्डों में बाँट देती हैं, ये परिवर्तन उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे।
- कम कर क्षेत्राधिकार में बौद्धिक संपदा अधिकारों के मालिक को रॉयल्टी का भुगतान करके कर योग्य आय को कम करने के तरीके को भी रोका जायेगा। इसका उद्देश्य यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनी अधिकार वाली विदेशी संस्था, भारत में उससे होने वाली कमाई के अधिकार की पूर्ण हकदार नहीं होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कई भारतीय इकाइयां कर संधियों में निर्दिष्ट कर की रियायती दर पर मुनाफे का हिस्सा वापस मूल कम्पनी को रॉयल्टी भुगतान के द्वारा भेजती हैं।
- नियंत्रित विदेशी निगम (CFC Rules) नियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने प्रभावी प्रबंधन के स्थल नियमों [place of effective management (POEM) rules] को पेश किया है। प्रभावी प्रबंधन के स्थल नियम भारत-में संचालित विदेशी कंपनियों की आय को भारत में कर योग्य बनाते हैं।

B.15. सेबी द्वारा गठित पैनल ने वैकल्पिक फंड उद्योग को विकसित करने का सुझाव

(SEBI panel Suggests REforms to Grow Alternative Funds Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में सेबी द्वारा गठित एक 21 सदस्यीय सलाहकार पैनल ने AIFs (AIF-अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड) द्वारा पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु अनेक कर सुधारों और मौजूदा कानूनों में परिवर्तन का सुझाव दिया है।

AIF (वैकल्पिक निवेश कोष) क्या है?

- निवेश के पारंपरिक तरीकों से इतर निवेश के अन्य वैकल्पिक साधनों को 'वैकल्पिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- AIFs को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के विनियम 2(1) (b) में परिभाषित किया गया है।
- यह किसी ट्रस्ट या किसी कंपनी के रूप में, जो वर्तमान में SEBI के किसी भी विनियमन के दायरे

में नहीं आते हैं और न ही भारत में किसी भी अन्य क्षेत्रक नियामकों (IRDA, PFRDA, RBI) के प्रत्यक्ष विनियमन के तहत आते हैं, उनके किसी भी निजी तौर पर संग्रहित निवेश कोष (चाहे इसका स्रोत भारत में हो या विदेशों में) को संदर्भित करता है।

AIFs को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- **श्रेणी I (Category I):** "कैटेगरी I" वाले AIF अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक स्पिल ओवर (spillover effect) वाले AIFs होते हैं। उदाहरण: वेंचर कैपिटल फंड, एस.एम.ई. फंड आदि।
- **श्रेणी II (Category II):** वैसे AIFs जिन्हें कोई विशेष प्रोत्साहन या रियायतें नहीं दी जाती हैं "कैटेगरी II" वाले AIF कहलाते हैं। जैसे- निजी इक्विटी या डेट फंड (ऋण कोष)।
- **श्रेणी III (Category III):** वैसे AIF जिनके बारे में यह माना जाता है कि लघु अवधि के प्रतिफल की प्राप्ति के दृष्टिकोण के कारण उनमें कुछ परिस्थितियों में कुछ संभावित नकारात्मक बाह्यता (externalities) की क्षमता होती है, "कैटेगरी III" वाले AIFs कहलाते हैं। इन्हें सरकार या किसी अन्य नियामक से कोई विशेष प्रोत्साहन या रियायतें प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे- हेज फण्ड।

B.16. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(Index of Industrial Production)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- औद्योगिक उत्पादन, जिसे IIP से मापा जाता है, में अक्टूबर तक सुदृढ़ता की स्थिति बनी रही परंतु नवंबर के महीने में इसमें गिरावट दर्ज की गयी।
- 'इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च' के अनुसार यह गिरावट विश्व स्तर पर व्यापक आधार और विभिन्न क्षेत्रों में मंदी के कारण हुई है।

IIP क्या है?

- IIP एक अनुपात है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास को मापता है। एक अनुपात होने के कारण, यह संदर्भ समय अवधि (आधार वर्ष) की तुलना में एक निश्चित समयावधि के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थिति को दर्शाता है।
- IIP आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा हर महीने जारी किये जाते हैं।
- मौजूदा आधार वर्ष 2004-05 है।

IIP की संरचना

- आई.आई.पी. में 682 अलग-अलग मदें शामिल हैं। इन शामिल मदों को सूचकांक में सेक्टर वार क्रमशः 3 श्रेणियों - विनिर्माण, खनन और विद्युत- में उनके भारांश के घटते क्रम में रखा जाता है।

आई.आई.पी. में कोर उद्योगों का भारांश-

- प्रतिशत के संदर्भ में, आई.आई.पी. में सभी 8 कोर उद्योगों का भारांश 38% के आस-पास है।
- आई.आई.पी. में इन सभी कोर उद्योगों के भारांश का घटता क्रम इस प्रकार है:
- विद्युत> स्टील> रिफाइनरी उत्पाद> कच्चा तेल> कोयला> सीमेंट> प्राकृतिक गैस> उर्वरक

VISION IAS

B.17. सीड वित्त पोषण कर का हटाया जाएगा

(Seed Funding Tax To Be Removed)

FILLIP TO ENTREPRENEURS

The govt. has decided to scrap a tax on seed funding for start-ups by angel investors to help domestic financiers fund entrepreneurial ventures under Start Up India campaign

- Finance Act 2013 introduced a tax on seed capital provided to start-ups by local angel investors
- This deprives start-ups of 30% of initial investment
- Domestic angel investments are subject to double taxation
- Govt. looks to fix this in Budget next
- 90% of Indian start-ups are bank-rolled by foreign funds
- An estimated $9 billion was invested in Indian Start-ups in 2015

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने एंजेल निवेशकों द्वारा किये जाने वाले सीड फंडिंग पर कर खत्म करने का फैसला लिया है, जो उद्यमियों द्वारा घरेलू वित्त प्राप्त करने की मार्ग में एक बड़ी बाधा बना हुआ था।

लाभ:

- इससे भारत में स्टार्ट-अप की संख्या में वृद्धि, उनमे होने वाले आरंभिक निवेश तथा देश में व्यवसाय करने में मदद प्राप्त होगी।
- एक आकलन के अनुसार लगभग 65% स्टार्ट-अप ऐसे हीं कुछ अनिश्चित करारोपण के कारण अपने व्यवसाय को भारत से बाहर ले जाने के लिए विवश हुए हैं। अतः यह कदम निश्चित हीं उन्हें भारत में अपने व्यवसाय को बनाये रखने अथवा आरंभ करने में मदद करेगी।
- पुनः यह कदम निश्चित ही कर संरचना में पारदर्शिता, सरलीकरण तथा पूर्वनुमेयता (predictability) सुनिश्चित करने में मदद प्रदान करेगी।

सीड फंडिंग (कैपिटल) क्या होता है?

- किसी व्यवसाय को आरंभ करने के लिए आवश्यक आरंभिक पूंजी को सीड कैपिटल अथवा सीड फंडिंग कहा जाता है। यह किसी आईडिया (व्यावसायिक विचार) को विकसित करने, उससे प्रथम उत्पाद को मूर्त रूप देने तथा बाजार में उस तरह के प्रथम उत्पाद को लॉन्च करने हेतु किसी व्यवसाय को मदद प्रदान करता है।
- किसी व्यवसाय को धरातल पर उतारने हेतु सीड कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसे उच्च जोखिम वाला निवेश माना जाता है, लेकिन यह एक ऐसा निवेश है जिसके माध्यम से काफी लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि जिस स्टार्ट-अप कंपनी में पूंजी निवेश किया गया है, यदि वह उद्यम (बड़ी कंपनी) में तब्दील हो जाती है तो उससे प्रतिफल भी अप्रत्याशित होता है।

एंजेल निवेशक किसे कहते हैं?

- एंजेल निवेशक या एंजेल एक धनाढ्य व्यक्ति होता है, जो आमतौर पर परिवर्तनीय ऋण या इक्विटी स्वामित्व के लिए किसी स्टार्ट-अप व्यवसाय के लिए पूंजी प्रदान करता है।

B.18. मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति

(Medium Term Debt Management Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार ने मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति को तीन साल (2015-18) की अवधि के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है।
- सरकार ने यह निर्णय उधारी की लागत को कम करने और स्थानीय संप्रभु बांड बाजार को बढाने हेतु पात्र निवेशकों की सूची के विस्तार करने के उद्देश्य से लिया है।

MTDS क्या है?

- मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति एक ऐसी रूपरेखा है, जिसमें सरकार मध्यावधि से अधिक उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि -
- ✓ ऋण का स्तर वहनीय और धारणीय रहे।
- ✓ नए ऋण अच्छे उद्देश्य के लिए हों तथा ऋण की लागत और जोखिम कम से कम हो।
- MTDS में सरकार की गारंटी पोर्टफोलियो और आकस्मिक देनदारियों सहित बाह्य और आंतरिक दोनों ऋण शामिल किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में काम करता है।

B.19. राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति

(National Capital Goods Policy)

- **पहली बार** प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति का उद्देश्य पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना है।
- पूंजीगत वस्तुओं का क्षेत्र 14 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तथा 1.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है।
- इस नीति में मौजूदा निर्यात को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने और भारत की कुल मांग में घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी 60 फीसदी से 80 फीसदी करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार भारत पूंजीगत वस्तुओं का निवल निर्यातक बन जायेगा।
- यह नीति वित्त की उपलब्धता, कच्चे माल, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, गुणवत्ता और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण गतिविधियाँ, निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू मांग सृजन जैसे प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित है।

राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति के प्रमुख बिंदु:

- पूंजीगत वस्तु के उप-क्षेत्रों जैसे कपड़ा, अर्थ मूविंग और प्लास्टिक मशीनरी को मेक इन इंडिया पहल के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के रूप में एकीकृत करना।

VISION IAS

- उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी पहुँच में सुधार, कौशल उपलब्धता में वृद्धि आदि।
- भारी उद्योग विभाग की पूंजीगत वस्तु क्षेत्र योजना की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना।
- भारत में बनी पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात को “भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता योजना” (Heavy Industry Export & Market Development Assistance scheme-(HIEMDA) के माध्यम से बढ़ाना।
- प्रौद्योगिकी विकास कोष आरंभ करने का प्रावधान।
- नए परीक्षण और प्रमाणन सुविधा (Testing & Certification Facility) की स्थापना तथा मौजूदा सुविधा का उन्नयीकरण करने के साथ-साथ मानकों को अनिवार्य बनाना ताकि ख़राब गुणवत्ता की मशीनों का आयात हतोत्साहित किया जाए।
- संस्थापित क्षमता (Installed Capacity) का उपयोग करके स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को अवसर प्रदान करना।

B.20. स्वतंत्र राजकोषीय परिषद

(INDEPENDENT FISCAL COUNCIL)

- चौदहवें वित्त आयोग के सदस्यों ने स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन करने की उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई न करने के लिए सरकार पर सवाल उठाए हैं।
- प्रस्तावित परिषद बजट घोषणाओं और पूर्वानुमानों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करेगी और संसद को अपनी रिपोर्ट देगी। यह वित्तीय प्रबंधन पर सरकार की साख में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

राजकोषीय परिषद का महत्व:

- केंद्र सरकार राज्यों के राजकोषीय लक्ष्य पर निगरानी रखती है, परंतु इसके वित्तीय फैसलों का निरीक्षण कोई नहीं करता है। राज्य वित्त प्रबंधन में अकसर दबाव महसूस करते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक उनके घाटे को नियंत्रित करता है तथा केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना राज्य की ओर से बांड जारी नहीं कर सकता।
- विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र रचनात्मक लेखांकन (Creative Accounting) का चुनाव करता है, तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत संसद में प्रस्तुत लक्ष्यों को पूरा नहीं करता।
- 2003 से अर्थात जब से यह अधिनियम प्रभाव में आया है, इसमें निहित घाटे के लक्ष्य में चार बार बाधा उत्पन्न हुई है तथा कई बार लक्ष्यों का उल्लंघन भी हुआ है।
- लघु और मध्यम अवधि में, यह वित्तीय लक्ष्यों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आशंका को दूर करेगा।
- महालेखा परीक्षक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की निगरानी करता है, परंतु यह एक कार्योत्तर आकलन होता है।

VISION IAS

- पिछले आठ में से छह वर्षों में, अधिमूल्यांकन के कारण सरकारी राजस्व के अनुमान में करीब 10 फीसदी तक की कमी हुई है। इस वजह से वित्तीय वर्ष के मध्य में सभी योजनाओं और परियोजनाओं के धन में कटौती की गयी है।
- सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा दबाव में रहती है। RBI का भी मुख्य ध्यान मौद्रिक नीति पर होता है। इस प्रकार राजकोषीय परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद् होगी विशेष रूप से तब, जब राजकोषीय घाटे की सीमा जैसे मुद्दों पर विवाद पैदा होता है।

B.21. मौद्रिक नीति में नकारात्मक ब्याज दरें

(Negative Rates of Interest in Monetary Policy)

सुर्खियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की हाल ही में आयोजित स्प्रिंग मीटिंग के दौरान मौद्रिक नीति पर अत्यधिक निर्भरता तथा विशेष रूप से नकारात्मक ब्याज दरों की चिंताओं में बारे में आवाज उठाई गयी।

नकारात्मक दरों का क्या उपयोग होता है?

- खपत में वृद्धि से आर्थिक विकास को प्रेरित करना।
- स्थायी अपस्फीति के मामलों में मुद्रास्फीति में वृद्धि लाना।
- नकारात्मक दरों से मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जिससे निर्यात में वृद्धि होती है।

नकारात्मक ब्याज दरों के नकारात्मक प्रभावः

- नकारात्मक ब्याज दर बैंकिंग क्षेत्रक और उसकी लाभप्रदता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचा सकती है।
- इससे बेवजह करेंसी वार (मुद्रा युद्ध) और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे तरलता जाल (liquidity trap) की स्थिति पैदा हो सकती है, जहाँ मौद्रिक नीति वांछित परिणाम नहीं दे पाती है।
- दीर्घावधि में, नकारात्मक दर नकदी की जमाखोरी को बढ़ावा दे सकती है और अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को कम कर सकती है।

B.22. CSR खर्च को बढ़ावा देने के लिए FCRA में सुधार

(FCRA Tweaked to Boost CSR Spending)

FCRA में क्या संशोधन हुए हैं?

- नए संशोधन के अंतर्गत विदेशी कंपनियों के इंडियन सब्सिडियरी को भारतीय कंपनियों के रूप में पुनः परिभाषित किया गया है, जो कि संशोधन से पहले FCRA (फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट) के तहत "विदेशी स्रोत" (foreign source) के रूप में मानी जाती थीं।
- इसे पूर्वव्यापी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) देते हुए वर्ष 2010 से प्रभावी माना गया है, जब FCRA लागू हुआ था।
- अभी तक 50 प्रतिशत से ज्यादा के विदेशी निवेश वाली किसी भी कंपनी को "विदेशी स्रोत" माना जाता था।

VISION IAS

CSR (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के बारे में०: वैसी फर्म/कंपनियाँ जिनका नेट वर्थ (निवल मूल्य) 500 करोड़ रुपये या 1000 करोड़ रुपए का टर्न ओवर या 5 करोड़ रूपये का निवल लाभ है, उन्हें कानूनन अनिवार्यतः अपने तीन साल के औसत लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत सामाजिक विकास कार्यो पर खर्च करना होता है।

पृष्ठभूमि

- मौजूदा नियमों के अनुसार, 50% से अधिक विदेशी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के धन को विदेशी स्रोत माना जाता था, और उन्हें केवल उन्हीं संगठनों के साथ भागीदारी की अनुमति थी जो FCRA नियमों के तहत गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं।
- यहां तक कि ऐसी कंपनियों द्वारा संचालित संस्थाओं (foundations) को भी FCRA नियमों के तहत एक लाइसेंस प्राप्त करना होता था।

B.23. टीज़र होम लोन

(Teaser Home Loan)

टीज़र होम लोन ऋण क्या होते हैं?

- **टीज़र लोन** प्रारंभिक वर्षों में नियत और कम ब्याज दर पर दिए जाते हैं और बाद में बचे हुए समय के लिए उच्च फ्लोटिंग रेट पर समायोजित होते हैं।
- ये ऋण कृत्रिम रूप से कम दर और कम भुगतान की पेशकश से ग्राहकों को लुभाते हैं और दावा करते हैं कि ब्याज दर बढ़ने से पहले ही ग्राहक पुनर्वित्त में सक्षम हो जायेगा।

B.24. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र

[Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)]

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने PSLCs प्रमाणपत्र जारी करने और उसके व्यापार की अनुमति देने के लिए 7 अप्रैल 2016 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत बैंक अपने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस तरह के लिखत (क्रेडिट) को खरीद और बेच सकते हैं।

PSLCs क्या हैं?

- PSLCs व्यापार-योग्य प्रमाणपत्र होते हैं जोकि बैंकों के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण के एवज में निम्न के लिए जारी किये जाते हैं-
  ✓ जो बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उन्हें इन लिखतों की खरीद के लिए सक्षम बनाने के लिए।
  ✓ साथ ही अधिशेष वाले बैंकों को प्रोत्साहन देना, जिससे अंततः PSLC के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों को और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए इन्हें प्रेरित किया जा सके।
- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की तर्ज पर PSLCs का लक्ष्य बाजार तंत्र के माध्यम से विभिन्न बैंकों को उनके प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर प्राथमिक क्षेत्रक ऋण को बढ़ावा देना है।

VISION IAS

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और लोकल एरिया बैंक PSLCs के व्यापार के लिए पात्र हैं।

PSLCs के प्रकार

चार प्रकार के PSLCs होंगेः

- PSLC कृषिः कुल कृषि उधार लक्ष्य की दिशा में उपलब्धियों की गणना के लिए।
- PSLC SF/MF: छोटे और सीमांत किसानों को उधार के उप-लक्ष्य की दिशा में उपलब्धियों की गणना के लिए।
- PSLC सूक्ष्म उद्यमः सूक्ष्म उद्यम को उधार के उप-लक्ष्य की दिशा में उपलब्धियों गणना के लिए।
- PSLC सामान्य : समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य दिशा की में उपलब्धियों की गणना के लिए।

तर्क

- वर्तमान में कई बैंकों को अपनी PSL आवश्यकता को पूरा करने में कठिनाई आ रही है क्योंकि वे ग्रामीण या MSME क्षेत्रक को उधार देना व्यवहार्य नहीं मानते।
- कृषि पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित होने के बावजूद, कृषि के क्षेत्र में पूंजीगत निवेश में कोई ख़ासा वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि बैंक सिर्फ RBI के नियमों को पूरा करने के लिए लघु अवधि के लिए इस क्षेत्र को ऋण देते हैं (आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15)।
- आधे से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (26 में से 16) वर्ष 2014 में 18 प्रतिशत के कृषि ऋण के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए थे, जबकि 20 में से 13 निजी बैंक कृषि के लिए उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे थे।

लाभ

- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ बैंकों के पास इस कमी को पूरा करने के लिए अब एक और अधिक व्यावहारिक और आसान तरीका उपलब्ध होगा।
- यह बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को खरीदने और बेचने के लिए एक सहज मंच प्रदान करता है।
- जो बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किये हुए हैं, उनके पास अब ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने और द्वितीयक बाजार में उन्हें आसानी के साथ बेचने के साधन उपलब्ध होंगे।
- इससे पहले, जब एक बैंक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता था, उसे दूसरे बैंकों से इस तरह के ऋण खरीदने पड़ते थे, जिसका मतलब था खरीदार बैंक की बैलेंस शीट में वृद्धि। लेकिन अब बैंक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य बैंक से PSLCs खरीद सकते हैं।
- PSLCs के लिए किया जाने वाला भुगतान बाजार द्वारा निर्धारित होगा। PSLCs की कीमत कई कारकों पर निर्भर करेगी जैसे ऋण की श्रेणी और मांग तथा आपूर्ति का परिदृश्य।
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा आनन-फानन में लक्ष्य को पूरा करने का मुद्दा भी हल हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी बैंक को उसके बही-खाते में अंतर्निहित ऋण के बिना पिछले वर्ष की PSLCs उपलब्धियों के 50 प्रतिशत तक PSLCs जारी करने की अनुमति है।

VISION IAS

- यह बैंकों को उनके खुद के मजबूत पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वयं के संसाधनों को डायवर्ट करने के बजाय यह ऐसे बैंकों को अन्य बैंकों से उक्त लिखत (क्रेडिट) के खरीद की अनुमति देता है।
- हर बैंक अपने कुशल व मजबूत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण का सामाजिक उद्देश्य प्रत्येक बैंक पर बोझ डाले बिना पूरा हो जायेगा।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र?

प्राथमिकता क्षेत्र अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिसे विशेष व्यवस्था के अभाव में समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है ।

प्राथमिकता क्षेत्र के तहत श्रेणियों में शामिल

1. कृषि
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम;
3. निर्यात ऋण
4. शिक्षा

5 आवास

6. सामाजिक अवसंरचना
7. अक्षय ऊर्जा
8. अन्य।

B.25. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों को चिट फंडों में निवेश करने की अनुमति दी

(RBI Allows NRIs to Invest in Chit Funds)

परिचय

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने निर्णय किया है कि प्रवासी भारतीय (एनआरआई) गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में रजिस्ट्रार ऑफ़ चिट्स द्वारा अनुमोदित चिट फंडों में असीमित निवेश कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एन.आर.आई. केवल रूपए में इस प्रकार की निवेश आय वापस प्राप्त कर सकते हैं।
- पूर्व में चिट फंड के व्यवसाय में लगी कंपनियों में अनिवासी भारतीयों को निवेश करने की अनुमति नहीं थी।
- अनिवासी भारतीयों के चिट फंड में निवेश करने की अनुमति देना एक सकारात्मक कदम है क्योकि अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए चिट फंड प्रबंधकों चिट फंड के प्रबंधन में एक पारदर्शी और ईमानदार प्रक्रिया अपनाना होगा।
- चिट फंड व्यवसाय चिट फंड अधिनियम, 1982 के केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होता है।
- इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए हैं। केन्द्र सरकार ने इनके संचालन लिए कोई नियम नहीं बनाया है। इस प्रकार, चिट फंडों का पंजीकरण और विनियमन केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

VISION IAS

- प्रकार्यात्मक रूप से, चिटफंड को sub-head miscellaneous non-banking company (MNBC) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिभाषा में शामिल किया गया हैं।
- धोखाधड़ी वाली योजनाओं के माध्यम से चिट फंड कंपनी द्वारा की गयी धोखाधड़ी, प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। जांच करने और अभियोजन चलाने का अधिकार राज्य सरकारों में निहित है।

चिट फंड

- चिट फंड चिट्टी, कुरी आदि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं।
- ये अनिवार्यतः बचत संस्थाएं हैं।
- चिट फंडों के नियमित सदस्य होते हैं जो समय-समय पर फंड में अंशदान करते हैं।

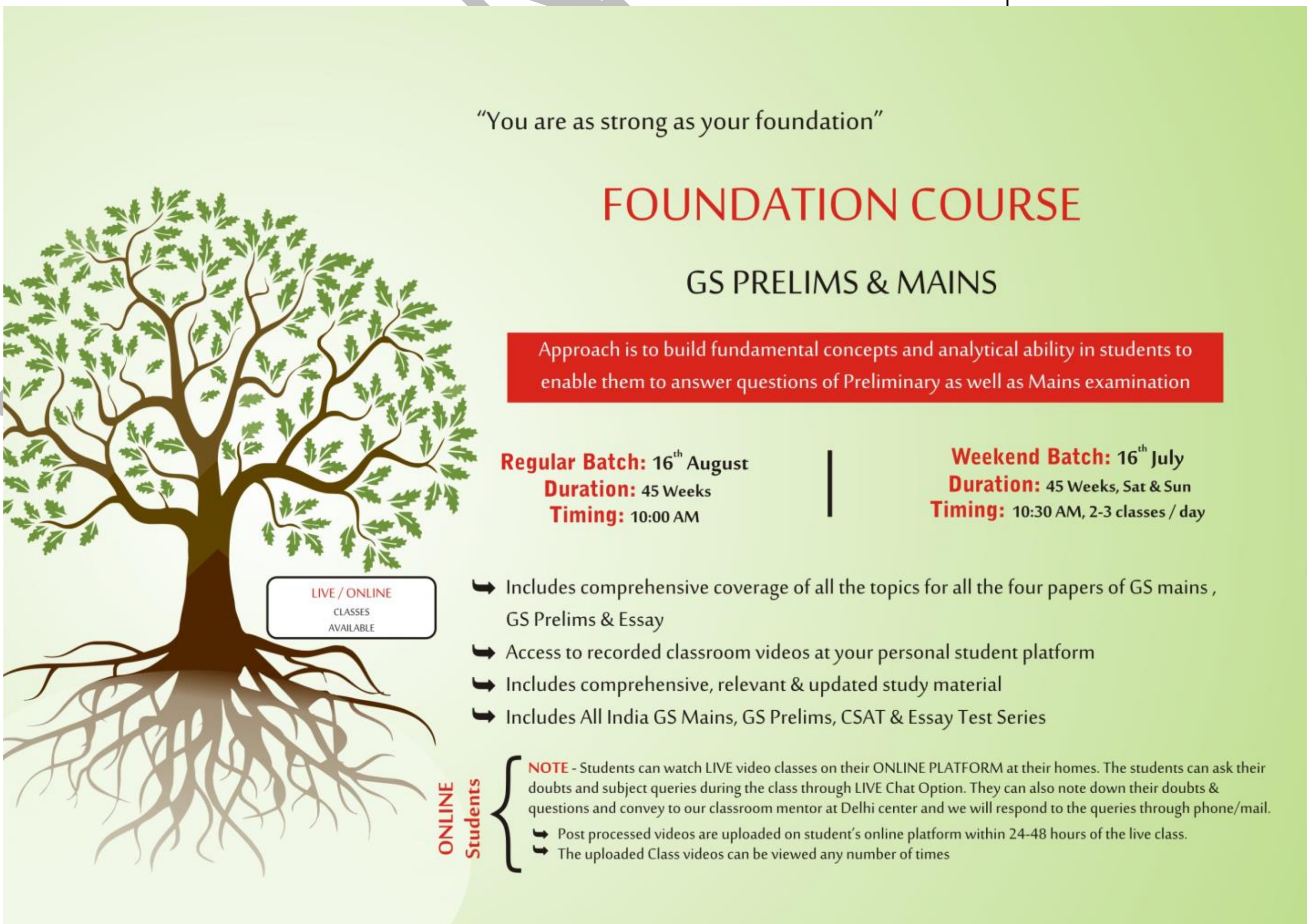

C. रिपोर्ट/ रैंकिंग

C.1. सामाजिक प्रगति सूचकांक

[Social Progress Index (SPI)]

सामाजिक प्रगति सूचकांक क्या है?

यह सामाजिक और पर्यावरण संकेतकों का एक समग्र सूचकांक है जो सामाजिक प्रगति के तीन आयामों पर आधारित है: बुनियादी मानवीय जरूरतें, कल्याण की आधारशिला(Foundations of Wellbeing) और अवसर। यह किसी देश द्वारा किए गए प्रयास के बजाय सफलता के परिणामों का उपयोग कर सामाजिक प्रगति को मापता है।

अन्य सूचकांकों की सीमाएं

1. **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):** सकल घरेलू उत्पाद एक राष्ट्र की आर्थिक प्रगति मापता है, पर इसमें गैर बाजार गतिविधियाँ जैसे घर की बागवानी, माँ द्वारा बच्चे का ख्याल रखना आदि शामिल नहीं है। इसमें पर्यावरण, खुशी, समानता, न्याय तक पहुँच जैसे कारक भी शामिल नहीं हैं।

2. **गिनी गुणांक:** यह नागरिकों के बीच आय असमानताओं को मापता है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक लाभ की तरह अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है

3. **सकल खुशी सूचकांक:** यह मूल रूप से भूटान द्वारा विकसित किया गया है। यह खुशी के स्तर को मापता है लेकिन लिंग समानता, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा जैसे तत्वों पर ध्यान नहीं देता। इसके अलावा खुशी के अर्थ में व्यक्तिपरकता के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

4. मानव विकास सूचकांक: इसमे जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और जीवन स्तर शामिल है, लेकिन यह धन के असमान वितरण, पर्यावरण और ढांचागत विकास में कमी को नहीं मापता।

SPI के उपयोग के लाभ

1. यह खर्च किये हुए पैसे या प्रयासों के बजाय परिणाम आधारित है।
2. यह अन्य संकेतकों की तुलना में अधिक व्यापक है।
3. यह सभी देशों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह सामाजिक प्रगति का एक समग्र माप प्रदान करता है। इसलिए, यह अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए उपयुक्त हो सकता है।
4. यह उचित नीति बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह जमीनी स्तर में सुधार मापता है।
5. यह सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बनाता है और उन्हें हासिल करने में मदद करता है
6. यह तीन मौलिक स्तंभों पर आधारित है: अस्तित्व के लिए बुनियादी जरूरतें; जीवनशैली में सुधार करने हेतु बिल्डिंग ब्लॉक्स तक पहुँच, और लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अवसर का उपयोग करना।

देशों की रैंकिंग

1. शीर्ष 3 देश नॉर्वे (88.36), स्वीडन (88.06) और स्विट्ज़रलैंड (87.97) हैं।
2. भारत 53.06 के स्कोर के साथ 133 देशों की सूची में 101 वें स्थान पर है।

C.2. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक

(Global Competitive Ranking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्विट्ज़रलैंड स्थित (International Institute for Management and Development) IMD World Competitive Centre द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 3 स्थान (Rank) का सुधार हुआ है।

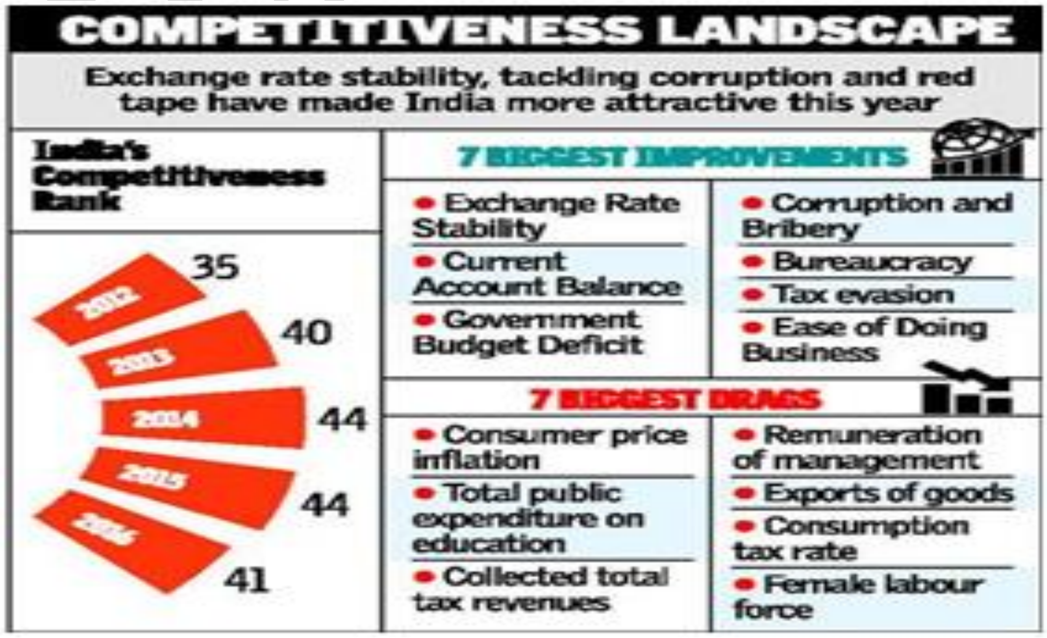

VISION IAS

अवलोकन

- भारत 2015-16 में 44वें स्थान की तुलना में 41वें स्थान पर रहा जबकि चीन 2016 में 22 से 25 तक फिसल गया।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत 11 वीं सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है।
- विनिमय दर स्थिरता, वित्तीय घाटा प्रबंधन और भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही से निपटने के प्रयासों में सुधार देखा गया।
- पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में निवेश की उपेक्षा के कारण बढ़ती सामाजिक असमानताओं ने भारत (के विकास) को रोक रखा था।
- रैंकिंग द्वारा आर्थिक विकास को बनाये रखना, शोध और विकास को बढ़ावा देना तथा वस्तु एवं सेवा कर के शीघ्र क्रियान्वयन को प्रमुख चुनौतियों के रूप में पहचाना गया।
- इसमें हांगकांग चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जबकि अमेरिका को तीसरा।

C.3. विश्व आर्थिक फोरम के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक

(WEF's Global Competitiveness Index)

Global Competitiveness Index ranking

	2014-15	2015-16
Switzerland	1	1
Singapore	2	2
US	3	3
Malaysia	20	18
China	28	28
Indonesia	34	37
Russia	53	45
South Africa	56	49
India	71	55
Brazil	57	75

How India is ranked

	2014-15	2015-16
Sub-indexes		
Basic requirements	92	80
Efficiency enhancers	62	58
Innovation & sophistication	52	46
Key parameters		
Quality of institutions	70	60
Macro stability	101	91
Infrastructure	87	81
Health & primary education	98	84
Labour market efficiency	112	103
Tech readiness	121	120

Note: The 2015-16 ranking is of 140 countries, while the 2014-15 one was of 144 countries.

Source: World Economic Forum

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के इस वर्ष के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 16 पायदान ऊपर चढ़ कर 140 देशों को सूचि में 55वें स्थान पर पहुंच गया है।

सुधार वाले क्षेत्र कौने से हैं ?

व्यापक आर्थिक स्थिरता, संस्थानों की गुणवत्ता जैसे कुछ क्षेत्रों में भारत सुधार का साक्षी बना हालांकि, अन्य क्षेत्र भी ध्यान देने योग्य हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- तकनीकी तत्परता
- श्रम बाजार
- भारत में कारोबार करने में बाधाएं

अन्य निष्कर्ष:

- इस सूची में शीर्ष पर क्रमश: स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश हैं।

- उभरते हुए बड़े बाजारों में दक्षिण अफ्रीका 7 पायदान प्रगति करके 49वें स्थान पर पहुंच गया है जबकि चीन 28वें स्थान पर स्थिर बना हुआ है। इंडोनेशिया (तीन पायदान नीचे) 37वें स्थान पर है और ब्राजील 75वें स्थान पर है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट (जी.सी.आर.) एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक:

1. GCR विश्व आर्थिक फोरम द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाने वाला एक रिपोर्ट है।
2. वर्ष 2004 से वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट द्वारा विभिन्न राष्ट्रो की Xavier Sala-i-Martin एवं Elsa V. Artadi द्वारा विकसित वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के आधार पर रैंकिंग की जाती है।
3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक द्वारा संस्थाओं, नीतियों एवं कारकों के उन समुच्चयों का मापन किया जाता है जो संधारणीय मार्ग एवं मध्यावधिक आर्थिक संवृद्धि स्तर निर्धारित करते हैं।

C.4. कारोबार करने में सरलता: भारत की स्थिति में सुधार

(Ease of Doing Business: India Moves up)

- विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ष 2016 के अनुसार भारत 189 देशों की सूची में 130 वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की रैंकिंग की तुलना में चार स्थानों का सुधार हुआ है।
- दक्षिण-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने सबसे अधिक सुधार दर्ज किया है।
- कारोबार करने में सरलता के मामले में भारत अब भी ब्रिक्स (BRICS) देशों में सबसे निचले पायदान पर है।
- दो सूचकों 'व्यवसाय का आरंभ' और 'विद्युत प्राप्ति' में सुधार से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए लगने वाले दिनों की संख्या इस वर्ष भी 29 दिनों पर बनी रही।

चिंतित करने वाले क्षेत्र :

- 10 मापदंडों में से दो मापदंडो अनुबंध लागू करना तथा व्यवसाय समापन में भारत का प्रदर्शन बहुत खराब है।
- पिछले 12 महीनों के दौरान व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति थोड़ी कठिन हुई है। इसके परिणामस्वरूप रैंकिंग में छह स्थानों की गिरावट हुई है।
- वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के मामले में इस सूची के 189 देशों में से आठ दक्षिण एशियाई देशों में है भारत की तुलना में केवल बांग्लादेश की स्थिति निम्नतर है।

दो अध्यादेशों को कैबिनेट की स्वीकृति :

- कैबिनेट ने वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए दो अध्यादेशों को अनुमति प्रदान की है। इससे देश में कारोबार करने में सरलता की स्थिति में सुधार होगा।
- सरकार ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन करने वाले अध्यादेशों को अनुमति प्रदान कर दी है इस संशोधन द्वारा सरकार और वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक संभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग विधेयक, वर्ष 2015 को प्रभाव में लाएगी।
- मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में प्रस्तावित संशोधन के तहत , मध्यस्थ पंच को 18 महीने के भीतर मामले का निपटारा करना होगा। हालांकि, 12 महीने पूरे होने के पश्चात् मध्यस्थता वाले मामले विचाराधीन न रहें, इसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जाएंगे।

संविधान के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति

राष्ट्रपति

- संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित कर कानून बनाने की शक्ति बनाने की शक्ति देता है जब संसद के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो और इस कारण संसद में कानून बनाना संभव नहीं होता है।

- कार्यपालिका के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति की निम्नलिखित सीमाएं हैं:

✓ **विधायी सत्र में नहीं हो:** राष्ट्रपति केवल एक अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में नहीं है।

✓ **तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है:** राष्ट्रपति अध्यादेश तब तक प्रख्यापित कर सकते हैं जब तक कि वह संतुष्टन हो जाएँ की 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता है।

✓ **सत्र के दौरान संसद की मंजूरी:** अध्यादेश को संसद सत्र के प्रारंभ होने के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर इसे छह सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं किया जाता है तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाएंगे।

राज्यपाल

- किसी राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जब राज्य विधान सभा (या द्विसदनीय विधायिकाओं में राज्य में दोनों सदन में कोई भी सदन) सत्र में नहीं है।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां अध्यादेश बनाने के संबंध में मोटे तौर पर एक समान हैं।
- हालांकि, राज्यपाल तीन मामलों में राष्ट्रपति से निर्देश के बिना एक अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, जहां समान विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

C.5.वैश्विक निर्धनता पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

(World Bank Report On Global Poverty)

हाल ही में, विश्व बैंक ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों पर वर्ष 2014-15 के लिए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष निम्नलिखित हैं -

- विश्व बैंक द्वारा जारी नवीन अनुमान यह प्रदर्शित करते हैं कि दुनिया में निर्धनता घटी है। अब 10 में एक से भी कम लोग चरम निर्धनता में निवास कर रहे हैं।
- **पिछले 25 वर्षों में 1.2 बिलियन से अधिक लोग वैश्विक निर्धनता रेखा से ऊपर उठे हैं।** ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हुआ है कि अफ्रीका के कुछ भागों को छोड़कर विश्व के अधिकतर भागों में सर्वाधिक बुरी निर्धनता नियंत्रण में दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व में वर्ष 2030 तक चरम निर्धनता समाप्त हो जाएगी।
- वर्ष 1990 से चरम निर्धनता में तीव्र गिरावट सर्वाधिक स्पष्ट रूप से वैश्विक वृद्धि से जुड़ी है | यह वैश्विक वृद्धि अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के उपरांत हुई ।
- स्पष्ट रूप से चीन की असाधारण आर्थिक सफलता वैश्विक निर्धनता में इतनी तीव्र गति से गिरावट आने का एक प्रमुख कारण है। इससे पहले किसी भी देश ने इतनी कम समयावधि में इतने अधिक लोगों को निर्धनता से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त नहीं की है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

- वर्ष 2008 और 2011 के बीच लगभग 140 मिलियन लोगों को पूर्ण निर्धनता से बाहर निकालते हुए भारत निर्धनता कम करने में सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है।
- यह उल्लेखनीय उपलब्धि भी पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में विश्व के चरम निर्धन लोगों में से 30 प्रतिशत लोग भारत के थे।
- श्रीलंका, नेपाल और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी निर्धन लोगों की संख्या में कमी करने का बेहतर कार्य किया है।

VISION IAS

C.6. सातवाँ वेतन आयोग

(The Seventh Pay Commission)

- सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की।
- स्वीकृत होने के बाद आयोग की सिफारिशों से 47 लाख कार्यरत सरकारी कर्मचारी, 52 लाख पेंशनभोगियों के साथ सुरक्षाकर्मी भी लाभान्वित होंगे।

वेतन आयोग क्या है?

- वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर किया जाता है। यह भारत सरकार के सिविल एवं सैन्य विभागों के वेतन-प्रारूप में बदलाव के सन्दर्भ में अपनी सिफारिशें देता है।
- पहले वेतन आयोग का गठन 1956 में किया गया था, तब से, हर दशक में आयोग का गठन किया जाता है।

7वें वेतन आयोग के मुख्यबिंदु

- सिफारिशों का क्रियान्वयन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा।
- रु. 18000 प्रतिमाह न्यूनतम व रु. 2.25 लाख अधिकतम वेतन निर्धारित।
- वार्षिक वेतन वृद्धि दर 3 प्रतिशत पर कायम।
- पेंशन में 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी।
- सेना में OROP की तर्ज़ पर अन्य सरकारी कर्मियों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश।
- आनुतोषिक (gratuity) की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये; जब भी DA (दैनिक भत्ता) में 50% की बढ़ोत्तरी होगी उपादान (gratuity) की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ायी जायेगी।

C.7. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित अवसंरचना विकास की समीक्षा पर विजय केलकर समिति की रिपोर्ट

(Vijay Kelkar Committee Report On Review Of Ppp Infrastructure Development)

2015-16 के बजट में की गयी घोषणा के अनुसार अवसंरचना विकास के **सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में सुधार के लिए** वित्त मंत्री द्वारा केलकर समिति का गठन किया गया था।

प्रमुख सिफारिशें:

1. विभिन्न क्षेत्रों की अवरुद्ध परियोजनाओं को संबोधित करने के लिए **स्वतंत्र नियामकों की स्थापना**।
2. निर्णय निर्माण एवं कार्यों में भ्रष्टाचार तथा वास्तविक गलतियों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए **भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन** करना।
3. ऐसी परियोजनाओं के लिए **आसान फंडिंग** तथा सरकारों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जीरो कूपन बांड को प्रोत्साहन देना। इसके निम्नलिखित परिणाम होंगे।

VISION IAS

- लंबी परिपक्वता अवधि वाली पीपीपी परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सकेगी। उदाहरण के लिए- हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे का विकास।
- अवसंरचना क्षेत्र में उपयोग शुल्क (यूजर चार्जेज) से सुलभ ऋण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- बैंकों के जोखिम मूल्यांकन और आकलन क्षमताओं का निर्माण।
- इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण डिलीवरी के बाद स्थिर राजस्व प्रवाह वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए मौद्रीकरण के प्रावधान किये जाने चाहिये ।

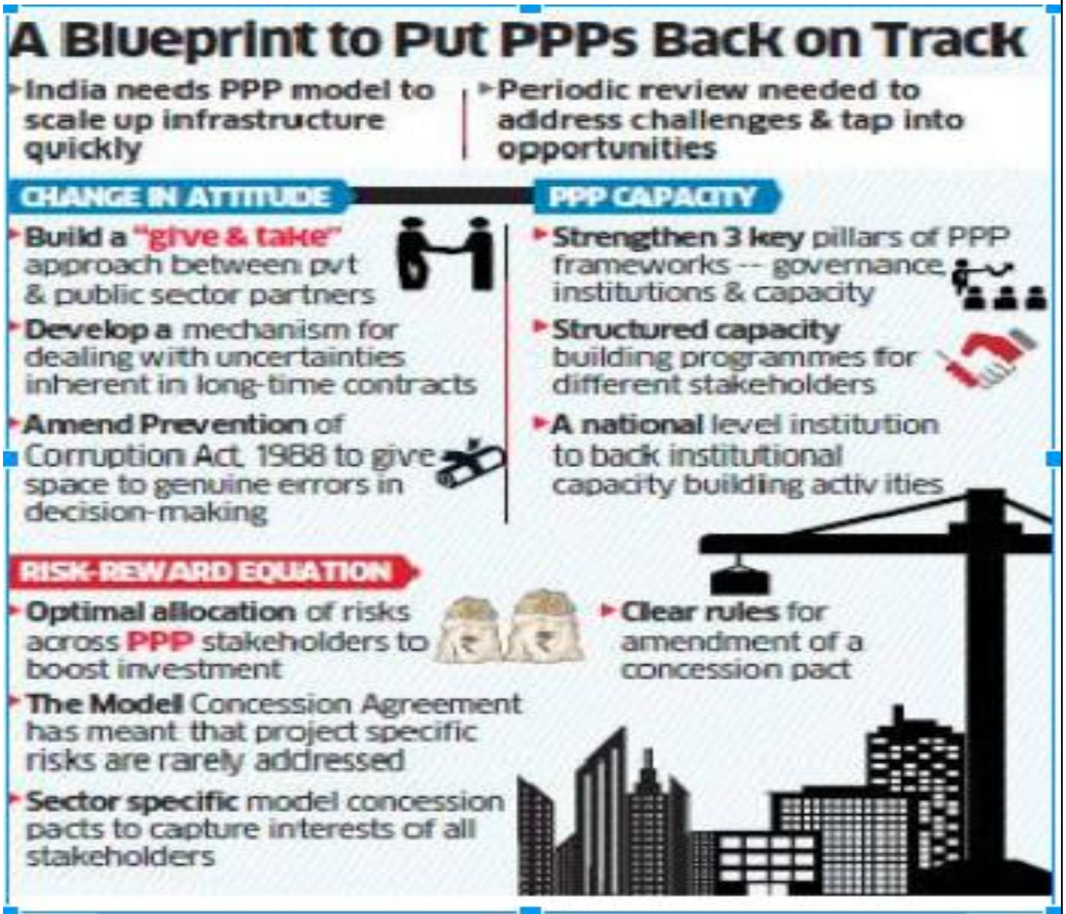

4. 3पी इंडिया का समर्थन

- समिति जोरदार तरीके से '3पीआई' का अनुमोदन करती है जो पीपीपी में उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में काम करने के अतिरिक्त, अनुसंधान, समीक्षा तथा क्षमता के निर्माण के लिए गतिविधियों को शुरू करने और अनुबंधकारी तथा विवाद निपटान तंत्रों के अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत मॉडलों की स्थापना को सुगम बनाते हैं।

5. राजकोषीय लाभ के बजाय सेवा वितरण पर ध्यान देना

पीपीपी परियोजनाओं में निहित जोखिमों की उचित पहचान तथा विभिन्न हितधारकों के मध्य उनका वितरण करने के लिए उनके द्वारा प्राप्त होने वाली सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

6. अवसंरचना पीपीपी परियोजना समीक्षा समिति की स्थापना (IPRC)

- **उद्देश्य-** ऐसी परियोजनाओं के संदर्भ में आने वाली समस्याओं से निपटना।
- **संगठन-** अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि से एक विशेषज्ञ और अन्य क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग और कानून से एक या अधिक विशेषज्ञ।

- **अधिदेश-** पीपीपी आधारित ऐसी आधारभूत संरचना से सम्बंधित परियोजनाएँ जो दी हुयी समय सीमा के अंतर्गत अपने कार्य को समाप्त नहीं कर पाती हैं ,के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए और उचित कानूनी कार्यवाहियों को सुझाते हुए यह समिति अपनी रिपोर्ट एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगी |

7. अवसंरचना पीपीपी अधिनिर्णय न्यायाधिकरण(IPAT)

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे।
- कम से कम एक तकनीकी और एक वित्तीय सदस्य का होना प्रस्तावित है।

8. निम्नलिखित के लिए मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट को अपनाना:

- प्रबंध जोखिम का उचित मूल्यांकन
- बोली लगाने वाले दस्तावेज में ही पुन: वार्ता का विकल्प
- उपयोगकर्ताओं, परियोजना समर्थकों, रियायत दाताओं, उधारदाताओं और बाजार सहित सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के मॉडल रियायत समझौते की समीक्षा

9. क्षेत्र विशिष्ट सिफारिशें

- **विमानपत्तन**: सरकार को ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **रेलवे**: पीपीपी अवसरों का दोहन करने में मदद करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क नियामक प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिये।
- **सड़क**: बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) परियोजनाओं के लिए रियायत की अवधि बढ़ानी चाहिए।
- **ऊर्जा:** कई ऊर्जा परियोजनाएं पीपीपी के तहत नहीं हैं। इस क्षेत्र में वित्तीय समाधान की जरूरत है क्योंकि इससे बैंक ऋण पर असर पड़ रहा है।
- **बंदरगाह:** प्रमुख बंदरगाहों के लिए पुरानी टैरिफ अथॉरिटी के स्थान पर नई टैरिफ अथॉरिटी लाना।

10. निम्नलिखित प्राधिकारी वर्ग के सोच और नज़रिए में बदलाव:

- निजी क्षेत्रक के साथ साझेदार सार्वजनिक एजेंसियाँ,
- पीपीपी का पर्यवेक्षण करने वाले सरकारी विभाग,
- पीपीपी की निगरानी करने वाले लेखा और विधायी संस्थान

11. बहुत छोटी परियोजनाओं में पीपीपी मॉडल व्यवहार्य नहीं है

- समिति ने बहुत छोटी परियोजनाओं के लिए पीपीपी मॉडल के उपयोग के खिलाफ सलाह दी है। छोटी पीपीपी परियोजनाओं के लाभ उनकी प्रबंधन की जटिलता और परिणामस्वरूप लागत के अनुरूप नहीं होते।

12. स्विस चैलेंज (स्विस चुनौतियों) का मुद्दा

- अनापेक्षित प्रस्तावों ("स्विस चैलेंज") को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे खरीद प्रक्रिया में जटिलता उत्पन्न कर सकते हैं।
- उनका परिणाम पारदर्शिता में कमी एवं खरीद प्रक्रिया में संभावित बोलीकर्ताओं के साथ अनुचित एवं असमान बर्ताव के रूप में सामने आ सकता है।

VISION IAS

C.8. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर अरविंद सुब्रमण्यन समिति की रिपोर्ट

(Arvind Subramanian Committee REport on GST)

- अंतर-राज्यीय आवा-जाही पर लगने वाले 1% कर को हटाना
- जीएसटी की मानक दर (स्टैण्डर्ड रेट) 17-18 फीसदी के दायरे में हो।
- जीएसटी की राजस्व तटस्थ दर (रेवेन्यु न्यूट्रल रेट-RNR) 15-15.5 प्रतिशत हो।
- जीएसटी दर की तीन स्तरीय संरचना:

✓ आवश्यक वस्तुओं पर 12 फीसदी की अपेक्षाकृत कम दर से कर लगाया जाएगा,

✓ लक्जरी कारों, वातित (aerated) पेय पदार्थों, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद जैसी डिमेरिट वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा तथा

✓ शेष सभी वस्तुओं पर 17-18 फीसदी की मानक दर से कर लगाया जाएगा।

अपवाद:

कर की दरों की गणना करते समय अचल संपत्ति, बिजली, शराब और पेट्रोलियम उत्पादों को सम्मिलित नहीं किया गया

C.9. पनामा दस्तावेज़ लीक

(Panama Papers Leak)

सुर्खियों में क्यों?

- मोसैक फ़ोनसेका नामक एक लॉ फर्म, जिसका मुख्यालय टैक्स हेवन देश पनामा में अवस्थित है, की गुप्त फाइलों में से 11 मिलियन से अधिक दस्तावेज लीक हो गए।
- इन दस्तावेजों में उन व्यक्तियों के नाम उजागर हुए हैं, जिन्होंने दुनिया भर के टैक्स हेवन देशों में अपतटीय संस्थाओं (offshore entitie) की स्थापना की है।
- ये अपतटीय संस्थायें वास्तविक स्वामित्व छुपाती हैं लेकिन फिर भी इसे शिथिल कर नियामक प्रणालियों का अनुपालन करती हैं।
- फर्म की अपतटीय कंपनियों, संस्थाओं और ट्रस्ट की सूची में 500 से अधिक भारतीयों के नाम हैं।

प्रासंगिक कानून

- RBI के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalized Remittance Scheme-LRS) के तहत प्रति वर्ष 2,50,000 डॉलर तक की राशि के प्रेषण (remit) की अनुमति है।
- हालांकि RBI व्यक्तियों को LRS के तहत पहले केवल शेयर खरीदने की अनुमति देता था, परंतु अगस्त 2013 के बाद इन्हें विदेशों में कंपनियों की स्थापना करने की भी अनुमति प्रदान की।
- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा निर्धारित “गैर-सहयोगी” (non-cooperative) देशों में उक्त धन नहीं भेजा जा सकता है।

VISION IAS

C.10. रेलवे के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट

(Bibek Debroy Committee Report on Restructuring of Railways)

भारतीय रेल के पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट ने एक पांच साल का रोडमैप तैयार किया है। इसका उद्देश्य रेल बजट को खत्म करना, एक सांविधिक रेल नियामक विकसित करना और रेलवे को निजी क्षेत्र के लिए खोलना है।

- समिति की सिफारिशें तीन स्तंभों पर आधारित हैं: वाणिज्यिक लेखा, मानव संसाधन के क्षेत्र में परिवर्तन और एक स्वतंत्र नियामक।
- रिपोर्ट में एक ऐसे रेल मंत्रालय के सृजन की परिकल्पना की गई है जिसमें कम से कम तीन सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। ये अधिकारी रेलवे बोर्ड से जुड़े नहीं रहेंगे। ये मंत्रालय सिर्फ रेलवे के लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण रेल क्षेत्र (rail sector)के लिए नीति बनाएगा, जिससे रेल क्षेत्र में `निजी प्रवेश और निजी निवेश प्रोत्साहित होगा और प्रतियोगिता सुनिश्चित होगी।
- रिपोर्ट में एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक रेलवे नियामक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है जो रेलवे के नवीनीकरण के लिए जरूरी है। यह नियामक तकनीकी मानक निश्चित करेगा, भाड़ा दर निश्चित करेगा और विवादों को हल करेगा। नियामक किराया संशोधन की सिफारिश करेगा, लेकिन यह रेल मंत्रालय पर बाध्यकारी नहीं होगा।
- 5 साल के बाद रेल बजट समाप्त हो जाना चाहिए और सरकार को सब्सिडी के माध्यम से रेलवे द्वारा वहन किये जाने वाले सामाजिक लागत का पूरा बोझ उठाना चाहिए।
- समिति ने रेलवे ट्रैक निर्माण, ट्रेन संचालन, और रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाइयों को विभिन्न संस्थाओं के तहत अलग-अलग करने की सिफारिश की है।

C.11. आर.वी ईश्वर पैनल

(Easwar Panel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रत्यक्ष कर कानूनों में बदलाव व उन्हें सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.वी ईश्वर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी है।

प्रमुख सिफारिशें:

- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.), कर योग्य आय में से व्यय के दावों तथा कर रिफंड से संबंधित प्रावधानों सरल बनाना।
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने, मुकदमेबाजी को कम करने तथा कर विवादों के समाधान में तीव्रता लाने के लिए विभिन्न टैक्सपेयर्स फ्रेंडली उपायों को अपनाना।

VISION IAS

- आय संगणना और प्रकटीकरण मानक (Income Computation and Disclosure Standards (ICDS)) के विवादास्पद प्रावधानों को स्थगित करना और रिफंड की प्रक्रिया को तीव्रतम करना।
- उस नियम/खंड को समाप्त करना, जो आयकर विभाग को करदाता के रिफंड ड्यू को छह महीने से आगे भी भुगतान करने की अनुमति देता है और टैक्स रिफंड में देरी के लिए उच्च ब्याज का भुगतान।
- 5 लाख तक के स्टॉक ट्रेडिंग (शेयर व्यापार) लाभ को पूंजीगत लाभ माना जायेगा न कि व्यापार आय। यह एक ऐसा कदम है, जो स्टॉक बाजार में और अधिक खुदरा निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।
- एकल व्यक्ति के लिए टी.डी.एस की दरों को 10% से घटाकर 5% तक किया जाना चाहिए। लाभांश आय, जिस पर लाभांश वितरण कर लगाया जा चुका है, कुल आय के एक हिस्से के रूप में व्यवहृत किया जाना चाहिए।

प्रकल्पित आय योजना के अंतर्गत पेशेवरों या व्यवसायों को बही-खाता रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन्हें अपने संभावित आय की गणना के आधार पर कर का भुगतान करना होता है। जैसे- पेशेवरों के लिए यह प्रस्तावित है कि उनके पिछले साल के 33.3% प्राप्तियों की आय के रूप में गणना की जाएगी, जिस पर उन्हें कर का भुगतान करना होगा। यदि उनके लाभ इससे बहुत कम है तो उन्हें बही-खाता रखने की आवश्यकता होगी जिसमे व्ययों का स्पष्ट वर्गीकरण समाहित होता है तथा उसी हिसाब से उन्हें कर का भुगतान करना होता है।

C.12. असमानता पर ऑक्सफाम की रिपोर्ट

(Oxfam Report on Inequality)

- गरीबी उन्मूलन चैरिटी 'ऑक्सफेम इंटरनेशनल' "An Economy for the 1%" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- सन 2000 के बाद से विश्व की आधी सर्वाधिक गरीब जनसंख्या को वैश्विक सम्पति की कुल वृद्धि का सिर्फ 1% प्राप्त हुआ है, जबकि ऐसी वृद्धि का 50% शीर्ष 1% जनसंख्या को प्राप्त हुआ है।
- 62 व्यक्तियों की कुल संपत्ति 3.6 अरब व्यक्तियों की कुल सम्पति के बराबर है।
- विश्व बैंक के एक पूर्वानुमान के अनुसार यदि गरीबों के उत्थान के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के परिणाम शीघ्र हीं दिखाई नहीं दिए, तो 2030 तक लगभग 50 करोड़ लोग बेहद गरीबी में ही जीने को विवश होंगे।
- असमानता वैश्विक आर्थिक वृद्धि और पूरे विश्व में सामाजिक एकजुटता के लिए भी खतरा प्रस्तुत करती है।

VISION IAS

C.13. भारत में असमानता में वृद्धि

(Growing Inequality In India)

- बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट, "***विनिंग दी ग्रोथ गेम: ग्लोबल वेल्थ 2015"*** में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं।

✓ विश्व के सबसे अधिक 20% निर्धन लोगों में लगभग 25% लोग भारतीय हैं। इसमें चीन की संख्या केवल 3% ही है।

✓ आज ***भारत के 1% समृद्ध लोग, भारत की 49% व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामी*** हैं और ***शीर्ष 10% भारतीय देश की 74% व्यक्तिगत सम्पत्ति*** के स्वामी हैं।

- हालांकि, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारत में इस बढ़ती असमानता से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ***यह आर्थिक विकास का सामान्य प्रवाह है।*** किसी एक शहरी स्थान पर बढ़ते हुए उद्योग समुच्चय, अपने सम्पूर्ण प्रभाव क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के और अधिक विकास को प्रोत्साहन देते हैं। कुछ वर्षों तक, इससे आय और विकास के परस्पर अंतरों में बहुत अधिक वृद्धि होती है, परन्तु अधिकतम सीमा पर पहुंचने के बाद, असमानता उलटे 'U' शब्द के समान घटनी शुरू हो जाती है, जिसे हम ***कुज्नेट वक्र*** कहते हैं। इसे हम जॉन एफ. केनेडी के यादगार कथन *"उठती हुई लहरें सभी नावों को उठा देती हैं"* के रूप में भी जानते हैं।

कुज्नेट वक्र

अर्थशास्त्र में, *कुज्नेट वक्र* एक परिकल्पना है जिसके अनुसार, जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो पहले बाजार ताकतें बढती हैं और उसके पश्चात आर्थिक असमानता में कमी आती है। यह परिकल्पना 1950 और 60 के दशक में अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेट द्वारा विकसित किया गया था।

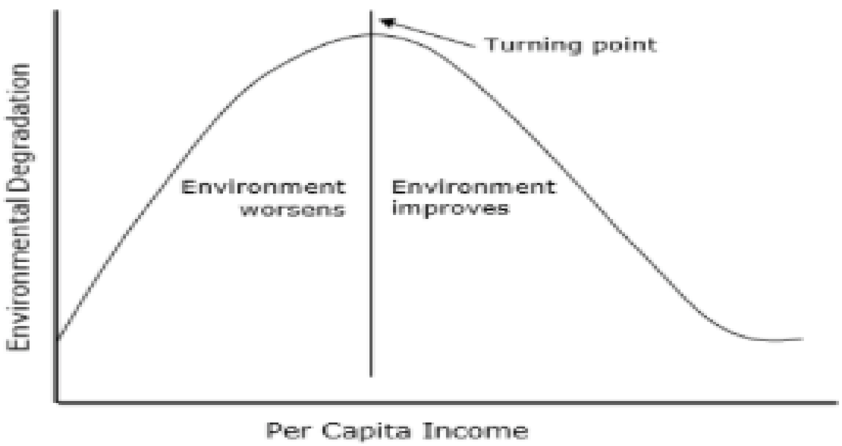

C.14. तपन राय पैनल की सिफारिशें

(Tapan Ray panel Recommendations)

2013 के कंपनी अधिनियम की समीक्षा करने के उद्देश्य से गठित किये गए तपन राय पैनल ने 2000 से अधिक सुझाव और सिफारिशें दी हैं। इनका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 1956 से लेकर कंपनी

 ©Vision IAS

अधिनियम, 2013 तक के परिवर्तन को सुगम बनाना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा स्टार्ट-अप के लिए बेहतर माहौल प्रदान करना है।

मुख्य सिफारिशें:

- 2013 के अधिनियम के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अगर अपने शुद्ध लाभ का 11% से अधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में देना चाहे तो उसे इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। पैनल ने सिफारिश में इस प्रावधान को ख़त्म करने की माँग की है।
- सेबी और कंपनी अधिनियम के डिसक्लोजर मानकों के बीच सामंजस्य- स्वतंत्र निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- “सहायक कंपनी” को नियंत्रक कंपनी की "कुल शेयर पूंजी" के बजाय नियंत्रक कंपनी के मताधिकार के सन्दर्भ में परिभाषित करना।
- धारा 2(87) के तहत प्रावधान को हटाना, जो कंपनियों को दो स्तर से अधिक सहायक कंपनियों बनाने से रोकता है।
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority) के रूप में एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करना, जो लेखा और लेखा मानकों से संबंधित मामलों के लिए सेवा प्रदान करेगी। इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
- स्टार्ट-अप को प्रदत्त पूंजी का 50% उद्यम इक्विटी के रूप में जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए; मौजूदा प्रावधान में यह 25% है।
- स्टार्ट-अप को उन प्रमोटरों के लिए कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (employee stock ownership plan) जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कर्मचारी या कर्मचारी निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।
- केवल वही धोखाधड़ी मामले जो 10 लाख रूपए या उससे ज्यादा के हो, या कंपनी के कुल टर्नओवर का एक फीसदी या उस से ज्यादा हो (दोनों में से जो भी कम हो), को ही धारा 447 के तहत दंडनीय हो सकते है।

C.15. पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030

(Hydrocarbon Vision 2030 for North-East)

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 जारी किया है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का लाभ उठाना है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक तेल और गैस के उत्पादन को दोगुना करना है।
- इस विजन के पांच स्तंभ हैं: लोग, नीति, भागीदारी, परियोजनाएं और उत्पादन (5Ps)।
- शामिल राज्य: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम

VISION IAS

C.16. रोजगार पर श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण 2015

(Labour Bureau Survey on Employment 2015)

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- आठ श्रम प्रधान उद्योगों में वर्ष 2015 के पहले नौ महीनों में नई नौकरियों का सृजन वस्तुतः पिछले छह साल के निचले स्तर पर आ गया और सिर्फ 1.55 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ।
- इसके विपरीत, जनवरी से सितंबर 2014 के बीच 3.04 लाख नए रोजगार और 2013 की इसी अवधि में 3.36 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ था।
- जनवरी से सितंबर 2015 के बीच 21000 संविदा नौकरियां कम हुईं जबकि 2014 की इसी अवधि में 1.2 लाख की वृद्धि हुई थी।
- सर्वेक्षण में पाया गया है कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में 2015 के दौरान 19000 नौकरियां कम हुईं और हथकरघा/पावरलूम में 11000 नौकरियां कम हुईं।
- चमड़े और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 8000 नौकरियां कम हुईं और परिवहन क्षेत्र में 4000 नौकरियों की कमी दर्ज की गयी।

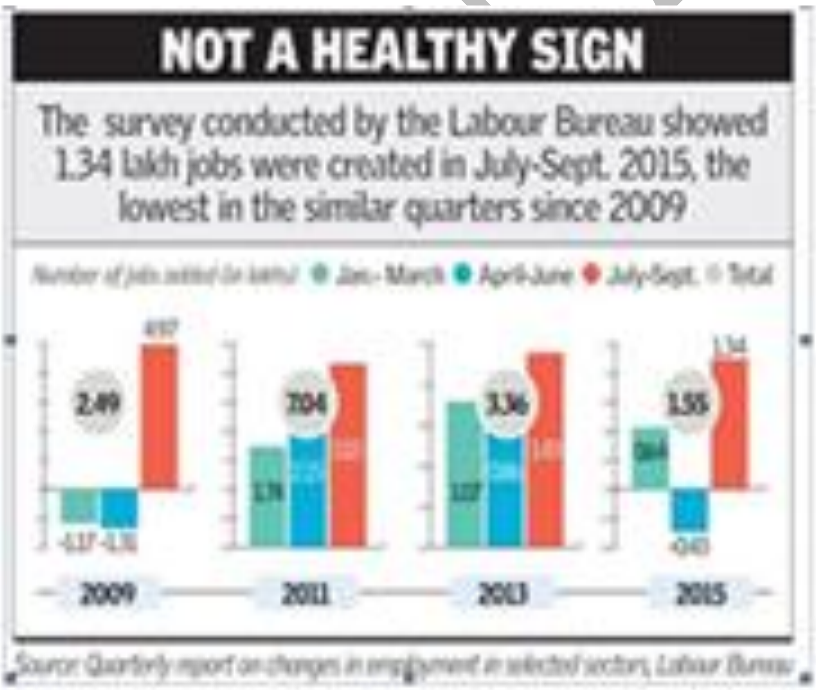

सर्वेक्षण के बारे में

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत, श्रम ब्यूरो ने 2008-09 के वैश्विक संकट के बाद से तिमाही सर्वेक्षण चालू किया जिसका उद्देश्य आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रोजगार पर प्रभाव का आकलन करना था
- वस्त्र, चमड़ा, धातु, वाहन, रत्न एवं आभूषण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और हथकरघा।

C.17. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक और भारत

(international Intellectual Property Index)

- यू.एस. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र (GIPC) ने एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 38 देशों में से 37वें स्थान पर रखा है।
- इन 38 अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 85 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- भारत लगातार चौथे वर्ष इस सूचकांक में इतने नीचे स्थान पर है।
- पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सुरक्षा, प्रवर्तन और अंतरराष्ट्रीय संधियों में अनुबंध सहित यह सूचकांक 30 मापदंडो पर आधारित है।

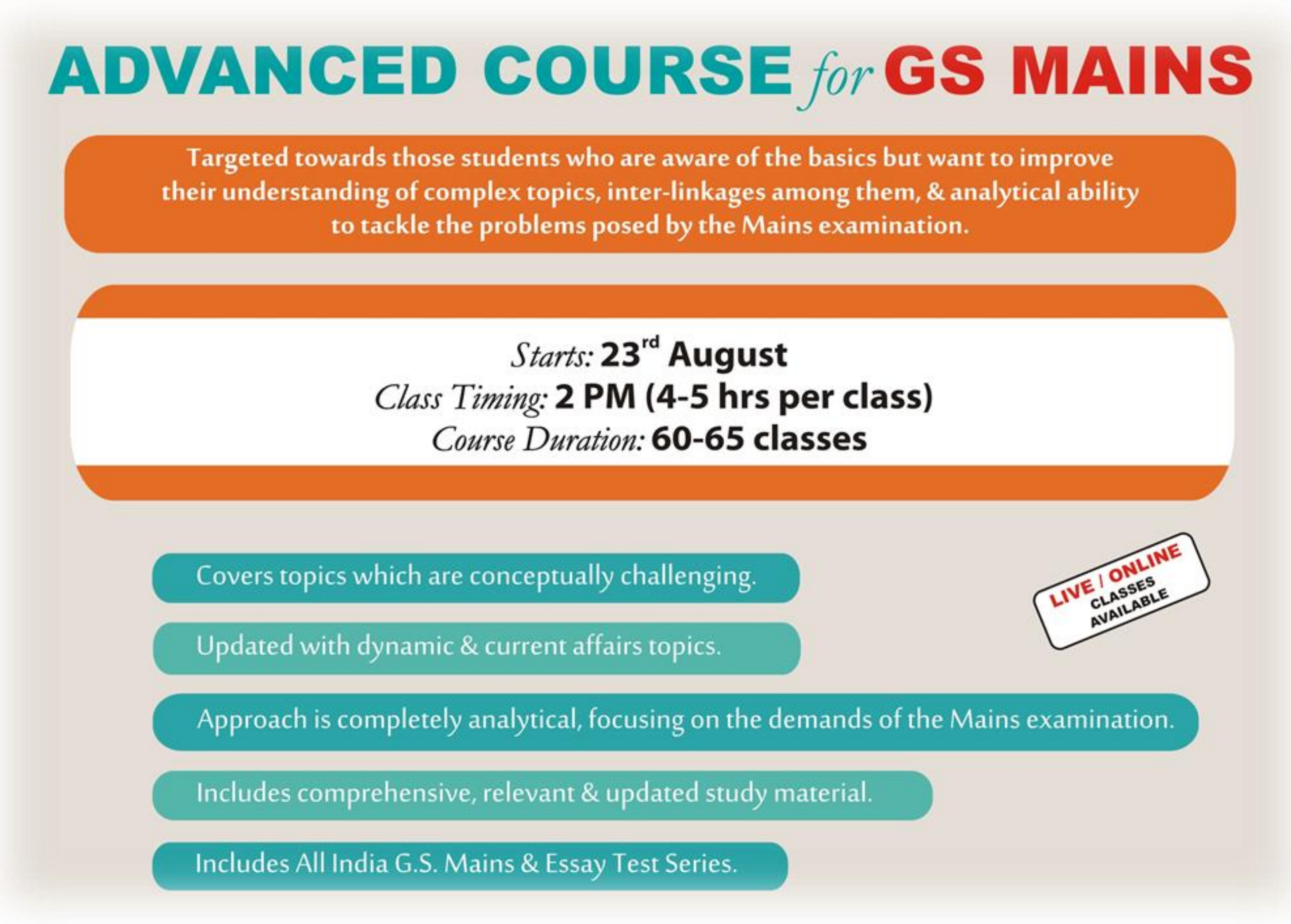

D. खाद्य एवं कृषि

D.1. जूट की कीमतों में उछाल

(Jute Price Rise)

पृष्ठभूमि

हाल में कच्चे जूट की कुछ किस्मों की कीमतें 50% तक बढ़ गयी जिसने जूट मिल मालिकों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

कीमतों में उछाल के कारण

- बाढ़ के चलते पश्चिम बंगाल के नाडिया और मुर्शिदाबाद जिले में फसल की बर्बादी।
- कच्चे जूट के निर्यात पर बांग्लादेश का प्रतिबन्ध।
- व्यापारियों की जमाखोरी के चलते आपूर्ति में उत्पन्न हुआ कृत्रिम अभाव।

(NOTE : कृपया जूट की खेती और मौसम मापदंडों के बारे में पढ़ें)

D.2. मराठवाड़ा में सूखा और चीनी मिलों का मुद्दा

(Marathwada Drought and Sugar Factories)

सुर्खियों में क्यों?

मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र पानी की भीषण कमी का सामना कर रहे हैं (करीब 40 प्रतिशत कमी)। इस क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष वर्षा कम होने के परिणामस्वरूप सूखे की स्थिति विद्यमान है।

मुद्दाः क्या गन्ने की खेती मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे के लिए जिम्मेदार है?

समर्थन में तर्क

- गन्ने की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है (2000 से 2500 मिमी पानी)। उत्तरी क्षेत्रों में नदियों का विशाल नेटवर्क है, लेकिन महाराष्ट्र में गन्ने की खेती पानी की कमी वाले क्षेत्रों में होती है।
- गन्ने की खेती के तहत यहाँ केवल 4 प्रतिशत भूमि है जो सिंचाई के लिए उपलब्ध जल के 71.5 प्रतिशत का उपयोग करती है।
- इस क्षेत्र में 20 से अधिक चीनी मिलें हैं और प्रत्येक मिल में प्रति टन गन्ने की पेराई के लिए लगभग 1500 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है।
- कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र जल और सिंचाई आयोग ने भी गन्ने की खेती को इस क्षेत्र में बंद करने की सिफारिश की थी।

D.3. समुद्री मत्स्य पालन

(Marine Fisheries)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति में संशोधन करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

VISION IAS

गहरे समुद्र में मत्स्यिकी पर डॉ बी. मीना कुमारी आयोग

पूर्व में गहरे समुद्र संबंधी मत्स्यिकी नीति की व्यापक समीक्षा के लिए डॉ बी. मीना कुमारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसाओं का पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने वाले समुदायों द्वारा विरोध किया गया था। अनुशंसाओं से जुड़े कुछ मुद्दें हैं:

- प्रादेशिक जल क्षेत्र में 22 कि.मी. और 370 कि.मी. के बीच- EEZ में मछली पकड़ने के लिए हाल ही में जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में इस क्षेत्र में केंद्र से "अनुमति पत्र" प्राप्त करने पर 15 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाले जहाजों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
- इन जहाजों का स्वामित्व या अधिग्रहण भारतीय उद्यमियों द्वारा या 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश वाले संयुक्त उपक्रम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- पारंपरिक मछुआरों को भय है कि इस प्रकार के मत्स्यिकी उपक्रम अभी उनकी पहुंच के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण करके उनकी आजीविका को खतरे में डाल देंगे।
- सबसे विवादास्पद अनुशंसाओं में से एक तट के साथ-साथ निकट तटीय और अपतटीय क्षेत्रों (गहराई में 200 मीटर और 500 मीटर के बीच पानी) के बीच बफर जोन का निर्माण और "निकट तटीय क्षेत्रों के साथ ही EEZ' में गहरे समुद्री क्षेत्रों में संसाधनों का संवर्धन करने के लिए वहाँ मत्स्यिकी का विनियमन है।

मत्स्य पालन क्षेत्र: परिप्रेक्ष्य

- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है और वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 5.43% का योगदान करता है।
- भारत एक्वाकल्चर के माध्यम से मत्स्य का प्रमुख उत्पादक है और चीन के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है।
- इसे आय और रोजगार के शक्तिशाली स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया है क्योंकि यह कई सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रेरित करता है और यह विदेशी मुद्रा अर्जक होने के अतिरिक्त सस्ते और पौष्टिक भोजन का स्रोत भी है।
- यह देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का स्रोत है। यह हमारे देश में लगभग 15 लाख लोगों की आजीविका को सहारा देता है।

आगे की राह

हाल ही में सरकार ने सभी विद्यमान योजनाओं को मिलाकर एक वृहद योजना 'नीली क्रांति : मत्स्य पालन का समन्वित विकास और प्रबंधन' तैयार की है।

नीली क्रांति

- इसमें "संधारणीयता, जैव-सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन के एकीकृत और समग्र विकास व प्रबंधन के लिए अनुकूल माहौल बनाने" की कल्पना की गई है।

VISION IAS

D.4. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

(Pradhan Mantri Fasal beema Yojna)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यह दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNIAS) की जगह लेगा।

पूर्ववर्ती योजनाओं से जुड़े मुद्दे:

- सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा उपज आधारित और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत लगभग 37 मिलियन अथवा 27% खेती करने वाले परिवारों को कवर किया जा रहा था।
- वर्तमान फसल बीमा योजना के तहत जोखिम को केवल आंशिक रूप से कवर किया जा रहा था।
- खरीफ फसलों के लिए मौजूदा प्रीमियम दरें 2.5% से लेकर 3.5% की सीमा में तथा रबी फसलों के लिए 1.5% से 2.5% तक की सीमा में निर्धारित किया जाता था किन्तु क्षतिपूर्ति अधिकतम कितनी भूमि पर नुकसान के लिए प्रदान की जाएगी, इसकी सीमा निर्धारित थी। जिसका अर्थ है किसानों उनके नुकसान का एक अंश ही प्राप्त हो सकता था।
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की गणना बीमांकिक (actuarial) आधार पर की जाती थी, जिसका अर्थ है कि ऐसे प्रीमियम बीमा में शामिल जोखिम के आधार पर कुल बीमित राशि के 25% हो सकते थे।
- फसल क्षति के आकलन में पारदर्शिता का अभाव रहा है और इस हेतु नवीनतम तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था।
- मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, यहां तक कि कई मामलों में एक वर्ष से भी अधिक का समय लग जाया करता है।

VISION IAS

PMFBY की मुख्य विशेषताएं:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इस साल खरीफ फसल के मौसम के दौरान आरंभ किया जाएगा।
- इस योजना का लक्ष्य अगले तीन साल में भारत की फसली क्षेत्र के आधे भाग को कवर करना है। वर्तमान कवरेज लगभग 23% है।
- किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें एक समान होंगी। इसके तहत सभी प्रकार के खरीफ फसलों के लिए केवल 2% तथा सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम देय होगा।
- वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में, किसानों द्वारा केवल 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यहाँ तक कि यदि शेष प्रीमियम 90% है, तो भी उक्त राशि का भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्रीमियम सब्सिडी पर सरकारी दायित्व केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
- सरकार ने फसल बीमा के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि की है। इसे 2015-16 के लिए आवंटित 2,823 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2018-19 के लिए 7,750 करोड़ रुपया कर दिया गया है।
- ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, भूस्खलन और बाढ़ सहित स्थानीय आपदाओं के लिए खेत स्तरीय मूल्यांकन प्रदान करने की सुविधा को उपलब्ध कराते हुए इस योजना के द्वारा किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी संबोधित किया जाएगा।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाएगा।
- फसल काटने के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट फोन का प्रयोग फोटो खींचने तथा उसे अपलोड करने में किया जाएगा। इसे किसानों को उनके दावे के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल फसल काटने प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए किया जाएगा।
- सरकार ने कहा है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) के मामले में, प्रीमियम दरों को PMFBY के अनुरूप युक्तिसंगत बनाया जाएगा। PMFBY 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो गया है।

PMFBY के लाभ:

- कुछ इलाकों में निरंतर सूखा और बेमौसम बारिश तथा ओला पड़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि खेती में जोखिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फसल बीमा की मौजूदा प्रणाली किसानों की इन समस्यायों का समाधान करने में असफल रही है।
- किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत ही कम हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि के एवज में किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान करने के लिए शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- कम प्रीमियम के कारण बीमा कंपनियों तथा फसल बीमा की संख्या में वृद्धि होगी और बीमाकर्ताओं के लिए बीमा योजनायें व्यवहारिक तौर पर उपलब्ध होंगी।

VISION IAS

- चुकि इसमें फसल कटाई के बाद (पोस्ट-हार्वेस्ट) के घाटे को भी शामिल किया गया है, अतः यह किसानों को सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा।

PMFBY की निम्नलिखित कमियों की कृषि अधिकार समूहों द्वारा पहचान की गई है:

- बीमा से संबंधित समस्याएं प्रीमियम दरों से अधिक व्यापक हैं। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में जहाँ MNIAS की प्रीमियम दरें काफी कम हैं, फिर भी वहां अभी भी बहुत कम लोगों के पास ऐसी बीमा उपलब्ध है।
- सरकार को यह उम्मीद है कि बीमा कवर अगले तीन वर्षों में मौजूदा 23% से बढ़कर 50% तक हो जाएगी। सरकार का यह अनुमान वस्तुतः तथ्यों व आंकड़ों के बजाए उम्मीदों पर अधिक आधारित है, जबकि पिछले अनुभव यह बताते हैं कि ऐसी सभी उम्मीदें धराशायी हो गयीं हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में सब्सिडी का वहन किया जाना है। परंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या राज्य अपने हिस्से की ऐसी सब्सिडी को वहन करने के लिए सहमत हो गए हैं।
- इस योजना के अंतर्गत काश्तकारों की समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है जो फसल खराब होने की जोखिम तो सहन करते हैं लेकिन मुआवजा और बीमा भुगतान के लिए हकदार नहीं होते हैं।
- जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान जैसे जोखिम अभी भी कवर नहीं किये गए हैं।
- 'आकलन की इकाई' फसल नुकसान या क्षति मुआवजा से जुड़ा हुआ एक प्रमुख मुद्दा है, जिसे नई योजना में ध्यान नहीं दिया गया है।

पूर्ववर्ती योजनाओं के साथ तुलना:

मानक	NAIS [1999]	MNAIS [2010]	PM Crop Insurance Scheme
प्रीमियम दर	Low	High	Lower than even NAIS and government to contribute 5 times that of farmer.
One Season – One Premium	Yes	No	Yes
Insurance Amount cover	Full	Capped	Full
On Account Payment	No	Yes	Yes

VISION IAS

Localized Risk coverage	No	Hail storm, Land slide	Hail storm, Land slide, Inundation
Post-harvest losses coverage	No	Coastal areas - for cyclonic rain	All India – for cyclonic and unseasonal rain fall.
Prevented Sowing coverage	No	Yes	Yes
Use of Technology	No	Intended	Mandatory
Awareness	No	No	Yes (Target to double coverage to 50%)

D.5. एकीकृत कृषि बाजार

(Unifying Agriculture Markets)

- आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार, भारत में प्रमुख विनियमित प्राथमिक कृषि बाजारों की कुल संख्या 2477 हैं।
- ये संबंधित राज्यों के APMC अधिनियम द्वारा संचालित होते हैं, जिसने बाजार विभाजन और बिचौलियों द्वारा शोषण और अक्षमताओं को प्रेरित किया है।
- सरकार ने जुलाई 2015 में 585 बाजारों में राष्ट्रीय कृषि मार्केट स्कीम शुरू की थी और अप्रैल 2016 में प्राथमिक तौर पर ई-व्यापार (e-trading) की शुरुआत की।
- इसी प्रकार का एक सफल प्रयोग कर्नाटक में आरंभ किया गया, जहाँ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्कीम (ReMs) नामक ई-प्लेटफ़ॉर्म में प्रमुख बाजारों को एकजुट किया गया।

D.6. राष्ट्रीय कृषि बाज़ार हेतु ई-मंच

(National Agricultural Market e-Platform)

वर्तमान कृषि विपणन के मुद्दे

- वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (APMC) अधिनियम किसानों के द्वारा फसल कटाई के पश्चात् केवल विनियमित बाजारों या मण्डियों में ही फसल की प्रथम बिक्री की अनुमति प्रदान करता हैं। अत: किसानों के खरीददारों की दुनिया केवल उन व्यापारियों तथा के दलालों तक सीमित कर दी गयी है जिन्हें किसी विशेष APMC के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ही कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त होता है।

VISION IAS

* इसके अतिरिक्त, अधिकतर मामलों में, उसी राज्य की अलग-अलग मंडियों में व्यापार करने के लिए एक से अधिक लाइसेंसों की आवश्यकता होती है।
* मंडियों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बिचौलियों के कारण किसानों के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

D.7. किसानों को जिंस वायदा बाजार से लाभ

(Benefits Of Commodity Futures Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस मुद्दे पर एसोचैम द्वारा आयोजित 14वें कमोडिटी वायदा बाजार शिखर सम्मेलन 2016 में चर्चा की गई।

जिंस वायदा बाजार के लाभ:

* अच्छी तरह से विकसित जिंस वायदा बाजार किसान कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है क्योंकि किसानों में सौदेबाजी शक्ति की कमी है और उनमे बाजार की स्थितियों के बारे में सीमित जागरूकता होती है।
* यह उन्हें उनकी कमाई के पूर्वानुमान में और उनके भविष्य के निवेश की योजना बनाने में मदद करेगा।
* ये बाजार कीमतों में मौसमी बदलाव को नियंत्रित करेंगे।
* ये फसल कटाई के बाद कीमतों में मंदी से किसानों की रक्षा करते हैं।

वायदा बाज़ार में भारतीय किसानों की भागीदारी निराशाजनक क्यों है?

* मूल्य जोखिम से बचाव-व्यवस्था में विशेषज्ञता की कमी के कारण।
* मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिक्री योग्य अधिशेष और पर्याप्त नकदी का न होना।
* अक्षम भौतिक संचालन, बिचौलियों की अत्यधिक संख्या, लम्बी और खंडित बाजार चेन ने किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य से वंचित कर दिया है।

VISION IAS

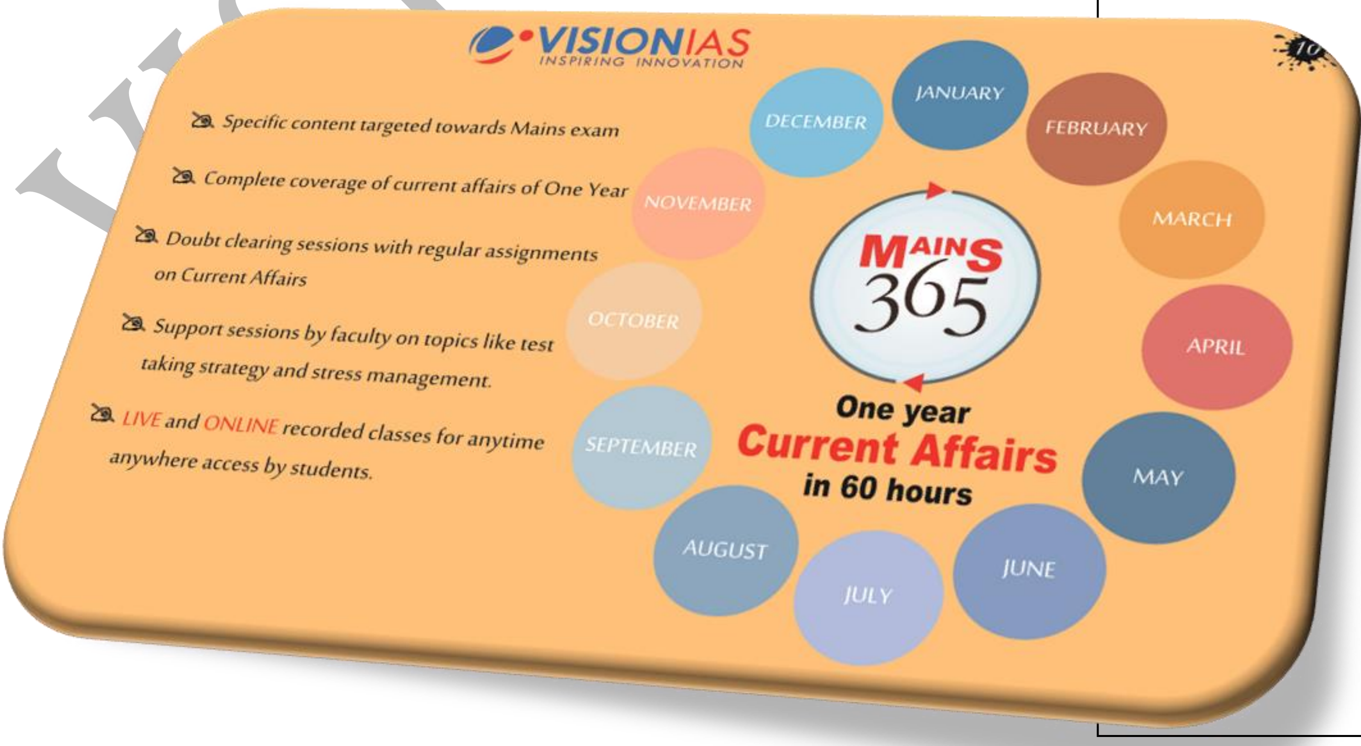

E. बाह्य क्षेत्रक

E.1. परियोजना ऋण के लिए विश्व बैंक की नवीन शर्ते

(World Bank's New Conditions for Project Loans)

प्रमुख बदलाव -

1) विश्व बैंक ने नये पर्यावरण एवं सामाजिक मानदण्ड प्रस्तावित किये हैं जो पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को कम करते हुए मुख्यतः श्रम एवं कार्य परिस्थिति को ध्यान में रख कर पर्यावरणीय मानकों को अधिक मजबूती प्रदान करेंगे।

2) प्रस्तावित शर्तों के आधार पर समय-समय पर बैंक द्वारा मूल्यांकन/आंकलन किया जायेगा जिससे पर्यावरणीय सामाजिक मानदण्डो के अनुरूप मापक एवं कार्यात्मक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।

3) प्रस्तावित ई.एस.एस. के प्रत्येक ऋणग्रही/उधार लेने वाला देश अपने सामाजिक एवं पर्यावरणीय कानून विश्व बैंक तंत्र के अनुरूप ही बनाना पड़ेगा।

4) यह बाल एवं बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करते हुए एक सशक्त व्यवस्था बनाने पर जोर देता है जिसके अन्तर्गत योजना हेतु कर्मचारियों की भर्ती में गैर उपेक्षापूर्ण एवं समानतापूर्ण व्यवहार अपनाया जाए, साथ ही कार्यस्थल पर रोजगार हेतु अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण पर भी बल देता है।

भारत का रूख -

1) भारत नियमित मूल्यांकन का विरोध कर रहा है क्योंकि ऐसे मूल्यांकन से परियोजना पर अनुचित एवं अधिक खर्च आयेगा।

2) ऐसे प्रावधान विश्व बैंक के साथ भारत में व्यापार करने संबंधी सरलताओं/माहौल में चुनौतियाँ उत्पन्न करेंगे।

3) भारत ने इन प्रावधानों को 'अधिक प्रतिगामी' की संज्ञा देते हुए बताया है कि ऐसे प्रावधानों से वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम अलाभकारी होंगे।

4) भारत ने दलील देते हुए कहा है कि उसका पर्यावरण एवं सामाजिक मानदण्ड आधारित प्रारूप् अधिक सशक्त है जो विश्व बैंक द्वारा पर्यावरणीय और सामाजिक मानको पर (ESS) आधारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है।

E.2. अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक

(Bank for International Settlement-BIS)

1) यह केन्द्रीय बैंकों का बैंक है।

2) यह स्विटजरलैण्ड के बेसल में अवस्थित है, इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 60 है जो विश्व के 95 प्रतिशत जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3) वर्ष 1930 में इसका गठन वर्साय की संधि के अन्तर्गत मुद्रा प्रबन्धन हेतु किया गया था।

4) अपनी स्थापना से आज तक इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व बाजार में नवाचार लाना है।

VISION IAS

5) मोटे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) का प्रमुख उद्देश्य -

- केन्द्रीय बैंको के मध्य विचार विमर्श एवं सहयोग बढ़ाना।
- अन्य प्राधिकरणों के साथ विचार विमर्श को समर्थन देना जो विश्व बाजार में वित्तीय स्थायित्व लाने के उत्तरदायी है।
- मौद्रिक एवं वित्तीय स्थायित्व संबंधी मुद्दों हेतु अनुसंधान एवं योजना निर्माण को बढ़ावा देना।
- केन्द्रीय बैंको के मुद्रा प्रबन्धन के लिए प्रमुख केंद्र की तरह कार्य करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रचालनों के संबंध में एजेंट या दूसरे रूप में कार्य करना।

चर्चा में क्यों

- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराजन को अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का उपाध्यक्ष चयन किया गया है।

E.3. विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत का 'प्रथम' स्थान

(India's Number one Rank in FDI)

31 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर भारत ने पिछले साल के 5वें स्थान से छलांग लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया जो अब निवेश के मामले में सबसे पसंदीदा स्थान बन गया।

भारत के लिए क्या हैं इसके मायने ?

- अन्य देशों में निरंतर घटते हुए FDI तथा भारत में बगैर किसी अवरोध के आ रहा निवेश यह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार भारत ने व्यापार परिचालन माहौल को सुधारकर विश्व बाजार में अपनी पहचान बनाने में निरंतर प्रयासरत है।
- हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 16 स्थान की छलाँग लगाकर 55वां स्थान प्राप्त किया है।
- ये सभी नये घटनाक्रम विश्व के निवेशकों को सकारात्मक संदेश देते हुए बताते है कि किस प्रकार भारत उपयुक्त व्यापारिक माहौल बनाने को प्रतिबद्ध है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है।

E.4. वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक

(Global Financial Security Index)

- वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक (FSI), गोपनीयता और समुद्रपार वित्तीय गतिविधियों की सीमा के आधार पर अधिकार-क्षेत्र का निर्धारण करती है।
- राजनीतिक रूप से उदासीन यह सूचकांक वैश्विक वित्तीय गोपनीयता, कर मुक्त क्षेत्र या गोपनीयता अधिकारक्षेत्र और गैरकानूनी वित्तीय-प्रवाह या पूंजी-पलायन को समझने का एक उपकरण है।
- यह सूचकांक टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं।
- वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक अपतटीय गोपनीयता को बढ़ावा देने वाले अधिकार क्षेत्र की पहचान कर अपतटीय गोपनीयता तथा इसका निर्माण करने वाले वैश्विक ढांचे का सामना करता है।

VISION IAS

वित्तीय गोपनीयता सूचकांक (FSI) 2015 के मुख्य बिंदु:

- इसने यह स्पष्ट किया कि परिसंपत्तियों की शरणस्थली की वितीय गोपनीयता देने वालों में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रदाता बहुश्रुत छोटे द्वीप नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े और धनी देश हैं।
- OECD के संपन्न देश और उनके अनुचर इस गैरकानूनी प्रवाह के मुख्य प्राप्तकर्ता या वाहक हैं।

टैक्स जस्टिस नेटवर्क क्या है?

- यह अंतर्राष्ट्रीय कर क्षेत्र और वित्तीय नियमन के अंतर्राष्ट्रीय पहलू में उच्च स्तर के शोध तथा विश्लेषण को समर्पित एक स्वतंत्र संस्था है।
- यह कर की भूमिका, कर चोरी के नुकसानदेह प्रभाव, कर-परिहार, कर प्रतिस्पर्द्धा और करमुक्त-क्षेत्र को मापती है, विश्लेषण और व्याख्या करती है।

गोपनीय अधिकारक्षेत्र/ टैक्स हैवेन्स क्षेत्र क्या हैं?

- ऐसा राज्य, देश या इलाका जहाँ कतिपय कर बहुत ही कम हैं या हैं ही नहीं और गैरकानूनी और नाजायज वित्तीय प्रवाह को आकर्षित करने के लिए वित्तीय गोपनीयता का प्रयोग किया जाता है।

E.5. आई.एम.एफ. सुधार

(IMF REFORMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्ष 2010 में आई.एम.एफ द्वारा स्वीकृत सुधारों को 27 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
- अमेरिकी कांग्रेस के बगैर मंजूरी के इन सुधारों का कार्यान्वयन संभव नहीं हो पाया था, परंतु पिछले वर्ष इसकी (अमेरिकी कांग्रेस द्वारा) मंजूरी प्रदान कर दी गयी थी।

मताधिकार:

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के गवर्नेंस संरचना में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव में अधिक वृद्धि हुई है।
- इन सुधारों के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के हिस्से से 6 प्रतिशत से अधिक कोटा उभरते और विकासशील देशों को प्राप्त होंगे।
- नए प्रावधानों के तहत भारत का मताधिकार वर्तमान 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत और चीन का 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है।
- रूस और ब्राजील भी इन सुधारों से लाभान्वित हुए हैं।
- इन सुधारों के कारण यू.एस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चीन और रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शीर्ष 10 सदस्यों की सूची में भारत और ब्राजील भी शामिल हो गए हैं।
- इस सुधार प्रक्रिया के कारण कनाडा और सऊदी अरब शीर्ष दस देशों की सूची से बाहर हो गए हैं।
- BRICS समूह की चार उभरती अर्थव्यस्थायें -ब्राज़ील, चीन, भारत और रूस- प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 10 सबसे बड़े सदस्य देशों के समूह में शामिल होंगी।

VISION IAS

आई.एम.एफ. की वित्तीय ताकत में वृद्धि:

- इन सुधारों ने आई.एम.एफ के स्थायी पूंजी संसाधनों को दुगुना कर इसे 477 बिलियन एस.डी.आर (विशेष आहरण अधिकार) (659 बिलियन डॉलर) कर दिया है, जिससे इसकी वित्तीय ताकत में भी वृद्धि हुई है।

आई.एम.एफ. कार्यकारी बोर्ड:

- इन सुधारों का एक पहलु यह भी है कि आई.एम.एफ के कार्यकारी बोर्ड के लिए कुछ कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति (अपॉइंटमेंट) के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब आई.एम.एफ का कार्यकारी बोर्ड पूरी तरह से निर्वाचित कार्यकारी निदेशकों से मिलकर बना होगा।
- वर्तमान में पांच सबसे बड़े कोटा धारक सदस्य देशों द्वारा एक-एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की जाती है, इन सुधारों के अस्तित्व में आने से ये प्रावधान अपने आप समाप्त हो गए हैं।इन सुधारों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैधता, विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सुदृढ़ होगी।

IMF के बारे में:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में जुलाई 1944 में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की स्थापना की गयी थी।
- वर्तमान में 187 राष्ट्र आई.एम.एफ. के सदस्य हैं।
- भारत आई.एम.एफ. का संस्थापक सदस्य है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अग्रलिखित है:- समष्टि आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, गरीबी कम करना, आर्थिक स्थिरता बनाये रखना, विकासशील देशों के लिए नीतिगत सलाह और वित्त पोषण, मौद्रिक प्रणाली में सहयोग के लिए मंच प्रदान करना, विनिमय दर स्थिरता तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना।
- 1993 के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई वित्तीय सहायता नहीं लिया है। आई.एम.एफ. से लिए गए सभी ऋणों का भुगतान 31 मई 2000 को कर दिया गया।

E.6. वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौता

(TRADE FACILITATION AGREEMENT IN GOODS/TFA)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी दे दी है और व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (NCTF) का प्रस्तावित किया है।
- इसमें वस्तुओं के आयात के संबंध में शीघ्र क्लीयरेंस, प्रवेश और आवाजाही में तेजी लाने का प्रावधान है।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क अनुपालन जैसे मुद्दों पर सीमा शुल्क और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के मध्य प्रभावी सहयोग के लिए उपायों का प्रावधान करता है।

भारत के लिए लाभ:

- यह भारत के इज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के अनुरूप है।

VISION IAS

- सहज व्यापार प्रवाह के लिए सीमा शुल्क नियमों में ढिलाई भी इसका उद्देश्य है।
- व्यापार की लागत में औसत 14.5% की कटौती होने का अनुमान है।
- खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे पर स्थायी समाधान भी प्रदान कर सकता है।
- कृषि उत्पादों के आयात में अचानक वृद्धि से गरीब किसानों की रक्षा के लिए तंत्र भी विकसित करता है।

नकारात्मक निहितार्थ:

- समझौते को शीघ्र मंज़ूर करने से भारत अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक सौदेबाजी का मौका खो देगा।

E.7. कर सूचनाओं के आदान-प्रदान पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में समझौता

(India-US Pact on Exchange of Tax Data-FATCA)

- भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिससे 30 सितम्बर से दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह समझौता दोनों देशों के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एक-दूसरे के नागरिकों के विदेशी खाते से सम्बंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान को अनिवार्य बनाता है।
- FATCA के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विदेशी वित्तीय संस्थाओं को भारतीय खाताधारकों से सम्बंधित सूचना संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के आतंरिक राजस्व सेवा विभाग (IRS) को सौंपना होगा जिसके द्वारा सूचनाएं भारत सरकार को प्रदान की जाएंगी।
- भारतीय सरकार समान सूचनाएं IRS को प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक किसी अमेरिकी नागरिक या किसी NRI द्वारा निवेश संबंधी किसी भी सूचना को नियमित रूप से भारतीय राजस्व अधिकारियों को सौंपेगा। तत्पश्चात्, भारत सरकार उस सूचना को IRS को सौंप देगी।
- इस समझौते का अनुपालन नहीं करने वाली वैसी वित्तीय संस्थाएं जैसे-बैंक, मध्यस्थ संस्थाए या म्यूचुअल फंड आदि को अमेरिका से होने वाली प्रत्येक भुगतान पर 30 प्रतिशत विथ होल्डिंग कर के रूप में चुकाना होगा।

E.8. व्यापार सरलीकरण परिषद्

(TRADE FACILITATION COUNCIL)

- ऐसे समय में जब विदेशी लदान लगातार पांच महीनों से सिकुड़ रहा है, एक आदेश में निर्यात को बढ़ावा देने और गैर-जरूरी आयात को युक्तिसंगत बनाने के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन करने के लिए केंद्र सरकार,राज्य सरकार के साथ मिलकर एक व्यापार सरलीकरण परिषद के गठन का निर्णय लिया है और अपने व्यापार नीतियों को निर्धारित करने के लिए उनसे उम्मीद करता है।

VISION IAS

- इस कदम का उद्देश्य वर्ष 2019-20 तक 900 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- वाणिज्य मंत्रालय भी राज्यों के साथ मिलकर कार्य अवसंरचना परियोजनाओं की एक सूची तैयार कर रहा है जिससे निर्यात की पूरी क्षमता का दोहन सुनिश्चित होगा। यह अन्य उपायों पर भी कार्य कर रहा है जिनमें राज्य वार निर्यात संबंधी आंकड़ों को समेकित रूप से प्रस्तुत करना भी शामिल हैं। अप्रैल में मंत्रालय द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति (2015-20) में राज्य सरकारों को भी शामिल करके व्यापार को मुख्य धारा में लाने की बात की गयी है।
- व्यापार सरलीकरण परिषद् का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगीं तथा इसमें राज्य के उद्योग मंत्रियों तथा सचिवों का प्रतिनिधित्व होगा।

- वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंश एंड स्टेटिस्टिक्स (DGCI&S), भारत के व्यापार संबंधी आंकड़े तथा व्यापारिक सूचनाओं के संकलन, संचय तथा प्रसार हेतु एक आधिकारिक संगठन है।

E.9. विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यू.टी. ओ.) में सौर ऊर्जा को लेकर मतभेद

(Solar Dispute at WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के पैनल ने देश के सौर ऊर्जा कार्यक्रम पर अमेरिका द्वारा उठाए विवाद में भारत के खिलाफ फैसला दिया है।
- पैनल ने भारत सरकार के प्रोत्साहन नीतियों, खासकर सौर सेल और सौर मॉड्यूल निर्माण के लिए घरेलू सौर कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी बंद करने को कहा है।

कारण

- भारत सरकार द्वारा लगाया गया सौर कोशिकाओं और सौर मोडयुल्स के लिए स्थानीय सामग्री की आवश्यकता- यह घरेलू उत्पाद निर्माताओं से उत्पाद खरीदकर बड़े सौर क्षमता स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को प्रति Mw (मेगावाट) 1 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता की पेशकश करता है।
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्रीय सामग्री आवश्यकताओं को विदेशी उत्पादों के खिलाफ भेदभाव करने पर जोर नहीं दे रहे हैं। "राष्ट्रीय" उपचार, के तहत आयातित एवं घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों के साथ एक सामान व्यवहार किया जाना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन क्या है?

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वैश्विक स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियमों को बनाने से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन को देखने के कई तरीके हैं। यह व्यापार को उदार बनाने के लिए एक संगठन है। यह व्यापार विवादों को निपटाने वाली संस्था है। यह व्यापार नियमों आदि को संचालित करने वाला एक तंत्र है।

VISION IAS

- WTO के वर्त्तमान समग्र कार्य 1986 -1994 के बीच होने वाली वार्ता जिसे उरुग्वे दौर की वार्ता कहा जाता है और पहले के जनरल अग्रीमेंट ओन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) वार्ता से आया है। WTO वर्त्तमान में 2001 के पश्चात् 'दोहा विकास एजेंडा'के तहत नयी वार्ता की मेजवानी कर रहा है ।

E.10. SDR में युआन

(Yuan in SDR)

- IMF ने 1 अक्टूबर 2016 से चीनी मुद्रा रेन्मिन्बी (RMB) को विशेष आहरण अधिकार (SDR) का सृजन वाली करेंसी बास्केट में शामिल करने का निर्णय लिया है।
- 'स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग की जाने लायक', 'व्यापक रूप से प्रयुक्त' और 'व्यापक रूप से लेन-देन' में शामिल मुद्राएँ ही SDR में शामिल होती है।
- SDR में शामिल मौजूदा मुद्राएँ – अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पौंड हैं।

<u>SDRs क्या हैं?</u>

- IMF द्वारा 1969 में अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति के रूप में सृजित एक कृत्रिम मुद्रा है। (परन्तु यह न ही मुद्रा है और न ही IMF पर कोई दावा)।
- अंतर्राष्ट्रीय खातों की स्थिरता तथा इनमें संतुलन हेतु एकमात्र माध्यम के रूप में सोना और डॉलर की सीमित भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसका सृजन किया गया है।
- यह सदस्य-देशों की मौजूदा आरक्षित निधि के बतौर एक पूरक की तरह काम करती है और अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ावा देती है।
- SDR स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाई जाने वाली मुद्राओं से बदली जा सकती हैं।
- नवम्बर 2015 तक 204 बिलियन SDRs (लगभग 285 बिलियन डालर के बराबर) का सृजन कर सदस्य देशों को आबंटित किया जा चुका है।

SDR में युआन के शामिल किए जाने से क्या होगा ?

अल्पकाल में इस समावेश का बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा किन्तु इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं:

- RMB का समावेश SDR समूह की विभिन्नता को बढ़ाएगा और इसे विश्व की प्रमुख मुद्राओं का प्रतिनिधि बनाकर और आकर्षक बनाएगा।
- चीन के वैश्विक वित्तीय एकीकरण की प्रक्रिया में यह एक प्रमुख मील का पत्थर है।
- चीन में जारी सुधारों को चिन्हित करता है।
- हाल के वर्षों में चीनी RMB के अंतर्राष्ट्रीयकरण में हुई महत्वपूर्ण बढ़त को चिन्हित करता है तथा एक खुली व बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में चीन की रूपांतरण को सहारा देता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर RMB के पहले से बढ़ रहे इस्तेमाल व व्यापार को बढाने में और मदद करेगा।

VISION IAS

E.11. चीनी युआन का अवमूल्यन

(DEVALUATION OF CHINESE YUAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्ष 2015 की शुरुआत के बाद से अब तक युआन के मूल्य में डॉलर के मुकाबले 4% से भी ज्यादा की गिरावट हुई है जिसके कारण यह साढ़े चार वर्ष पूर्व के अपने मूल्य के आस-पास जा पंहुचा है।
- चीनी मुद्रा युआन के हाल ही के अवमूल्यन ने वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल को जन्म दिया है जो वैश्विक स्तर पर शेयर और मुद्रा बाजार को हानि पंहुचा रहा है।
- युआन का कमजोर होना, एशियाई और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन को प्ररित कर सकता है।

युआन के अवमूल्यन का कारण:

- चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी।
- चीन में बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन।
- चीनी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की सोच।
- चीन में अंतरराष्ट्रीय निवेश बनाए रखने की नीति।

चीन पर अवमूल्यन का प्रभाव:

- अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके चीन वैश्विक व्यापार में लाभ प्राप्त करता है। इसके निर्यात विदेशी खरीदारों के लिए सस्ते और अधिक आकर्षक हो जाते हैं।
- युआन के अवमूल्यन से चीन में आयात अधिक महंगे हो जाएंगे तथा मांग (विशेषकर वस्तुओं की मांग) में कमी आएगी। फलतः वस्तुओं की कीमतों पर आगे भी नकारात्मक दबाव बना रहेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर युआन के अवमूल्यन का प्रभाव:

- इसके कारण भारतीय निर्यात बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसे हम इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि भारत के निर्यात में पिछले लगातार 12 महीनों से गिरावट देखी गई है। पुनः विकसित तथा एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अप्रत्याशित नकारात्मक वृद्धि के कारण जनवरी 2016 के आरंभ तक भारतीय निर्यात में 17.6% की गिरावट देखी गयी है।
- निर्यात में गिरावट से चालू खाता घाटे (सी.ए.डी.) में भी वृद्धि होगी।

- चिंता का एक अन्य कारण भारत में होने वाले आयात भी हैं। 2015 तक के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत के आयात में लगभग 12% की हिस्सेदारी चीन की है। चीनी प्रतिस्पर्धा में **किसी भी** प्रकार की वृद्धि चाहे वह युआन के अवमूल्यन के माध्यम से हीं क्यों न हो, भारतीय आयात में अप्रत्याशित वृद्धि का कारण बनेगी।
- चीनी आयात में वृद्धि के कारण भारत के अन्य व्यापारिक भागीदारों को भी हानि पंहुचेगी। इसके अतिरिक्त इससे भारत में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बनिक रसायन, उर्वरक और लौह तथा इस्पात आदि उद्योग भी प्रभावित होंगे।
- भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर के मुकाबले रुपया के मूल्य में युक्तियुक्त गिरावट होने देना चाहिए। यह कंपनियों को कठिन परिस्थितियों में, जब उनकी ऋण लागत में वृद्धि होगी, बाह्य वाणिज्यिक उधारी के लिए प्रेरित करेगा।

विश्व अर्थव्यवस्था पर युआन के अवमूल्यन का प्रभाव:

- युआन का अवमूल्यन दुनिया भर में कई प्रमुख देशों के निर्यात को प्रभावित करेगा।
- कमजोर युआन वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर उन्मुख कर सकता है क्योंकि जब भी इस मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, चीन की क्रय शक्ति में कमी देखी गयी है।
- अवमूल्यन वस्तुओं और आयातित माल, की मांग को भी प्रभावित करता है। इससे तेल और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं। यहीं कारण है कि चिली और ब्राजील जैसी उभरती बाजार (ई.एम.) अर्थव्यवस्थाओं को इससे नुकसान पहुंच रहा है, जो तांबा और तेल के निर्यात के लिए चीन पर निर्भर हैं।
- यह जर्मनी जैसे विकसित देशों को भी नुकसान पहुंचायेगा, जो चीन को अपने एक प्रमुख बाजार के रूप में देखते हैं।
- यह एक प्रकार के "करेंसी वार" (मुद्रा युद्ध) को शुरू कर सकता है, क्योंकि कई देश अपने निर्यात को बचाने के लिए अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं।
- युआन के मूल्य में इस तीव्र गिरावट के कारण चीनी उत्पाद काफी सस्ते हो गए हैं। ये सस्ते उत्पाद कई देशों में उनके घरेलू विनिर्मित उत्पादों की बिक्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे अथवा कर रहे हैं।

क्या भारत भी अपने रुपये का अवमूल्यन कर सकता है?

- भारतीय निर्यात को बढ़ाने हेतु रुपए के अवमूल्यन को एक जवाबी उपाय के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भारत कोई आपूर्ति अधिशेष अर्थव्यवस्था (सप्लाई सरप्लस इकॉनोमी) नहीं है।
- इसके अलावा, चीन के संदर्भ में हम 60 बिलियन डॉलर का आयात और 12 बिलियन डॉलर का निर्यात करते है, जो व्यापार घाटे को और अधिक बढ़ाएगा।

आगे की राह:

अल्पावधि में,

- चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाना एक उपयुक्त कदम होगा। इससे कपड़ा, स्टील, रत्न एवं आभूषण आदि जैसे श्रम गहन क्षेत्रकों की रक्षा करने में मदद मिलेगी जो सस्ते आयात की चपेट में हैं।

दीर्घकाल में,

- नए व्यापार स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम सुधार।

VISION IAS

- सरलीकृत कर संरचना - 'वस्तु एवं सेवा कर' का कार्यान्वयन।
- सरल अनुपालन प्रक्रिया।
- सिंगल विंडो क्लियरेंस।
- एम.एस.एम.ई. के लिए पूंजी की उपलब्धता।

E.12. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

(MARKET ECONOMY STATUS)

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत चीन को इस साल दिसंबर से "बाजार अर्थव्यवस्था" का दर्जा मिलने की संभावना है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय इसके निहितार्थ का आकलन कर रहा है।
- चीन को यह दर्जा मिलने से एंटी-डंपिंग मामलों पर प्रमुख तौर पर विभिन्न प्रभावों के पड़ने की आशंका है, अतः एंटी-डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय) ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों और वकीलों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा क्या है?

- एक बार किसी देश को यह दर्जा मिल जाए तो उसके निर्यात को उत्पादन लागत के तौर पर स्वीकार करना पड़ता है और बिक्री मूल्य को बेंचमार्क मानकर स्वीकार करना पड़ता है।
- जिन देशों को यह दर्जा नहीं मिला हुआ है (अर्थात गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश), उस देश के निर्यात के लिए अन्य देशों को सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए वैकल्पिक तरीकों के उपयोग करने की अनुमति है, जिसका परिणाम अक्सर उच्च एंटी डंपिंग शुल्क होता है।

डंपिंग क्या है?

- डम्पिंग एक अनुचित व्यापार गतिविधि है जिसमें माल को निर्यातक देश की सामान्य उत्पादन लागत या मिलने वाली कीमत से कम कीमत पर दूसरे देश में निर्यात किया जाता है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकृत होता है और आयातित देश में घरेलू निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत पर प्रभाव:

- इसका अर्थ यह होगा कि चीन से आयातित माल पर एंटी डंपिंग शुल्क लगने की कम संभावना होगी और अगर शुल्क लगता भी है तो बहुत कम होगा।
- भारत के इस्पात, रसायन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र चीन के कम मूल्य के निर्यात की वजह से बुरी तरह प्रभावित हैं तथा भारत को एंटी डंपिंग शुल्क का व्यापक उपयोग करना पड़ता है।
- 1994-2014 के मध्य भारत ने 535 मामलों में एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था जिनमें से 134 मामले चीन से निर्यातित माल पर थे।

चीन का तर्क:

- बीजिंग ने 2001 के समझौते को उद्धृत करते हुए कहा कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने उस समय निर्णय लिया था कि एंटी डंपिंग मामलों में दिसंबर 2016 से चीन को "बाजार अर्थव्यवस्था" माना जायेगा।

VISION IAS

भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के तर्क:

- चीन को “बाजार अर्थव्यवस्था” का दर्जा देने के खिलाफ भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ का कहना है कि “बाजार अर्थव्यवस्था” में कीमतें मुख्य रूप से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं जबकि इसके विपरीत चीन में अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण सरकारी प्रभाव है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- इन देशों ने अन्य कारकों का हवाला भी दिया है जैसे चीनी सरकार की विशाल सब्सिडी, सरकार द्वारा कीमतों का निर्धारण, उचित व्यापार लेखा मानकों का अभाव, ऋण दरों, न्यूनतम मजदूरी और संपत्ति के अधिकार में पारदर्शिता की कमी।

E.13. विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी वार्ता

(WTO Nairobi TAlks)

- विश्व व्यापार संगठन का दसवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 15 से 19 दिसंबर 2015 के बीच नैरोबी (केन्या) में आयोजित किया गया।
- सम्मेलन का समापन "नैरोबी पैकेज" की स्वीकृति के साथ हुआ। "नैरोबी पैकेज" कृषि, कपास और अल्प विकसित देशों के मुद्दों से संबंधित (छह मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की श्रृंखला के बाद लिया गया निर्णय) है।

कृषि

- विकासशील देशों के लिए स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म (SSM-विशेष सुरक्षा उपाय) – आयात में अप्रत्याशित वृद्धि या कीमतों में गिरावट की स्थिति में यह तंत्र विकासशील देशों को कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को अस्थायी रूप से बढ़ाने की अनुमति देता है।
- खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग– इसका उपयोग कुछ विकासशील देशों द्वारा प्रशासित (सरकार द्वारा निर्धारित) कीमतों पर खाद्य पदार्थ खरीदने और गरीब लोगों को वितरित करने के लिए किया जाता है।

निर्यात प्रतिस्पर्धा

- सामूहिक रूप से कुछ मुद्दों जैसे कृषि निर्यात सब्सिडी का उन्मूलन, निर्यात ऋण के नये नियम, अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता आदि को "निर्यात प्रतिस्पर्धा" के रूप में जाना जाता है।
- यह गरीब देशों के किसानों के लिए विशेष रूप से सार्थक होगा जो उन अमीर देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जो सब्सिडी के माध्यम से अपने निर्यात को बढ़ावा देते हैं।
- कपास - बाजार पहुंच पर, नैरोबी प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी 2016 से अल्प विकसित देशों (LDCs) के कपास निर्यात को विकसित देशों तथा वैसे विकासशील देशों के बाजारों में शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच दी जानी है जो खुद को ऐसा करने में सक्षम घोषित करते है।

अल्प विकसित देशों के मुद्दे

- अल्प विकसित देशों के लिए प्रेफ़ेरेन्शियल (अधिमान्य) रूल ऑफ़ ओरिजिन- विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में इन देशों के लिए व्यापार के अवसरों में वृद्धि और विश्व व्यापार संगठन के नियमों को लागू करने में उदारता की अनुमति संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं।
- अल्प विकसित देशों के सेवाओं और सेवा प्रदाताओं के लिए अधिमान्य व्यवहार का कार्यान्वयन और सेवा व्यापार में अल्प विकसित देशों की भागीदारी में बढोत्तरी करना।

VISION IAS

नैरोबी घोषणा भारत के लिए कई मोर्चों पर निराशाजनक रही:

- स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म संबंधी अपनी मांगों को लेकर विश्वसनीय आउटकम प्राप्त करने, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग तथा दोहा विकास एजेंडा वार्ता जारी रखने के लिए पुन: पुष्टि के अपने उद्देश्यों के संदर्भ में भारत विफल रहा है। भारत की बहुत कम या शायद ही कोई माँग पूरी हुई है।

E.14. मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन

(Amendment of DTAA with Mauritius)

मॉरीशस के साथ 30 साल पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन के प्रोटोकॉल पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं।

दोहरे कराधान से बचाव समझौता क्या है?

- कर 2 प्रकार के होते हैं - स्रोत आधारित और निवासी आधारित।
- ज्यादातर पश्चिमी देश निवासी आधारित कराधान पर भरोसा करते हैं (क्योंकि उनकी वैश्विक आय अधिक है), जबकि भारत जैसे विकासशील देश निवेश के अवसरों के कारण स्रोत आधारित कराधान के पक्ष में हैं।
- जब स्रोत देश और निवासी देश कराधान के अपने अधिकारों का प्रयोग एक साथ करते हैं, तो दोहरे कराधान की समस्या पैदा होती है; इससे बचने के लिए ही यह समझौता किया जाता है।

संशोधन की जरूरत क्यों थी?

- 1983 की संधि के अनुसार, केवल मॉरिशस को ही पूंजीगत लाभ पर कराधान की अनुमति थी। लेकिन मॉरीशस ने इसे लागू नहीं किया। इसलिए कंपनियाँ पूरी तरह से कर-मुक्त हो गयीं।
- इस वजह से कर बचाने के लिए मॉरीशस से बड़े पैमाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आमद हुई (भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 34%)।

संशोधन की मुख्य विशेषताएं

- भारत अब मॉरीशस में स्थित कंपनी पर भी पूंजीगत लाभ पर कर लगा सकता है।
- 2019 तक दो वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि के लिए कर की सीमा भारतीय दरों की 50% रहेगी – यह लाभ एक कंपनी को तभी मिलेगा अगर वह मुख्य उद्देश्य और वैध व्यापार (main purpose and legitimate business) की जरुरी आवश्कता पूरी करे। यदि मॉरीशस में परिचालित हो रही किसी कम्पनी का पिछले 12 महीनों में कुल व्यय 27 लाख रुपये से कम होगा तो उसे दिखावटी कंपनी माना जायेगा।
- यह सिंगापुर संधि के लिए भी लागू होगा

लाभ

- यह धन के राउंड ट्रिपिंग के लिए संधि के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा, निवेश को व्यवस्थित करेगा, दोहरे गैर कराधान को रोकेगा और कर अनिश्चितता कम करेगा।
- कर चोरी के लिए मॉरीशस में दिखावटी कंपनी बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

VISION IAS

 ©Vision IAS

- यह <u>आधार के कमजोर होने एवं मुनाफे का हस्तांतरण</u> (बीईपीएस) से निपटने के लिए OECD और G-20 के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारत द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- समान बर्ताव का प्रावधान लंबे समय में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा

समस्याएँ

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट आएगी; मॉरीशस और सिंगापुर से भारत में 50% विदेशी निवेश आता है।
- साइप्रस और नीदरलैंड जैसी अन्य जगहों के माध्यम से पैसा भारत में भेजा जा सकता है।
- पी-नोट्स की तरह ऋण और शेयर साधनों में निवेश के अपारदर्शी तरीकों की उपस्थिति।

- बीईपीएस का अर्थ वे कर योजना रणनीतियां हैं जो कर नियमों में कमियों को भुना कर, लाभ को कम आर्थिक गतिविधि वाले देश में ले जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है।
- बीईपीएस का विकासशील देशों के लिए प्रमुख महत्व है, क्योंकि वे कॉर्पोरेट आय कर पर अधिक निर्भर हैं।

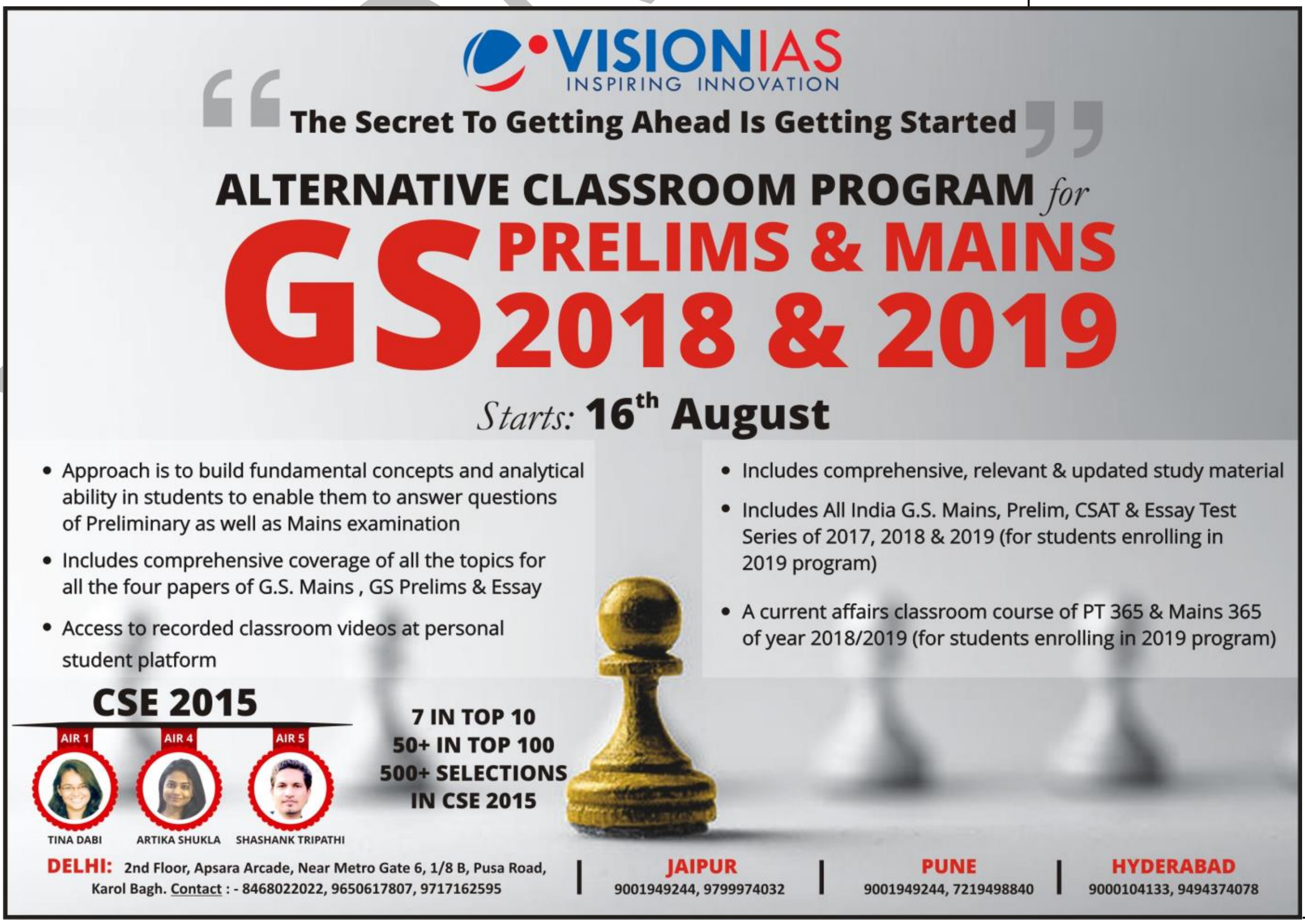

F. गरीबी और समावेशन

(POVERTY AND INCLUSION)

F.1. विश्व बैंक की रिपोर्ट-'अत्यधिक गरीबी का खात्मा, समृद्धि को साझा करना: प्रगति और नीतियाँ'

(World Bank Report 'Ending Extreme Poverty, Sharing Prosperity: Progress and Policies')

- विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा को संशोधित करके 1.25 डॉलर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.90 डॉलर (लगभग 130 रू.) प्रतिदिन कर दिया है।
- यह दुनिया की 15 सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं की राष्ट्रीय गरीबी रेखा के औसत के आधार पर निर्धारित की गयी है।
- 2011 के नए क्रय शक्ति समता (PPP) के आंकड़ों का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा को स्थानीय मुद्रा से अमरीकी डॉलर में परिवर्तित किया गया।
- नए आंकड़ों के आधार पर अनुमान के अनुसार करीब 90 करोड़ लोग (वैश्विक जनसंख्या का लगभग 12.8 फीसदी) अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं।
- सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के साथ, दुनिया से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व बैंक समूह ने 2030 तक दुनिया में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या को विश्व की कुल जनसंख्या के 3 प्रतिशत से भी कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारतीय दृष्टिकोण

- संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (modified mixed reference period-MMRP) के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी केवल 12.4 प्रतिशत हो सकती है।
- यह कहा जा रहा है कि भारत अपने यहां गरीबों की संख्या का अधिमूल्यांकन करता रहा है |
- विश्व बैंक ने आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक नई विधि का इस्तेमाल किया है, जिसे संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) कहा जाता है।
- यद्यपि 2012 में भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक थी, फिर भी गरीबों की अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों की तुलना में भारत की गरीबी दर सबसे कम थी।
- भारत में गरीबी रेखा के आस-पास रहने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए गरीबी आकलन काफी भिन्न हो जाता है जो कि सर्वेक्षण की आकलन अवधि (रिकॉल पीरियड) पर निर्भर करता है।

गरीबी पर विश्व बैंक और रंगराजन समिति की रिपोर्ट की तुलना

	भारतीय आकलन	विश्व बैंक की रिपोर्ट
गरीबी की दर	यह रंगराजन समिति द्वारा 29.5% और तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में 21.9% आंकी गई थी।	विश्व बैंक का अनुमान है कि यह सिर्फ 12.4% ही है

VISION IAS

गरीबी रेखा	क्रय शक्ति समतुल्यता (PPP) के आधार पर रंगराजन समिति द्वारा प्रयुक्त गरीबी रेखा 2.44 डॉलर प्रति दिन प्रति व्यक्ति है।	विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा में संशोधन करके इसे 1.90 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कर दिया है|
पद्धति	भारत में डाटा एकत्रित करने के दो मुख्य तरीके हैं: समान संदर्भ अवधि और मिश्रित संदर्भ अवधि	विश्व बैंक ने संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि पद्धति का इस्तेमाल किया है। ऐसा अनुमान है कि यह पद्धति उपभोग व्यय का एक अधिक सटीक आकलन प्रदान करती है|
अंतर के कारण	जिस तरीके से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, उसके कारण।	विश्व बैंक के कम गरीबी अनुपात का कारण गरीबी रेखा को निम्न स्तर पर निर्धारित करना है
गरीबी की गहनता	भारत में इसे अलग तरीके से आकलित किया जाता है – गरीबी रेखा के लिए विभिन्न सीमाओं (cut-off) का प्रयोग करके प्राप्त किये गए गरीबी अनुपातों के द्वारा गरीबी की गहनता का अनुमान किया जाता है।	विश्व बैंक की रिपोर्ट व्यक्ति-समकक्ष हेडकाउंट्स के आधार पर गरीबी की गहनता का उल्लेख करती है।
गरीबी के आयाम	हम गरीबी के अनुमानों के लिए एक-आयामी दृष्टिकोण को इस्तेमाल करते आये हैं।	विश्व बैंक रिपोर्ट लोगों द्वारा अनुभव किये जाने वाले गरीबी के कई आयामों को समझने के महत्व पर जोर देती है

संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) क्या है?

- इस विधि में कुछ खाद्य पदार्थों के लिए 30 दिन के बजाय केवल 7 दिन के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं।
- कुछ कम-आवृत्ति वाली वस्तुओं के लिए 30 दिन के बजाय एक 1 वर्ष के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं।
- कम-आवृत्ति वाली वस्तुओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र, टिकाऊ वस्तुओं आदि पर होने वाला खर्च सम्मिलित है।

निष्कर्ष:

- भारत में गरीबी के संबंध में विश्व बैंक के 12.4% के इस आकलन का यह मतलब नहीं है कि अधिकांश भारतीय अचानक समृद्ध हो गए हैं। वस्तुतः, यह उन आंकड़ों के संग्रहण पर आधारित है जिसके आधार पर गरीबी दर का निर्धारण किया जाता है।

VISION IAS

F.2. वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

(RBI's Report on Financial Inclusion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जुलाई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित **दीपक मोहंती समिति** ने वित्तीय समावेशन के लिए एक मध्यम अवधि की कार्य योजना तैयार की है।
- समिति ने पाया कि समावेशन के कुछ संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी काफी लोग ऋण हेतु अनौपचारिक माध्यमों जैसे साहूकारों आदि पर निर्भर रहते हैं।

दीपक मोहंती समिति की मुख्य सिफारिशें:

- बैंकों को **महिलाओं के खाता खोलने को बढ़ावा देने** के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, तथा सरकार बालिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में एक जमा योजना - *सुकन्या शिक्षा* - पर विचार कर सकती है।
- **प्रत्येक व्यक्ति के क्रेडिट (ऋण) खाते** से एक बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जैसे **आधार** जोड़ी जानी चाहिए और ऋण प्रणाली की स्थिरता बढ़ाने और पहुँच में सुधार करने के लिए क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ जानकारी साझा की जानी चाहिए। इससे एक से अधिक ऋण खातों की पहचान करने और ऋण लेने वालों को अधिक ऋणी बनने से रोकने में सहायता मिल सकती है।
- देश के **सुदूरवर्ती इलाकों तक सेवा के वितरण** में सुधार करने और वित्तीय पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा अधिकतम संभव गवर्नमेंट टू पर्सन (G2P) पेमेंट के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा के उपयोग के द्वारा एक कम लागत वाले समाधान का विकास किया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र की सभी गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए **भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करके आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।**
- समिति ने सिफारिश की है कि फसल ऋण पर **अल्पकालिक ब्याज दर में छूट या सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए** और इसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक फसल बीमा योजना से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- समिति ने **एप्लीकेशन (अनुप्रयोग) आधारित मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्वाइंट-ऑफ-सेल (बिक्री केंद्र)** के रूप में करने की सिफारिश की है ताकि जन धन योजना के तहत काफी अधिक संख्या में खोले गए नए खातों और भारी संख्या में जारी किये गए कार्डों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा निर्मित किया जा सके।
- समिति ने **बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) के प्रमाणीकरण** के लिए प्रशिक्षण की एक वर्गीकृत प्रणाली की सिफारिश की है। अच्छी उपलब्धियों और उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पर ऋण उत्पादों जैसे अधिक जटिल वित्तीय कार्यों के लिए भरोसा किया जा सकता है।
- मांग जमा जैसे सरल उत्पादों के साथ बैंकों को विशिष्ट ब्याज मुक्त काउंटर खोलने की अनुमति देना।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मौके पर ऋण गारंटी प्रदान करना, और जवाबी गारंटी तथा पुनः बीमा की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विविध गारंटी एजेंसियों को प्रोत्साहित करना ।
- ऋण लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने और इस जानकारी को क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करने की एक प्रणाली निर्मित करना।

VISION IAS

F.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण

(Digitization of PDS)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण क्यों?

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्र सरकार इस प्रणाली में **शुरू से अंत तक कंप्यूटरीकरण** करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और खाद्यान्न का रिसाव कम होगा।
- **भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन** हेतु गठित **शांता कुमार सिन्हा समिति** ने जनवरी में सौंपी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि सरकार को खाद्य सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकदी अंतरण शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मौजूदा वितरण प्रणाली में लगभग 47% तक का रिसाव होता है।
- अनुमान है कि केवल नकद अंतरण से सरकारी खजाने का लगभग 30000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष बचाया जा सकता है।
- स्वचालन सुनिश्चित करता है कि राशन की दुकानों से खाद्यान्न प्वाइंट-ऑफ-सेल (PoS) उपकरणों के माध्यम से ही वितरित किया जाये, यह उपकरण लाभार्थियों को प्रमाणित करने के साथ ही प्रत्येक परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा का रिकॉर्ड भी रखता है।

प्रभाव

- इन प्रयासों से पिछले दो वर्षों में करीब 61.4 लाख फर्जी राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है, जिससे 4200 करोड़ रुपये के खाद्यान्न के रिसाव और दुरुपयोग को रोका गया है।
- अभी तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों की जानकारी का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है।
- लाभार्थियों के आधार कार्ड की विशिष्ट पहचान संख्या से जुड़े होने वाले प्वाइंट-ऑफ-सेल उपकरणों को राशन की दुकानों में स्थापित करने के लिए राज्य केंद्रीय सहायता का लाभ ले रहे हैं।
- नौ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।
- अप्रैल से दिसंबर के बीच राशन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ने की प्रक्रिया 8% से बढ़कर 39% तक पूर्ण हो चुकी है।

VISION IAS

F.4. भारत में भूमि और पशुधन स्वामित्व पर एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट

(NSSO Report: Land and livestock Holdings)

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने अपने 70वें दौर (जनवरी 2013 से दिसंबर 2013) के सर्वेक्षण के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और पशुधन स्वामित्व पर एक सर्वेक्षण किया है।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

- भूमि और पशुधन स्वामित्व पर जारी इस रिपोर्ट में 2012-13 में लगभग 95 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ऑपरेशनल होल्डिंग्स (परिचालन जोत/स्वामित्व) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- <u>भूमि का पारिवारिक स्वामित्व-</u> 2002-03 की तुलना में 2012-2013 में प्रति परिवार के स्वामित्व वाले औसत क्षेत्र और परिवार के स्वामित्व वाले कुल अनुमानित क्षेत्र में कमी आई है।
- कृषि वर्ष जुलाई 2012 से जून 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में परिवारों के स्वामित्व वाला कुल अनुमानित क्षेत्र 92.3 मिलियन हेक्टेयर था और प्रति परिवार स्वामित्व वाला औसत क्षेत्र 0.592 हेक्टेयर था।
- ग्रामीण परिवारों में सीमांत भूमि धारकों का अनुपात सबसे ज्यादा (75.42%) था, जबकि बड़े भूमि धारकों का अनुपात सबसे कम सबसे कम (0.24%) था। कुल ग्रामीण परिवारों में 7.41% भूमिहीन वर्ग से थे।

F.5. चौथी औद्योगिक क्रांति

(FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION)

- 'चौथी औद्योगिक क्रांति' या 'उद्योग 4.0' विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम) की 2016 की वार्षिक बैठक की थीम है।

अर्थ

- यह एक सामूहिक शब्द है जो समकालीन स्वचालन, डाटा एक्सचेंज और विनिर्माण प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करता है तथा जिस तरह से वर्तमान समय में व्यवसाय सम्पन्न हो रहे हैं, उसमें मूलभूत परिवर्तन को भी इंगित करता है।
- यह उन नवाचारों और प्रौद्योगिकियों के क्रांतिकारी प्रयोगों को संदर्भित करता है जो भौतिक, डिजिटल तथा जैविक क्षेत्रों के बीच की रेखा को धूमिल कर रहे हैं।
- उदाहरण के लिए- चालक विहीन कारें, स्मार्ट रोबोटिक्स, कठोर और हल्के पदार्थ और 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इंटरनेट ऑफ सर्विसेज।
- इनकी विशेषता सिर्फ ये नए नवाचार ही नहीं हैं, अपितु यह भी है कि ये नवाचार चरघातांकीय दर से बदल रहे हैं तथा इन विचारों के साथ संगति बैठाने में असमर्थ उद्योगों को उनकी उत्पादन संबंधी गतिविधियों में बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है।
- नई प्रौद्योगिकी, संवर्धित कनेक्टिविटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि ने उद्योग संचालन, उपभोक्ता मांग और प्रतिस्पर्धा के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है।
- साधारण डिजिटल तकनीक (तृतीय औद्योगिक क्रांति) के दौर से नवाचारों की एक संपूर्ण दुनिया में कंपनियों के स्थानांतरण (चौथी औद्योगिक क्रांति) ने उन्हें व्यवसाय करने के परंपरागत तरीकों में परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया है।

<u>विभिन्न औद्योगिक क्रांतियाँ:</u>

- जल एवं वाष्प चालित यंत्रीकृत उत्पादन के प्रयोग कारण 18वीं शताब्दी में प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी।
- 19वीं शताब्दी में द्वितीय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इसकी प्रमुख विशेषता विद्युत् संचालित मशीनों के प्रयोग के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाना था।

VISION IAS

- तीसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल स्वचालित उत्पादन के लिए किया गया।
- अब डिजिटल क्रांति पर आधारित चौथी औद्योगिक क्रांति घटित हो रही है।

विश्व आर्थिक मंच

- विश्व आर्थिक मंच स्विटजरलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसे निजी-सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसका मिशन है: "विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय तथा औद्योगिक एजेंडे की दिशा तय करना"।
- **दावोस पैनेल:** विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक (प्रतिवर्ष जनवरी माह में) स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित की जाती है। अलग-अलग वर्षों में इसकी अलग-अलग थीम होती है, जैसे- 2014 के लिए "द रिशेपिंग ऑफ़ द वर्ल्ड: कनसीक्वेंसेज फॉर सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड बिज़नेस", 2015 के लिए "न्यू ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट" तथा 2016 के लिए- "मास्टरिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन"
- यह एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है तथा विभिन्न रिपोर्टें प्रकाशित करता है, जैसे- "वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)", "ग्लोबल आई.टी. रिपोर्ट", "जेंडर गैप रिपोर्ट", "ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट", "ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट", "ग्लोबल इनैबलिंग ट्रेड रिपोर्ट" आदि।

F.6. स्टैंड अप इंडिया योजना

(STAND UP INDIA SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए "स्टैंड अप इंडिया योजना" को मंजूरी दी है।
- वर्तमान समय में भारत में केवल 9% स्टार्ट-अप ही महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएं:

- इस योजना का उद्देश्य बैंक की प्रत्येक शाखा के माध्यम से कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को सहज बनाना है, अर्थात् प्रत्येक उद्यमशील वर्ग (अर्थात-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला) के लिए औसतन एक परियोजना।
- 10,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से रिफाइनेंस विंडो (पुनर्वित्त खिड़की) की सुविधा।
- **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)** के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी प्रणाली का सृजन।
- सरकार इस वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहयोग देने के साथ ही उनके व्यवसाय के संचालन में भी सहायता देगी। इस प्रकार जहाँ ये उद्यमी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने संबंधी गतिविधियों (factoring services) के संचालन में समर्थ हो पाएंगे वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-मार्केट स्थलों के साथ पंजीकरण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचालनों एवं समस्या समाधान पर सत्रों का आयोजन शामिल है।

VISION IAS

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला कर्जदारों दोनों के लिए समर्थन मुहैया कराने पर फोकस किया गया है।
- इस योजना को मंजूरी प्रदान करने का समग्र उद्देश्य आबादी के ऐसे सुविधाविहीन क्षेत्रों तक ऋण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के ऐसे कर्जदारों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में स्थापित ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए 10 लाख से 100 लाख रूपये तक के ये बैंक ऋण 7 वर्ष की अवधि तक प्रतिदेय (repayable) होंगे।
- इस योजना के तहत प्रदत्त ऋण पर्याप्त रूप से सुरक्षित और एक क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से क्रेडिट गारंटी के तौर पर समर्थित होंगे, जिसके लिए वित्तीय सेवा विभाग मध्यस्थ और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ऑपरेटिंग एजेंसी होगी।
- स्टैंड अप इंडिया योजना को वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।
- इससे कम से कम 2.5 लाख कर्जदारों को लाभ पहुँचने की उम्मीद है।

F.7. बागवानी आंकड़े

(HORTICULTURE STATISTICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **कृषि मंत्रालय** की ओर से प्रथम बार जारी किये गए बागवानी के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न फसलों की तुलना में बागवानी फसलों की ओर किसान अधिक आकर्षित हुए हैं।

सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण आंकड़े:

- बागवानी के लिए कृषि क्षेत्र में 18% की वृद्धि हुई, जबकि खाद्यान्न के लिए 5% की ही वृद्धि हुई।
- भारत के कुल बागवानी उत्पादन में फलों और सब्जियों का हिस्सा 90% है।
- बागवानी फसलों की ओर किसानों के रूख़ में परिवर्तन की शुरुआत वर्ष 2012-13 से हुई जब बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन को पार किया।
- बागवानी फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 2.7% की वृद्धि हुई है और इनके उत्पादन में 7% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है।
- 9.5 प्रतिशत की सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन वृद्धि फलों के उत्पादन में देखी गयी- विशेष रूप से सिट्रस फलों के उत्पादन में।
- सब्जियों और फलों का सर्वाधिक सेवन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में होता है।
- अन्य बागवानी फलों की तुलना में अंगूर निर्यात के मामले में शीर्ष स्थान पर है।

विशिष्ट बागवानी फसलों के अग्रणी उत्पादक राज्य

1. फल: महाराष्ट्र
2. सब्जियां: पश्चिम बंगाल
3. फूल: तमिलनाडु
4. मसाले: गुजरात
5. बागान फसलें: तमिलनाडु

VISION IAS

G. विविध

G.1. उपकर

(Cess)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार के वित्त पर जारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि विभिन्न उपकरों के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनों जैसे उच्च शिक्षा, सड़क विकास और निर्माण श्रमिकों के कल्याण आदि के लिए एकत्र किये गए फंड का 1.4 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक धन अप्रयुक्त पड़ा है अर्थात् इस धन का किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है।
- हाल ही में सरकार ने दो नए उपकरों (स्वच्छ भारत अभियान के लिए सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत उपकर तथा रीजनल कनेक्टिविटी फंड (RCF) के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं तथा मेट्रो या बड़े शहरों के बीच होने वाली उड़ानों पर 2 प्रतिशत उपकर) की घोषणा की। ये दो नए उपकर उच्च-शिक्षा उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर जैसे अनगिनत उपकरों की संख्या में और वृद्धि करते हैं।

उदाहरण: प्राथमिक शिक्षा उपकर, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, अनुसंधान एवं विकास उपकर कोष, केन्द्रीय सड़क निधि, आयकर कल्याण कोष, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण कोष और कई निष्क्रिय निधियों में 14,500 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े हैं।

उपकर

- यह कर पर कर है, जोकि एक विशेष उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा लगाया जाता है। आमतौर पर, उपकर उस समय तक लगाये जाने की उम्मीद होती है, जब तक सरकार को उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त हो जाये।
- पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने शिक्षा के प्रसार, श्रमिकों के कल्याण, सड़क विकास तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए अनेक उपकर लगाये हैं।
- एक उपकर की प्रकृति ऐसी होती है कि यदि पैसे का निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यह निष्क्रिय पड़ा रहता है।

G.2. कोर सेक्टर के उत्पादन में वृद्धि

(Growth in Core Sector Output)

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और बिजली में दो अंकों की वृद्धि के कारण आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का संयुक्त उत्पादन मार्च में 6.4% की वृद्धि के साथ 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- वर्ष के लिए संचयी वृद्धि 2.7% है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की 4.5% की तुलना में कम है।
- रिफाइनरी और सीमेंट जैसे क्षेत्र में तेजी से पता चलता है कि इस क्षेत्र के उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

VISION IAS

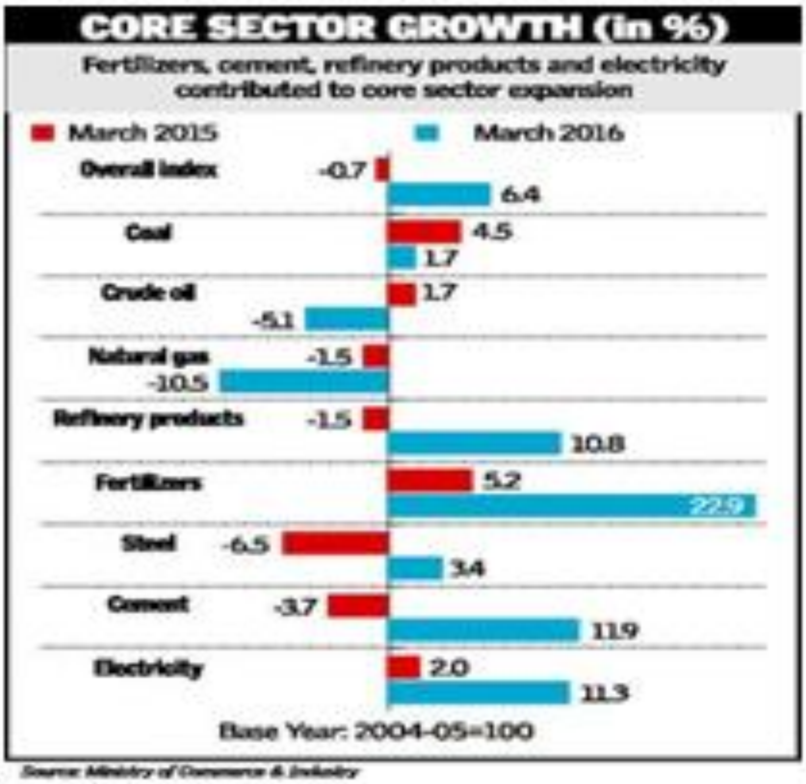

कोर उद्योगों के बारे में: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली को 8 कोर उद्योगों में रखा जाता हैं। ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 38% का गठन करते हैं। **IIP में बिजली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।**

G.3. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

(NOBEL PRIZE IN ECONOMICS)

- नोबल पुरस्कार समिति ने अर्थशास्त्र में वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार **प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एंगस डीटन** को **"उपभोग, निर्धनता और कल्याण"** के विषय पर किए गए उनके विश्लेषण के लिए प्रदान किया है।
- एंगस डीटन का जन्म वर्ष 1945 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की नागरिकता प्राप्त है।

उनके कार्य के संबंध में:

उनका कार्य **आय के आंकड़ों के स्थान पर घरेलू खपत सर्वेक्षणों** पर निर्भर रहा है। व्यक्तिगत उपभोग निर्णयों और संपूर्ण अर्थव्यवस्था हेतु परिणामों के बीच संबंधों पर जोर देकर, उनके कार्य ने आधुनिक व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और विकास अर्थशास्त्र का रूपांतरण करने में सहायता की है। अपने कार्य में, उन्होंने तीन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है :

- उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपने व्ययों को किस प्रकार वितरित करते हैं?
- समाज की कितनी आय को व्यय किया जाता है और कितनी आय की बचत की जाती है?
- हम कल्याण और निर्धनता का मापन सबसे अच्छे ढंग से किस प्रकार करते हैं?

VISION IAS

आंकड़ों का महत्व:

एंगस डीटन ने बड़े सर्वेक्षणों में एकत्रित किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए और सर्वेक्षणों में सुधार करने के तरीके सुझाए। उन्होंने इस बारे में भी गहनता से विचार किया -

1. इन आंकड़ों को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता
2. मापन संबंधी दोषों को किस प्रकार कम किया जाए
3. जिन आंकड़ों के मापन दोषों से ग्रस्त होने की संभावना है उनसे कोई व्यक्ति क्या निष्कर्ष निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता।

भारत से संपर्क:

भारत डीटन की प्रयोगशालाओं में से एक रहा है। उनके कार्य ने भारत में वंचित जनसंख्या का चित्रांकन करने की पद्धति को बहुत प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह इंगित किया कि किस प्रकार NSS (नेशनल सैंपल सर्वे) के 55वें (1999-2000) दौर में आंकड़ों के संग्रहण के समय उपभोग व्यय पर ध्यान न दिए जाने की असंगतियों जैसी मापन संबंधी कमियाँ थीं। अशुद्ध रूप से एकत्रित आंकड़ों के कारण खपत को वास्तविकता से अधिक और निर्धनता को वास्तविकता से कम तथा इनके विपरीत क्रम में अनुमानित किया गया। इसी प्रकार, मूल्य सूचकांकों और निर्धनता के मापन पर उनके द्वारा किया गया कार्य सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा खींची गयी निर्धनता रेखा का केन्द्र बिन्दु था।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विषय में:

अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गयी थी। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार अर्थशास्त्र में आधिकारिक रूप से Sveriges Riksbank Prize के नाम से जाना जाता है। नोबेल की वसीयत में निर्धारित पुरस्कारों के मूल समूह में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार सम्मिलित नहीं था।

G.4. आइसगेट

(ICEGATE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गैरकानूनी विदेशी मुद्रा प्रेषण और मनी लांड्रिंग को रोकने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियाँ और RBI, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रानिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ICEGATE) और बैंकिंग तंत्र को एकीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

ICEGATE प्रवेश-बिलों (बिल ऑफ एंट्री), शिपिंग बिल, और अन्य आयात-निर्यात दस्तावेजों का कस्टम्स इलेक्ट्रानिक रिपॉजिटरी (भण्डार) है।

पृष्ठभूमि

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों द्वारा गैरकानूनी विदेशी मुद्रा प्रेषण के सम्बन्ध में कई मुकदमें दर्ज किये हैं, जिसमें हाल ही में बैंक ऑफ़ बड़ौदा व कुछ अन्य बैंकों द्वारा रु 6000 करोड़ रुपये विदेश भेजने की घटना शामिल है।

VISION IAS

एकीकरण का उद्देश्य

ICEGATE और बैंकिंग तंत्र का एकीकरण, पैसे देने से पहले बैंकों को आयातकों और निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराये गए बिलों की सत्यता का परीक्षण करने में मदद करेगा। यह एक सकारात्मक कदम है और आयात/निर्यात लेन-देनों में शामिल जोखिमों को हल करने में मदद करेगा।

G.5. कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए विशेष संस्था

(SPECIAL AGENCY FOR CORPORATE FRAUD)

पृष्ठभूमि

- सत्यम घोटाला जिसमें लेखा परीक्षक (ऑडिटर) भी शामिल था, के बाद पहली बार यह सुझाव आया कि कंपनी एक्ट 2013 को नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के गठन की जरूरत है जो कि न सिर्फ आधिकारिक घोषणाओं बल्कि लेखा-परीक्षण पेशे को भी नियमित करने की महत्वपूर्ण शक्तियों से लैस हो।
- वर्तमान में एक लेखा परीक्षक के किसी केस में शामिल होने की स्थिति में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) जांच करने व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। सरकार द्वारा तय सीमा से निचले स्तर की किसी भी धांधली की जांच अभी भी पेशेवर संगठन द्वारा कराई जा सकती है।

प्रस्तावित संस्था का विवरण

- यह 2013 के कंपनी एक्ट के प्रावधानों के तहत बनाई जायेगी।
- यह संस्था स्वतः-संज्ञान से या केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट करने पर, कतिपय वर्गों में सूचीबद्ध कंपनियों या 500 करोड़ रु और उससे ऊपर के ऑडिटिंग व एकाउंटिंग धोखाधड़ी की जांच का अधिकार रखेगी।
- इसके पैनल में फोरेंसिक ऑडिटर होंगे।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को विनियमित करने किए लिए इसकी व्यापक भूमिका होगी।

फॉरेंसिक ऑडिट क्या है ?

फॉरेंसिक ऑडिट किसी व्यक्ति की या कंपनियों के वित्तीय बयानों की सत्यता और वैधता की समीक्षा करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा कॉर्पोरेट एकाउंटिंग धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है।

G.6. केयर्न इंडिया कर विवाद

(Cairn India's Tax Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केयर्न एनर्जी ने भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश समझौते के तहत भारत सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की प्रक्रिया प्रारंभ की है। कंपनी ने कहा है कि 1.6 अरब डॉलर के कर विवाद पर भारत सरकार की कार्रवाई से उसे बहुत नुकसान हुआ है और वह करीब 7000 लाख डॉलर का मुआवजा भारत सरकार से मांगेगी।

VISION IAS

भारत के द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIT)

- भारत ने ब्रिटेन के साथ 1994 में अपने पहले द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 1994 से, भारत ने कुल 83 द्विपक्षीय निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 72 वर्तमान में लागू हैं।
- लगभग 40 द्विपक्षीय निवेश समझौते विकासशील और अल्प विकसित देशों के साथ हैं।
- लगभग 20 द्विपक्षीय निवेश समझौते पिछले पांच वर्षों में किये गये हैं।
- इन BITs पर बातचीत काफी हद तक 1993 के भारतीय मॉडल BIT के आधार पर होती हैं।

द्विपक्षीय निवेश समझौतों के तहत कुछ अन्य प्रमुख विवाद

- वोडाफोन कर विवाद, (संधि लागू): नीदरलैंड- भारत द्विपक्षीय निवेश समझौता
- बाल निवेश कोष, (संधि लागू): साइप्रस-भारत द्विपक्षीय निवेश समझौता
- लूप टेलीकॉम, (संधि लागू):ब्रिटेन-भारत द्विपक्षीय निवेश समझौता

VISION IAS

भारत के द्विपक्षीय निवेश समझौतों की पृष्ठभूमि

- 1991 में अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण की नीति में विदेशी निवेश को औद्योगिक नीति की आधारशिला के रूप में देखा गया।
- औद्योगिक नीति ने उस वर्ष अपनी उम्मीदें विदेशी निवेश पर टिका दी थीं। यह माना गया कि विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीक और निर्यात को बढ़ावा देने की नई संभावनाओं को साथ लायेगा।
- द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (BIPAs) अथवा द्विपक्षीय निवेश समझौते (BITs) के रूप में भारत में जानी जाने वाली व्यवस्था इसका मुख्य आधार है। सभी भारतीय द्विपक्षीय निवेश समझौतों में यह स्पष्ट है कि निवेश को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहां तक कि द्विपक्षीय निवेश समझौते के प्रारूप में भी यह कहा गया है।
- हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारत के खिलाफ 18 से अधिक दावे किये गए हैं और अगर वे ये मुक़दमे जीत जाते हैं तो देश के सरकारी खजाने पर बहुत दबाव पड़ेगा। इनमें से अधिकांश दावे कर विवादों से उत्पन्न हुए हैं।

संशोधित मॉडल BIT: कैबिनेट ने हाल ही में संशोधित मॉडल को मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के लिए संशोधित भारतीय मॉडल टेक्स्ट मौजूदा भारतीय मॉडल BIT का स्थान लेगा। संशोधित मॉडल को मौजूदा BITs पर फिर से बात करने और भविष्य के BITs और व्यापार समझौतों में निवेश प्रकरणों पर बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

संशोधित मॉडल BIT की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

- निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा
- उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार
- राष्ट्रीय व्यवहार
- ज़ब्ती से सुरक्षा
- एक संशोधित निवेशक राज्य विवाद निपटान प्रावधान जिसमें निवेशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले सभी स्थानीय तरीकों का पूर्ण उपयोग आवश्यक हो|

- न्यायाधिकरण की शक्ति को सिर्फ मौद्रिक मुआवजा देने तक सीमित करना
- मॉडल में कुछ मामले शामिल नहीं हैं, जैसे-

✓ सरकारी खरीद

✓ कराधान, सब्सिडी

✓ अनिवार्य लाइसेंस

G.7. प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा सीमेंट कंपनियों पर लगाये गए जुर्माने को रद्द किया

(CompAT Voids CCI'S Penalty on Cement COs)

प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने 'व्यवसायी समूहन'(cartelisation) करने के आरोप में 11 सीमेंट कंपनियों पर 6316.59 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT):

- यह एक सांविधिक संगठन है। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित किसी भी आदेश या दिशा-निर्देश या इसके द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ हुए मुकदमों की सुनवाई और उस पर निर्णय देना है।
- अपीलीय न्यायाधिकरण मुआवजे के दावे पर भी निर्णय देगा जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के किसी भी निष्कर्ष के खिलाफ अपील में या अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के निष्कर्षों के खिलाफ उत्पन्न हो सकती है।

प्रतिस्पर्धा कानून क्या है?

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून का संचालन करता है। इसने 1969 के एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act) को प्रतिस्थापित किया है।
- इस कानून के तहत, भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

कानून के उद्देश्य:

- मुक्त व्यापार और दो व्यावसायिक संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा कम करने वाले समझौतों या गतिविधियों को प्रतिबंधित करना,
- बाजार एकाधिकार की स्थिति पर प्रतिबंध लगाना,
- उद्यमी को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना,
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और प्रवर्तन नेटवर्क को बनाना,
- प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को रोकना और बाजार में एक निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

VISION IAS

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी निकाय है।

G.8. भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (निगमित सामाजिक दायित्व)

(CSR IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 135 को प्रभाव में आए हुए एक साल से अधिक का समय बीत चुका है। उल्लेखनीय है कि इसे भारत में निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए लाया गया था।

भारत में CSR के प्रावधान

- 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों को उनके पिछले 3 वर्षों के औसत निवल मुनाफे का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों से यह आशा की गयी है कि वे जिस प्रकार अपने व्यवसाय के संचालन हेतु अपनी व्यवसायिक सूझबूझ तथा मूल दक्षताओं का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से वे सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित करें।
- कंपनी अधिनियम 2013, दो या अधिक कंपनियों को एक पृथक क़ानूनी इकाई का प्रयोग करते हुए एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है।
- हालांकि ये नियम CSR गतिविधियों की निगरानी के लिए तथा इसके दिशा-निर्देशों को पूरा करने में विफल रहने वाली कंपनियों के लिए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए कोई प्रावधान प्रदान नहीं करते।

मुख्य बिन्दु

- कंपनियों के CSR बजट में चरघातांकीय दर से वृद्धि हुई है।
- पिछले साल CSR के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन संबंधी गतिविधियों के लिए अधिकतम धन प्राप्त हुआ।
- इनके पश्चात् CSR के तहत सर्वाधिक धन पर्यावरणीय स्थिरता/संवहनीयता हेतु प्राप्त हुआ। 57 कंपनियों ने पर्यावरणीय स्थिरता/संवहनीयता हेतु 683.07 करोड़ रुपये खर्च किये।
- पिछले वर्ष ऊर्जा कंपनियों ने निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) पहल के लिए सर्वाधिक योगदान दिया।

VISION IAS

- NextGen द्वारा 85 कंपनियों की सालाना रिपोर्ट से एकत्र किये गए आंकड़ों के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र के पश्चात वित्तीय सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने CSR के लिए सर्वाधिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।
- केवल उपभोक्ता वस्तुओं वाली कंपनियाँ ही वार्षिक लाभ के 2% की अनिवार्य खर्च की सीमा को पार कर उससे अधिक खर्च कर पायी हैं। दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों ने केवल 51 करोड़ रु. खर्च किए, जबकि इससे 194 करोड़ रु. खर्च करने की उम्मीद थी।
- अधिकतर कंपनियों, जिन्होंने सामाजिक जुड़ाव कार्यकर्मों को लागू किया, ने CSR को उसी रूप में नहीं लिया जिस रूप में वे अपने मुख्य व्यापारिक कार्यों को लेते हैं।

छह महत्वपूर्ण क्षेत्र जो CSR आकर्षित करने में नाकाम रहे हैं:

- स्लम विकास।
- शैक्षणिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर।
- ग्रामीण के रूप में अच्छी तरह से पैरा ओलम्पिक और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना।
- प्रधानमंत्री राहत कोष।
- राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण।
- सशस्त्र बलों के दिग्गजों और युद्ध विधवाओं का कल्याण।

G.9. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

(ASSETS RECONSTRUCTION COMPANY)

सुर्खियों में क्यों ?

- बढ़ती अनर्जक परिसंपत्तियों से निपटने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से इक्विटी फंडिंग के साथ एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना करने की सिफारिश की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का प्रदर्शन निजी बैंकों की तुलना में ख़राब रहता है क्योंकि PSBs को सरकारी उद्देश्यों के लिए और सामाजिक बैंकिंग बाध्यताओं के तहत ऋण देना पड़ता है।

दबावग्रस्त परिसंपत्ति बनाम अनर्जक परिसंपत्ति:

- **दबावग्रस्त परिसंपत्ति-** वह खाता जिसमें मूलधन और/या ब्याज 30 दिनों से अधिक के लिए बाकी (overdue) बना रहे।
- **अनर्जक परिसंपत्ति-** वह ऋण या अग्रिम भुगतान जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए बाकी (overdue) बना रहे।

G.10. FTIL के साथ NSEL का विलय

(MERGER OF NSEL WITH FTIL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के तहत, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (FTIL) और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) के विलय का आदेश दिया है।
- भारत में यह पहली बार है कि एक अनुषंगी कंपनी का जबरन अपनी मूल कंपनी के साथ विलय किया जा रहा है।

विश्लेषण:

- अगर इस तरह का विलय जनता के हित में आवश्यक है तो कंपनी अधिनियम, 1956 इस तरह के विलय के लिए सरकार को समर्थ बनाता है।
- सरकार ने 'जनहित' का हवाला दिया और कहा कि NSEL द्वारा उगाहे गए अधिकांश पैसे का FTIL द्वारा उपयोग किया गया है और इस प्रकार दोनों एक ही संस्था हैं।
- एक तरफ 13000 से अधिक निवेशकों का हित है तो दूसरी तरफ FTIL के शेयरधारक और कर्मचारियों के हित।
- इसके अलावा, "सीमित देयता" के सिद्धांत को यहां तोड़ा जा रहा है। इस आदेश को कॉरपोरेट जगत द्वारा वोडाफोन-GAAR (जनरल-एंटी अवॉयडेंस रूल) मुद्दे की तर्ज पर देखा जा रहा है।

VISION IAS

- बहरहाल अवैध व्यापार के प्रकरण को इस प्रकार बगैर दंडित किये हुए अनदेखा नहीं किया जा सकता खासकर जब बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों का हित इससे जुड़ा हुआ है, अन्यथा भारतीय बाज़ार में निवेशकों का विश्वास डगमगाना शुरू हो जायेगा।

G.11. मुक्त संसाधन लाइसेंसिंग

(OPEN RESOURCE LICENSING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सभी केंद्रीय विभागों में मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (open source software) के पक्ष में सरकार की नीति के कारण।
- मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उपयोग, संशोधन और साझा किया जा सकता है।

मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के लाभ:

- अधिकांश मुक्त स्रोत विकल्पों के मुफ्त में उपलब्ध होने के कारण सरकार के सॉफ्टवेयर खर्च पर पर्याप्त बचत होगी।
- पारस्परिकता बढ़ती है और इसे अपनी रूचि के अनुसार बनाया जा सकता है।
- स्थानीय क्षमता/उद्योग को विकसित करने में मदद मिलेगी।
- पायरेसी/कॉपीराइट उल्लंघन कम होगा।
- ज्ञान आधारित समाज के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- बंद सॉफ्टवेयर (मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के विपरीत) की साइबर सुरक्षा पर औसत खर्च कुल सूचना प्रौद्योगिकी खर्च का 2 से 3 प्रतिशत है।

मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर अधिक सुरक्षित क्यों हैं:

- मुक्त स्रोत में उपयोगकर्ता के पास उस एल्गोरिथ्म तक पहुँच होती है जो इसे कार्यक्षम बनाता है।
- पासवर्ड के रूप में कार्य करने वाली कूटलेखन कुंजी (encryption key) या नम्बरों के सेट तक किसी की पहुँच नहीं होती।
- इस पासवर्ड के बिना इन्हें हैक करना असंभव है।

VISION IAS

G.12. वायदा अनुबंधों को लेकर सेबी की चिंताएं

(SEBI CONCERNS ABOUT FORWARD CONTRACTS)

फॉरवर्ड और फ्यूचर अनुबंध (कांट्रेक्ट) के बीच अंतर

- भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग का विनियमन करने वाले वायदा अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत, वायदा अनुबंध वस्तु की वास्तविक डिलीवरी का अनुबंध है। वहीं दूसरी ओर, फ्यूचर अनुबंध वह होता है जिसमें क्रेता नकदी में भी अनुबंध का निपटारा कर सकता है।

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) जिस बाजार के नियमन का भी अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। हालांकि, यह कमोडिटी एक्सचेंजों में वायदा अनुबंध के साथ सहज नहीं है।
- सेबी की चिंता दो तथ्यों से उपजी हैं:

✓ फ्यूचर अनुबंधों के विपरीत, वायदा अनुबंधों का स्वरुप मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

✓ वायदा अनुबंधों में दूसरे पक्ष का जोखिम (counterparty risk) अधिक है।

VISION

G.13. वायदा बाजार आयोग (FMC) का सेबी (SEBI) के साथ विलय

(FMC MERGER WITH SEBI)

- विश्वभर में नये नियामक प्राधिकरण बनाने के अपेक्षाकृत प्रचलित चलन के विपरीत, यह दो नियामक निकायों, वायदा बाजार आयोग (FMC) के पूँजी बाजार प्रहरी सेबी (SEBI) के साथ विलय का प्रथम मामला है |

 ©Vision IAS

- भारत में जिंस (कमोडिटी) वायदा बाजार की निगरानी अब सेबी (SEBI) द्वारा की जाएगी | इससे भारत में प्रतिभूति तथा कमोडिटी के लिए एक एकीकृत नियामक व्यवस्था स्थापित होगी|

लाभ:

- एक एकीकृत नियामक वित्तीय बाज़ार की विश्वसनीयता में वृद्धि करेगा |
- यह तरलता को भी बढ़ाएगा और मूल्य-खोज प्रक्रिया में भी सुधार लायेगा|
- एक एकीकृत नियामक का स्पॉट कमोडिटी मार्केट पर लाभकारी प्रभाव हो सकता है| क्योंकि एकीकृत नियामक प्रतिभूति बाज़ार में पारदर्शी प्रणाली स्थापित करके स्पॉट कमोडिटी मार्केट को मजबूत बना सकता है |

G.14. इक्वलाईजेशन लेवी / गूगल कर

(EQUALISATION LEVY/GOOGLETAX)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- बजट 2016-2017 में देश में अनिवासी इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6 प्रतिशत समतुल्यीकरण कर (इक्वलाईजेशन लेवी) लगाने का प्रावधान किया गया है। यह 1 जून से लागू किया गया तथा इसका उद्देश्य B2B ई-कॉमर्स भुगतानों को कर के दायरे में लाना है।

यह नया इक्वलाईजेशन लेवी क्या है?

- इंटरनेट कंपनियों द्वारा जिस देश में लाभ कमाया जाता है उस देश में पर्याप्त कर न देने एवं उसे टैक्स हैवन में भेजने का मुद्दा दुनिया भर में बहस का विषय बना हुआ है। OECD ने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत इस चुनौती का समाधान करने के लिए पिछले वर्ष एक एक्शन प्लान जारी किया था।
- OECD द्वारा इस दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही योजना को लागू करने वाला भारत पहला देश बन गया है |
- इक्वलाईजेशन लेवी, जैसा कि बजट में प्रस्तावित है, 6% की दर से "विशेष सेवा" के लिए दिए जाने वाले धन पर लागू होगा जिसमें ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन के लिए स्थान का प्रावधान या ऑनलाइन विज्ञापन के लिए अन्य कोई सुविधा या सेवा सम्मिलित है |
- केवल वो इकाई जो एक वर्ष में कुल एक लाख से अधिक का भुगतान करती है उसे इसका पालन करना होगा।
- लेवी कटौती की जिम्मेदारी भारतीय भुगतानकर्ता की होगी, उसे इसका भुगतान सरकार को करना होगा।

VISION IAS

G.15. हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) ने अधिक नीलामीकर्ताओं को आकर्षित किया

(HYBRID ANNUITY MODEL DRAWS MORE BIDDER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- CCEA ने पिछले वर्ष हाईवे परियोजनाओं को पुनः शुरू करने एवं सभी भागीदारों यथा डेवलपर्स, ऋणदाताओं एवं रियायतप्राप्तकर्ताओं में पुनः रूचि पैदा करने हेतु HAM को स्वीकृति प्रदान की किन्तु इसके परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे |
- NHAI द्वारा इसके व्यापक प्रचार अभियान से अब सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
- अब प्रोजेक्ट के लिए औसत बोली लगाने वालो की संख्या 3 गुना बढ़ गयी है।

हाइब्रिड एन्यूइटी है क्या ?

- हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) एक नये प्रकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल है।
- इसके अंतर्गत सरकार कार्य आरभ करने के लिए डेवलपर को परियोजना लागत का 40% उपलब्ध कराएगी। शेष निवेश निजी डेवलपर को करना होगा।
- सरकार टोल टैक्स एकत्रित करेगी। अतिरिक्त लाभांश (profit margin) के साथ निर्धारित भुगतान (एन्यूइटी) डेवलपर को अदा किया जाएगा।

सामान्यतः विविध प्रकार के PPP मॉडल प्रयोग में लाए जाते हैं -

1. जिनमें सरकार मुख्य निवेशक है: EPC, सेवा अनुबंध, प्रबंधन अनुबंध और लीज अनुबंध।
2. जिनमें निजी भागीदार मुख्य निवेशक हैं: BOT, BOOT, DBO, DBFO आदि।
3. संयुक्त उपक्रम: अवसंरचना पर सह-स्वामित्व है। उदाहरण: स्पेशल परपज वेहिकल (स्मार्ट शहरों के तहत SPV)
4. हाइब्रिड एन्यूइटी
5. स्विस मॉडल

हाईवे क्षेत्र में प्रयुक्त विविध PPP मॉडल:

1. BOT-टोल
2. इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (EPC)– सरकार लागत वहन करती है। निजी क्षेत्र की निम्न भागीदारी के कारण सरकार ने बड़े स्तर पर 2013-2014 एवं 2014-2015 में इसका सहारा लिया।
3. BOT- एन्यूइटी (अप्रैल 2014 से)– परियोजना लागत का कुछ निश्चित प्रतिशत ही निजी निवेशकों द्वारा वित्तपोषित होता है और यह निवेश एन्यूइटी भुगतान द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है।

अब HAM, EPC एवं BOT के एक मिश्रित रूप में प्रारंभ किया गया है | यह जोखिम के विवेकपूर्ण बंटवारे, फंडिंग संबंधी समस्याओं को हल करने एवं निजी क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु एक लचीला एवं उचित उपाय है |

VISION IAS

G.16 GM तकनीक लाइसेंसिंग के संबंध में नयी अधिसूचना को वापस लिया गया

(Withdrawal of New Notification Regarding Licensing of GM Technology)

अधिसूचना में क्या था?

- कृषि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार अनुमोदित जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) तकनीक का लाइसेंसर (अर्थात् अन्वेषक) किसी भी आवेदक को उस तकनीक का लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकता था।
- इसके द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज की नई तकनीक की लाइसेंस फीस पर भी सीमा लगा दी गयी थी और इसमें बीज प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारियों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को विनियमित करने की मांग की गयी थी।
- इससे GM फसल तकनीक पर भी अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान लागू हो जाता।

इस अधिसूचना को क्यों वापस ले लिया गया?

GM तकनीक कंपनियों द्वारा निम्न वजहों से असंतोष व्यक्त करने के बाद इसे वापस ले लिया गया:

- पेटेंट तकनीक के कारोबार का नुकसान।
- इस अधिसूचना का मतलब था लाइसेंस राज की वापसी
- यह विश्व व्यापार संगठन के अनिवार्य लाइसेंसिंग के नियमों के खिलाफ थी
- यह अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित करती और अंतत: किसानों को नुकसान हो सकता था।

वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार ने अब इस अधिसूचना को जनता की राय लेने के लिए जनता के समक्ष रखा है। इस बीच उसके प्रवर्तन को निरस्त कर दिया गया है।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
CSE 2013
CSE 2014
GAURAV AGRAWAL
AIR-1
NIDHI GUPTA
AIR-3
VANDANA RAO
AIR-4
SUHARSHA BHAGAT
AIR-5
AIR-1
TINA DABI
AIR-4
ARTIKA SHUKLA
AIR-6
ASHISH TIWARI
AIR-5
SHASHANK TRIPATHI
AIR-9
KARN SATYARTHI
Interview Guidance Prog
Foundation Course
All India PRELIMS MAINS Test Series
PT 365: 1 year Current Affairs Prog